न्यायालय– विशेष न्यायाधीश
एन०आई०ए०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सत्र वाद संख्या– 1049/2022

UPLK010071542022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

1. जाहिद उर्फ जग्गा पुत्र सरीफ खाँ आयु लगभग 32 वर्ष निवासी– मौ०बड्डू नगर, कासगंज, उत्तर प्रदेश। (पृथक दिनांक–14.06.2018)
2. नसरुद्दीन पुत्र हबीब आयु लगभग 68 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
3. अकरम पुत्र नसरुद्दीन आयु लगभग 20 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
4. तौफिक पुत्र आफाक आयु लगभग 24 वर्ष निवासी– मौ० नबाब पीरछल्ला, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
5. खिल्लन पुत्र जब्बार आयु लगभग 45 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
6. राहत पुत्र जफर आयु लगभग 32 वर्ष निवासी– मौ० नबाब इस्माइलपुर रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
7. मोहसिन उर्फ अली पुत्र बाबू आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– बगिया सत्तार खाँ, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
8. आसिफ जिम वाला पुत्र नौसे खाँ आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– चामुण्डा गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
9. बबलू पुत्र अनवार अहमद आयु लगभग 22 वर्ष निवासी– गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
10. वासिफ पुत्र रहीश खाँ आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– गली गद्दियान मौ० मोहन नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
11. सलीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 45 वर्ष निवासी– जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
12. सलमान पुत्र चमन आयु लगभग 25 वर्ष निवासी- मौ० नबाब गली नं०-3, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
13. वसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 28 वर्ष निवासी- जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
14. नसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 27 वर्ष निवासी- जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
15. नीशू उर्फ जीशान पुत्र सिराज अहमद आयु लगभग 21 वर्ष निवासी- गोयल

की टाल गन्दा नाला नदरई, गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

16. इमरान पुत्र इरफान आयु लगभग 28 वर्ष निवासी- मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
17. साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक आयु लगभग 30 वर्ष निवासी- मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
18. शमशाद पुत्र नन्हें खाँ आयु लगभग 32 वर्ष निवासी- मौ० बड्डू नगर, कासगंज, उत्तर प्रदेश
19. जफर पुत्र नबाब आयु लगभग 23 वर्ष निवासी- सरदार पटेल गली जौरा बौरा, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
20. साकिर पुत्र इस्माइल आयु लगभग 24 वर्ष निवासी- लालकुआं मानसिंह बक्सा, गंजडुण्डवारा, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
21. खालिद परवेज पुत्र मुण्डन हाजी आयु लगभग 23 वर्ष निवासी- गोरियापुर, सिविल लाइन्स, बदायूँ, उत्तर प्रदेश।
22. फैजान पुत्र अकरम आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी- गन्दा नाला, नदरई, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
23. अजीजुद्दीन पुत्र रोशन आयु लगभग 55 वर्ष निवासी- गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश। (उपशमित दिनांक-02.09.2019)
24. इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम आयु लगभग 24 वर्ष निवासी- सोरो गेट, राज कोल्ड के सामने, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

.............**अभियुक्तगण।**

मु०अ०सं०–60/2018
अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

<u>सत्र वाद संख्या– 1050/2022</u>

UPLK010071552022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

1. आसिफ कुरैसी उर्फ हिटलर पुत्र भूरे खाँ आयु लगभग 25 वर्ष निवासी- कसाई मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
2. असलम कुरैशी पुत्र साबू उर्फ चमन आयु लगभग 30 वर्ष निवासी- कसाई मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
3. असीम कुरैशी पुत्र भूरे आयु लगभग 26 वर्ष निवासी- कसाई मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
4. शबाब पुत्र सफीक उर्फ बाबू आयु लगभग 29 वर्ष निवासी- मौ० नबाब,

कासगंज, उत्तर प्रदेश।

5. साकिब पुत्र अजीजुद्दीन आयु लगभग 22 वर्ष निवासी- गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

6. मुनाजिर रफी पुत्र रफी उल्ला आयु लगभग 32 वर्ष निवासी- बड्डू नगर गली टेन्डली, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

7. आमिर रफी पुत्र रफी उल्ला आयु लगभग 42 वर्ष निवासी- बड्डू नगर गली टेन्डली, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

.............अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–60/2018
अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

<u>सत्र वाद संख्या– 1758/2022</u>

UPLK010106202022

उत्तर प्रदेश राज्य **.............अभियोजन।**

बनाम

1. जाहिद उर्फ जग्गा पुत्र सरीफ खाँ आयु लगभग 32 वर्ष निवासी– मौ०बड्डू नगर, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
2. नसरुद्दीन पुत्र हबीब आयु लगभग 68 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
3. अकरम पुत्र नसरुद्दीन आयु लगभग 20 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
4. तौफिक पुत्र आफाक आयु लगभग 24 वर्ष निवासी– मौ० नबाब पीरछल्ला, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
5. खिल्लन पुत्र जब्बार आयु लगभग 45 वर्ष निवासी– मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
6. राहत पुत्र जफर आयु लगभग 32 वर्ष निवासी– मौ० नबाब इस्माइलपुर रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
7. मोहसिन उर्फ अली पुत्र बाबू आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– बगिया सत्तार खाँ, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
8. आसिफ जिम वाला पुत्र नौसे खाँ आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी– चामुण्डा गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
9. बबलू पुत्र अनवार अहमद आयु लगभग 22 वर्ष निवासी– गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
10. वासिफ पुत्र रहीश खाँ आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– गली गद्दियान मौ०

मोहन नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

11. सलीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 45 वर्ष निवासी– जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
12. सलमान पुत्र चमन आयु लगभग 25 वर्ष निवासी- मौ० नबाब गली नं०-3, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
13. वसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 28 वर्ष निवासी- जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
14. नसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 27 वर्ष निवासी- जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
15. नीशू उर्फ जीशान पुत्र सिराज अहमद आयु लगभग 21 वर्ष निवासी- गोयल की टाल गन्दा नाला नदरई, गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
16. इमरान पुत्र इरफान आयु लगभग 28 वर्ष निवासी- मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
17. साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक आयु लगभग 30 वर्ष निवासी- मौ० नबाब, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
18. शमशाद पुत्र नन्हें खाँ आयु लगभग 32 वर्ष निवासी- मौ० बड्डू नगर, कासगंज, उत्तर प्रदेश
19. जफर पुत्र नबाब आयु लगभग 23 वर्ष निवासी- सरदार पटेल गली जौरा बौरा, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
20. साकिर पुत्र इस्माइल आयु लगभग 24 वर्ष निवासी- लालकुआं मानसिंह बक्सा, गंजडुण्डवारा, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
21. खालिद परवेज पुत्र मुण्डन हाजी आयु लगभग 23 वर्ष निवासी- गोरियापुर, सिविल लाइन्स, बदायूँ, उत्तर प्रदेश।
22. फैजान पुत्र अकरम आयु लगभग 21 वर्ष, निवासी- गन्दा नाला, नदरई, कासगंज, उत्तर प्रदेश।
23. अजीजुद्दीन पुत्र रोशन आयु लगभग 55 वर्ष निवासी- गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश। (उपशमित दिनांक-02.09.2019)
24. इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम आयु लगभग 24 वर्ष निवासी- सोरो गेट, राज कोल्ड के सामने, कासगंज, उत्तर प्रदेश।

.............अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–60/2018
अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

सत्र वाद संख्या– 2766/2022

UPLK010208802022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

मोहसिन उर्फ अली पुत्र बाबू आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– बगिया सत्तार खाँ, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–65/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

<u>सत्र वाद संख्या– 1229/2022</u>

UPLK010103102022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

राहत पुत्र जफर आयु लगभग 32 वर्ष निवासी– मौ० नबाब इस्माइलपुर रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–72/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

सत्र वाद संख्या– 1230/2022

UPLK010103122022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

वसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 28 वर्ष निवासी– जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–81/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

सत्र वाद संख्या– 1610/2022

UPLK010122102022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

बबलू पुत्र अनवार अहमद आयु लगभग 22 वर्ष निवासी– गन्दा नाला नदरई गेट, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–63/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

सत्र वाद संख्या– 1232/2022

UPLK010102992022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

नसीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 27 वर्ष निवासी– जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–82/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

सत्र वाद संख्या– 1822/2022

UPLK010127322022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

सलीम पुत्र बरकतुल्ला आयु लगभग 45 वर्ष निवासी– जीजीआईसी के सामने तहसील रोड, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–69/2018
अंतर्गत धारा–25/27 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

व

<u>सत्र वाद संख्या– 1597/2022</u>

UPLK010106152022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

सलमान पुत्र चमन आयु लगभग 25 वर्ष निवासी– मौ० नबाब गली नं०–3, कासगंज, उत्तर प्रदेश। ....**अभियुक्त।**

मु०अ०सं०–78/2018
अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज।

कोरम– विवेकानन्द शरण त्रिपाठी (पीठासीन अधिकारी)

अभियोजन की ओर से–श्री ललित किशोर दीक्षित (लोक अभियोजक) व श्री मुकुल जोशी (एडवोकेट)

बचाव पक्ष की ओर से– श्री प्रान्शू अग्रवाल, श्री नजमुस्साकिब खां, श्री जियाउल जिलानी, श्री चिन्मय प्रकाश पाण्डेय, श्री अजीजुल्ला खां, श्री साजिद अलीम खां एवं ***एमिकस क्यूरी*** – श्री रमाशंकर द्विवेदी तथा श्रीमती किरन खन्ना टण्डन (विद्वान अधिवक्तागण)

<u>उद्धृत विधिक दृष्टान्त–</u> (1) शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 8 एस०सी०सी० 430, (2) ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2012) 5 एस०सी०सी० 201 (3) अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य (2010) 6 एस०सी०सी० 469, (4) बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य ए०आई०आर० 1997 एस०सी० 322, (5) राकेश बनाम उ०प्र० राज्य 2012 (76) ए०सी०सी० 264, (6) राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003 (47) ए०सी०सी० 1068 एस०सी०, (7) बहादुर नायक बनाम बिहार राज्य जे०टी० 2000 (6) एस०सी० 226, (8) मदन सिंह बनाम बिहार राज्य 2004, सी०आर०एल०जे० 2862 एस०सी०, (9) महावीर बनाम दिल्ली राज्य ए०आई०आर० 2008, एस०सी० 2343, (10) मलखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003(47) ए०सी०सी० 427 एस०सी०, (11) राम गुलाम चौधरी बनाम बिहार राज्य 2001(2) जे०आई०सी० 986 एस०सी० (12) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लखन सिंह 2014(86) ए०सी०सी० 82, (13) चंदा बनाम उ०प्र० राज्य 2004 सी०आर०एल०जे० 2536 एस०सी०, (14) पुलिचेरिया नागराजा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2006 सी०आर०एल०जे०, 3899, (15) एस०जी० वोमबटकेरे बनाम भारत संघ (2022) 7 SCC 433

<u>निर्णय</u>

<u>भूमिका एवं अभियोजन कथानक</u>

भारतवर्ष के राष्ट्रीय गौरव, उसके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को उसके वर्तमान स्वरूप में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 1947 के कुछ दिन पूर्व 22 जुलाई, 1947 को आयोजित संविधान सभा

की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जिसका मूल डिजाइन श्री पी० वेंकैया ने तैयार किया था। उस समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम मे शामिल सेनानियों का उद्देश्य था कि एक ऐसे झण्डे को प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाये, जो सभी भारतवासियों को एकता के सूत्र में पिरोकर रखे। उन स्वतंत्रता सेनानियों को यह दूर–दूर तक आशंका नहीं रही होगी कि इसी तिरंगे के सम्मान में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त , वह भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में, दो समुदायों के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष की स्थिति बनेगी।

02. कोतवाली कासगंज, जनपद–कासगंज शहर में 26 जनवरी 2018 को प्रातःकालीन निकाली गई तिरंगा रैली के प्रतिरोधस्वरूप भड़की कथित साम्प्रदायिक हिंसा, जिसके परिणाम स्वरूप हुई एक युवक की कथित हत्या एवं राष्ट्रीय ध्वज के अपमान, बलवा, दंगा आदि के अपराध हेतु अभियुक्तगण सलीम व 30 अन्य के विरुद्ध धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम व धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत जनपद कासगंज की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में विचारण किया जा रहा है। प्रकरण अनन्यतः विशेष न्यायालय एन०आई०ए०, लखनऊ द्वारा विचारणीय होने के कारण पत्रावली जनपद– कासगंज/एटा से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई थी।

03. विद्वान लोक अभियोजकगण श्री ललित किशोर दीक्षित ने अभियोजन कथानक को विस्तार से बताया है कि वादी मुकदमा सुशील गुप्ता द्वारा दिनांक–26.01.2018 को थाना–कासगंज, जनपद– कासगंज में इस आशय की तहरीर दी गई कि "दि० 26.01.2018 समय प्रातः करीब 10:30 बजे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा में सहभागिता करते हुए मेरा पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय व वन्देमातरम् के उद्घोष करते हुए तहसील रोड होकर जैसे ही राजकीय बालिका इण्टर कालेज गेट के सामने पहुँचे उसी समय हथियारों से लैस योजनाबद्ध तरीके से पहले से घात लगाये सलीम, वसीम व नसीम पुत्रगण बरकतुल्लाह उर्फ बरकी निवासीगण तहसील स्कूल के सामने, जाहिद उर्फ जग्गा निवासी बड्डूनगर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी निवासीगण कसाई मोहल्ला नवाब, नसीरुद्दीन पुत्र हबीब, अकरम पुत्र नसीरुद्दीन, तौफीक पुत्र आफाक, खिल्लन, शबाव, राहत पुत्र जफर, सलमान पुत्र चमन निवासीगण मौ० नवाब, मोहसिन पुत्र बाबू नि० बगिया सत्तार, आसिफ जिमवाला नि० चामुण्डा गेट, शाकिब, बबलू नि० गंदा नाला, नदरई गेट, नीशू व वासिफ नि० गंदा नाला के सामने टाल थाना व जिला

कासगंज व अन्य अज्ञात मुस्लिम समाज के लोगों ने रास्ता घरकर रोक लिया तथा हाथों में से तिरंगा छीनकर नारे लगाते हुए हथिया तान कर धमकी दी कि इस रोड से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। मेरे पुत्र अभिषेक द्वारा विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग शुरू कर दी तथा एलान किया कि मार दो सालों को उपरोक्त लोगों के उकसाने पर सलीम पुत्र बरकतुल्लाह उर्फ बरकी ने अपने हथियार से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उपरोक्त लोगों की फायरिंग से कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मौका पाकर विवेक अन्य साथियों के साथ जान बचाकर अपने भाई अभिषेक को किसी तरह थाना कासगंज लेकर आया वहां तुरंत उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, वहां डाक्टर ने देखते ही अभिषेक को मृत घोषित कर दिया है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

04. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना– कासगंज, जनपद–कासगंज में दिनांक–27.01.2018 को समय 00:17 बजे मुकदमा अपराध संख्या–60/2018, अंतर्गत धारा–147,148,149,341,336,307,302,504, 506,124A भा०दं०सं० व धारा–3 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। मृतक के शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया तथा वादी की निशानदेही पर नक्शा–नजरी बनाया गया। नामजद एवं प्रकाश में आए अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनमें से सात अभियुक्तगण के पास से अवैध तमंचे/असलहे बरामद किये गये। इन बरामद अवैध तमंचे/असलहे के कारण सम्बन्धित अभियुक्तगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमें पुलिस कर्मियों द्वारा वादी के रूप पंजीकृत कराये गये। मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की हत्या में प्रयुक्त किये गये तमंचे/खोखा कारतूस को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा गया। इस बीच विवेचना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम (एस०आई०टी०) को अंतरित कर दी गई, जिसमें क्राइम ब्रान्च के विवेचक श्री रमेश चन्द्र यादव के द्वारा दौरान विवेचना संकलित किये गये साक्ष्य व अंकित किये गये गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसीरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, बबलू, नीशू, वासिफ, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, साकिर पुत्र इस्माइल, खालिद परवेज, फैजान, अजीजुद्दीन, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, मुनाजिर रफी व आमिर रफी के विरुद्ध धारा–

147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–3 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम तथा अभियुक्तगण मोहसिन उर्फ अली, राहत, वसीम, बबलू, नसीम व सलमान के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त सलीम के विरुद्ध धारा–25/27 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया।

05. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– अजीजुद्दीन (दौरान विचारण मृत्यु), 28– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 29– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 30– मुनाजिर रफी व 31– आमिर रफी के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा संज्ञान लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली को माननीय सत्र न्यायालय, कासगंज को सुपुर्द किया गया। मामले में प्रभावशाली व्यक्तियों के अभियुक्त बनने के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पर पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावलियाँ जनपद–एटा में स्थानान्तरित हुईं तत्पश्चात प्रकरण में धारा–124A भारतीय दण्ड संहिता में विरचित आरोप के विचारण का क्षेत्राधिकार एन०आई०ए० एक्ट के अनुसूची के अनुसार, इस न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर पत्रावली जनपद एटा से जनपद– लखनऊ स्थानान्तरित हुई तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, लखनऊ के कार्यालय से पंजीकृत एवं सांख्यांकित होकर निस्तारण किये जाने हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

06. अभियुक्तगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा धारा–207 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्तगण को समस्त अभियोजन प्रपत्रों की वांछित नकलें प्राप्त कराई गयीं। तदोपरान्त सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्र सुपुर्दगी आदेश पारित करते हुए प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय, कासगंज सुपुर्द कर दिया गया। प्रकरण में प्रभावशाली अधिवक्ता के अभियुक्त होने के कारण वादी मुकदमा के स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र पर पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावलियां जनपद– एटा में अंतरित हुईं तत्पश्चात प्रकरण में धारा–

124A भा०दं०सं० की सुनवाई का अनन्य क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होने के कारण पत्रावली जनपद एटा से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसके उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण प्रारम्भ किया गया। इसी बीच अभियुक्त अजीजुद्दीन की मृत्यु आख्या आ जाने के आधार पर न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक–02.09.2019 को उपशमित कर दी गई। इस प्रकार अब इस प्रकरण में 30 अभियुक्तगण विचारण का सामना कर रहे हैं। दिनांक–15.07.2023 के आदेशानुसार समस्त पत्रावलियों को समेकित कर दिया गया तथा सरकार बनाम सलीम की पत्रावली को अग्रणी पत्रावली मानते हुए इसमें साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

07. अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, नीशू उर्फ जीशान, खिल्लन, वासिफ, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, शाकिर पुत्र इस्माइल, खालिद, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम व शाकिर पुत्र मो० सिद्दीक के विरुद्ध धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–3 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम तथा अभियुक्तगण मोहसिन उर्फ अली, राहत, वसीम, बबलू, नसीम व सलमान के विरुद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त सलीम के विरुद्ध धारा–25/27 आयुध अधिनियम के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक दृष्टान्त **एस०जी० वोमबटकेरे बनाम भारत संघ (2022) 7 SCC 433** के अनुसार धारा–124A भा०दं०सं० की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा Kept in abeyance में रखी गई है, अतः शेष धाराओं में अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं।

08. साक्ष्य के स्तर पर अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु कुल 18 अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

क्र० सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी का प्रकार**	**साबित किया गया**
1.	रिपुदमन सिंह निरीक्षक	विवेचक	प्रदर्श क–1 व प्रदर्श क–24 से प्रदर्श क–28 तथा वस्तु प्रदर्श–1 से वस्तु प्रदर्श–19

2.	सुशील गुप्ता	वादी मुकदमा	प्रदर्श क-2
3.	सौरभ पाल	चक्षुदर्शी साक्षी	-
4.	विवेक गुप्ता	चक्षुदर्शी साक्षी	-
5.	विजेन्द्र सिंह का०/क्लर्क	चिक लेखक	प्रदर्श क-3 व प्रदर्श क-4
6.	यशकान्त का०	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-5 से प्रदर्श क-7
7.	डॉ० अविनाश कुमार	चिकित्सीय साक्षी	प्रदर्श क-8
8.	एस०आई० रामेश्वर दयाल	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-9 से प्रदर्श क-13
9.	सुनील कुमार का०/क्लर्क	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-14 से प्रदर्श क-16
10.	राजेश बाबू यादव उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-17 से प्रदर्श क-18
11.	अवधेश कुमार थानाध्यक्ष जी०आर०पी०, उरई	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-19 से प्रदर्श क-21 तथा वस्तु प्रदर्श-1 से 2
12.	सुरेश चन्द्र शर्मा निरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-22 व प्रदर्श क-23
13.	महेश चौधरी उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-24 से प्रदर्श क-26
14.	विजय पाल सिंह उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-28 व प्रदर्श क-29
15.	जंगबहादुर सिंह ए०एस०आई० (सेवानिवृत्त)	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-30 से प्रदर्श क-32
16.	अजब सिंह सेवानिवृत्त निरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-33 से प्रदर्श क-35
17.	सोहनपाल वर्मा उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी	प्रदर्श क-36 से प्रदर्श क-38
18.	विनय गौतम उपनिरीक्षक	औपचारिक साक्षी एवं मुख्य विवेचक रमेश चन्द्र यादव द्वारा प्रेषित आरोप पत्र एवं केस डायरी का द्वितीयक साक्षी	प्रदर्श क-39 से प्रदर्श क-51 तथा वस्तु प्रदर्श-3 से वस्तु प्रदर्श-6

09. दौरान विचारण अभियुक्त अजीजुद्दीन की मृत्यु हो गई तथा वाद की कार्यवाही उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उपशमित कर दी गई।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षियों की मुख्य परीक्षा के महत्वपूर्ण अंशों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है जिससे यह तथ्य सामने आ सके कि अभियोजन का मूल कथानक क्या रहा तथा उसके द्वारा किन साक्षियों को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

11. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–1 के रूप में रिपुदमन सिंह प्रभारी निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन

किया गया है कि दिनांक–26.01.2018 को थाना– कासगंज पर बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था। उस दिन वादी सुशील गुप्ता ने लिखित तहरीर दी थी, जिस पर दिनांक–27.01.2018 को मु०अ०सं०–60/2018 धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 506, 504, 124 भा०दं०वि० व 3 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम में सलीम आदि के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। मैने उसी दिन विवेचना प्राप्त करने के बाद नकल एफ०आई०आर० व नकल रपट सी०डी० संलग्न की। सी०सी० विजेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया। वादी सुशील गुप्ता के बयान अंकित किये। वादी की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल के समय मौजूद समयी साक्षी आदेश कुमार व सुबोध कुमार के बयान अंकित किये। दि० 28.01.2018 को अभियुक्त बबलू, अकरम, नसमुद्दीन, तौफीक नामजद अभियुक्त व अन्य प्रकाश में आये। अभियुक्त शमशाद, इमरान, जफर, शाकिर, खालिद, फैजान गिरफ्तार कर जेल भेजा व इनके बयान अंकित किये। इसी दिन एस०आई०टी० गठित हो जाने के कारण मुकदमे की विवेचना एस०आई०टी० द्वारा की गयी थी। इस मुकदमें से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तों व प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी मेरे द्वारा की गयी थी, जिसमें आला कत्ल भी सम्मिलित है। पत्रावली पर कागज सं०–24अ/1, नक्शा–नजरी मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया।

12. दिनांक–27.01.2018 को मैने अभियुक्त बबलू आदि लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बबलू से एक डी०बी०बी०एल० 12 बोर फैक्ट्री मेड व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये थे, जिसका मुकदमा मैने थाने पर माल मुकदमा मौके पर ही सील कर थाने लाकर मु०अ०सं०–63/2018 धारा–25 ए०एक्ट पंजीकृत कराया था। मु०अ०सं०–60/2018 धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 506, 504, 124 भा०दं०वि० व 3 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम विरुद्ध अभियुक्तगण सलीम आदि से सम्बन्धित विवेचना दि०–27.01.2018 को मुझे प्राप्त हुई। विवेचना प्राप्त करने के पश्चात उसी दिन मैने केस डायरी का पर्चा नं० –1 किता किया। उसमे मैने नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट, एफ०आई०आर० लेखक वृजेन्द्र सिंह बयान अंकित किया तथा वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के बयान अंकित किया थे तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, जो मूल रूप से पत्रावली में संलग्न है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, इस पर पूर्व से प्रदर्श क–1 पड़ा है तथा केस डायरी के इसी पर्चे में गवाह समयी साक्ष्य आदेश कुमार व सुबोध कुमार का बयान अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं०–2 दि० 28.01.2018 को किता किया, जिसमें अभियुक्तगण बबलू, नसरुद्दीन, अकरम,

तौफीक, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिज परवेज, फैजान के बयान अंकित किये, जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण थे तथा उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण नामजद व प्रकाश में आए अभियुक्त थे। उसी दिन एस०आई०टी० टीम गठित होने के परिणामस्वरूप उक्त मुकदमें की विवेचना एस०आई०टी० को स्थानान्तरित कर दी गई। दिनांक–27.01.2018 को अभियुक्त बबलू से एक अदद डी०बी०बी०एल० बन्दूक 12 बोर व दो अदद कारतूस बरामद किये गये, जिसका उसके पास कोई लाइसेन्स नहीं था। मौके पर फर्द तैयार की गई, जिस पर प्रदर्श क–24 डाला गया है। दिनांक–29.01.2018 को अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक बन्दूक एस०बी०बी०एल० व चार अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। मौके पर फर्द बनाई गई, जिसे प्रदर्श क–25 के रूप में सिद्ध किया गया है। दिनांक–31.01.2018 को अभियुक्त सलीम की गिरफ्तारी की गई, जिसके पास से आलाकत्ल की बरामदगी की गई। यह आलाकत्ल एक अदद तमंचा 315 बोर व खोखा था। फर्द मौके पर तैयार की गई, जिसे प्रदर्श क–26 के रूप में सिद्ध किया गया है। दिनांक –26.02.2018 अभियुक्त सलमान से एक अदद तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस बरामद किया गया, जिसकी फर्द बनाई गई। फर्द को प्रदर्श क–27 के रूप में सिद्ध किया गया है। दिनांक–07.02.2018 को अभियुक्त वसीम व नसीम को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया और दोनों के कब्जे से एक–एक अदद तमंचा 315 बोर व कारतूस बरामद किये गये। बरामदगी की फर्द बनायी गई, जिसे प्रदर्श क–28 के रूप से साबित किया गया है। इसी फर्द के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मु०अ०सं०–82/2018 विरुद्ध अभियुक्त वसीम व मु०अ०सं० –81/2018 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम दर्ज किया गया। अभियुक्तगण से बरामद माल मुकदमाती को इस साक्षी द्वारा वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–19 के रूप में साबित किया गया है।

13. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–2 के रूप में वादी मुकदमा सुशील गुप्ता को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरा पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों सहित दिनांक 26.01.2018 समय प्रातः 10:30 बजे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा में सहभागिता करते हुए हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय, वंदेमातरम के उदघोष लगाते हुए तहसील रोड होकर आ रहे थे। जैसे ही अभिषेक गुप्ता अपने अन्य साथियों सहित राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के गेट के सामने पहुंचे उसी वक्त वहां पहले से योजनाबद्ध तरीके से घात लगाये जायज व

नाजायज हथियार सहित सलीम, नसीम, वसीम पुत्रगण बरकतउल्ला उर्फ बरकी निवासी राजकीय बालिक इण्टर कॉलेज के सामने कासगंज व आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी निवासी कसाई मौहल्ला नबाव कासगंज, मुनाजिर रफी एडवोकेट व आमिर रफी निवासी गली टण्डली बडडूनगर कासगंज, तौफीक पुत्र आफाक, खिल्लन, शबाव, राहत पुत्र जफर, सलमान पुत्र जफर निवासी मोहल्ला नबाव कासगंज, मोहसिन पुत्र बाबू निवासी बगिया सत्तार, आसिम जिमवाला निवासी चामुण्डा गेट मंदिर कासगंज, शाकिब व बबलू निवासी गंदा नाला नदरई गेट, निशू व वासिफ निवासी गंदा नाला के सामने टाल व अज्ञात बहुत से मुस्लिम समाज के लोग योजनाबद्ध तरीके से घेरकर रास्ता रोक लिया। अभिषेक गुप्ता के हाथ से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक दिया व पाकिस्तान जिंदाबाद, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए धमकी दी कि इस रास्ते से जाना है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना होगा। मेरे पुत्र अभिषेक उर्फ चंदन के विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने ईट –पत्थरों से पथराव व फायरिंग करते हुए एलान किया कि जान से मार दो सालों को। उक्त लोगों के उकसाने पर सलीम पुत्र बरकतउल्ला ने अपने हाथ में लिए हुए हथियार से अभिषेक पर निशाना साधते हुए जान से मारने की नियत से गोली मार दी जिससे मेरा पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उक्त लोगों के पथराव व फायरिंग से उसके अन्य साथी भी घायल हो गये। तभी विवेक अपने भाई चंदन को अपने अन्य साथियों के साथ थाना कासगंज लेकर पहुंचे वहां से तुरंत पुलिस ने जिला चिकित्सालय भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने मेरे पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को मृत घोषित कर दिया। साहब मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है इन लोगों के पथराव व फायरिंग से बाजार में भगदड़ मच गयी। शहर में भय व आतंक का माहौल पैदा हो गया। दुकानदार अपनी–अपनी दुकानें बंद करके भाग लिए, रास्तागीर भी छिप छिपाकर अपने आपको को बचाते हुए निकले। शहर में अशांति का माहौल हो गया। साहब इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाये। उपरोक्त मुल्जिमों के साथ नसरूददीन व अकरम भी वहां मौजूद थे। इस घटना की एफ०आई०आर० मैंने बोल–बोल कर एक अज्ञात व्यक्ति से लिखवायी थी फिर उसने मुझे पढ़कर सुनायी थी तब मैंने इस पर हस्ताक्षर कर थाने में दी थी। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था और मैंने दरोगा जी को घटना का नक्शा नजरी बनवाया था।

14. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–3 के रूप में सौरभ पाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–26.01.2018 को राष्ट्रध्वज तिरंगा यात्रा प्रभु पार्क से निकाल रहे थे और पूरे शहर में भ्रमण करने की राय थी, जो यात्रा हम लोग प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त व

26 जनवरी के अवसर पर भी निकालते है। मेरी इस तिरंगा यात्रा में चन्दन गुप्ता व उसका भाई विवेक गुप्ता, प्रतीक, महेश्वरी, प्रतीक मालु, राहुल गुप्ता तथा अन्य लोग लगभग 35–40 मोटर साइकिले थी, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लिए सवार थे। तिरंगा यात्रा लेकर हम लोग समय करीब नौ साढ़े नौ बजे सुबह जब बद्दूनगर पहुंचे तो वहां पहले से रास्ता रोककर मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए थे। उन लोगों ने हम लोगों को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया और पथराव लाठी–डण्डों से हमला कर दिया। हम अपनी बाइकें मोटर–साइकिलें छोड़कर कुछ लेकर हम लोग जान बचाकर भागे। जब हम लोग बिलराम गेट चौराहा पर पहुंचे तो वहां भी पथराव हो रहा था। हम लोग वहां से बचकर राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिये हुए भारत माता की जय कहते हुए तहसील गली की ओर जाने लगे जहां पहले से घात लगाकर सलीम के घर के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने हमे घेर लिया, जिसमें सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ हिटलर आसिफ जिम वाला, हासिम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, बब्लू, निशु, असलम, राहत व लगभग 100 लोग जिनके हाथों में अवैध असलहे डण्डा, तमंचा आदि लिये हुए थे। उन्होंने हमे घेर लिया और एकजुट होकर बोले कि ये साले हिन्दू रोज–रोज हिन्दुस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आज इन्हें देख लिया जाय और हमारे हाथों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक कर पैरों से रौंदने लगे और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे और लोगों ने सलीम से कहा कि चूक मत जाना और सलीम ने अपना असलहा निकाला और फायर किया जो गोली चन्दन गुप्ता को लगी और बहुत से लोगों को चोटें आई और चन्दन गुप्ता लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। चन्दन गुप्ता को हम लोग वहां से उठाकर व तिरंगा उठाकर कोतवाली की तरफ चल दिये। कोतवाली कासगंज से पुलिस जीप से सरकारी अस्पताल ले गये। जहां डाक्टरों ने चन्दन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जिन लोगों को चोटें आयी थी उन्होंने मेडिकल नहीं कराया था। चन्दन गुप्ता का पोस्टमार्टम हुआ था। इस घटना के बाद लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था। शहर में जगह–जगह पथराव आगजनी की घटनाएं होने लगी। पुलिस ने घर पर आकर मेरा बयान लिया था।

15. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–4 के रूप में विवेक गुप्ता को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–26.01.2018 की घटना है, उस दिन मैं और मेरा भाई अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन गुप्ता तथा प्रतीक मालू, विवेक माहेश्वरी, लखन प्रताप सिंह, सौरभ पाल व अन्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रगान करने के बाद तीस से चालीस मोटर साइकिलों पर सवार होकर हाथों व मोटरसाइकिलों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर प्रभु पार्क से

तिरंगा रैली प्रारम्भ की। जैसे ही हम लोग बड्डूनगर में पहुंचे, वहां पर मुसलमानों के लड़के झुण्डों में खड़े थे, जिनमें ज्यादातर युवा थे। रास्ते से निकलने पर हम लोगों में वाद–विवाद होने लगा फिर वो लोग (मुसलमानों के लड़के) हमको लाठी, डण्डों से मारने लगे व पथराव करने लगे। हम लोग ज्यादातर मोटरसाइकिलें वहीं पर छोड़कर व कुछ को साथ में लेकर वहां से भागे और बिलराम गेट चौराहे पर पहुंचे। वहां भी तोड़फोड़, मारपीट, पथराव, फायरिंग हो रही थी। यह सब मुसलमानों के लड़कों द्वारा की जा रही थी। ईंट–पत्थर, फायरिंग किस हथियार से हो रही थी नहीं पता। हम लोग वहां से भागे बीच–बीच में भी हम पर पथराव व फायरिंग हुई। हम लोग तहसील रोड होकर भागना चाह रहे थे। जैसे ही हम लोग तहसील रोड पर ददार इण्टर कालेज के पास सलीम के मकान के पास पहुंचे, वहां पर पहले से ही एक राय, संगठित होकर सलीम, वसीम, नसीम पुत्रगण बरकतउल्लाह उर्फ बर्की, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर पुत्र भूरे खां, जाहिद उर्फ जग्गा पुत्र शरीफ खां, आसिफ जिमवाला पुत्र नौशे खां, मुनाजिर रफी व आमिर रफी पुत्र रफीउल्लाह, असीम कुरैशी पुत्र भूरे खां, अकरम, असलम कुरैशी, राहत, नीशू, बबलू, वासिफ, नसरुद्दीन, तौफीक, खिल्लन, मोहसिन, शबाव, सलमान, शमशाद, अजीजुद्दीन, फैजान, खालिद परवेज, शाकिब, इमरान, शाकिर, इमरान पुत्र अब्दुल कयूम, जफर आदि मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे।

16. ये लोग हमको देखकर बोले ये साले हिन्दू यहां भी आ गए, ये लोग रोज–रोज बड़ी–बड़ी रैली निकालते रहते हैं। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद व हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं। आज इन लोगों से निपट लिया जाए और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे और हमारे हाथ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीन–छीन कर फेंक दिए और एलान कर दिया कि यहां से निकलना है तो पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद बोलना होगा और फिर बोले यह हरामजादे हिन्दू है, ये नहीं मानेंगे, आज सालों को जिन्दा नहीं जाने देना है। आज मौका है, चूक मत जाना। "दो सालों को निशाना साध के गोली" और फिर सलीम ने अपने असलहे से मेरे भाई चन्दन को गोली मार दी। गोली लगते ही मेरा भाई चन्दन गिर गया फिर ये लोग चिल्लाए, हो गया काम और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे। उस पथराव में मुझे व अन्य लोगों को चोटे आई थीं, जिसकी हमने कोई डाक्टरी नहीं कराई थी। हम लोग जैस–तैसे घायल चन्दन को व गिरे हुए तिरंगों को वहां से उठाकर भागे और थाना पहुंचे, जहां पुलिस की मदद से चन्दन को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने चन्दन को मृत घोषित कर दिया। बाद में पिताजी, पंचनामा व कार्यवाही करने लगे, इस कृत्य में नगर की

लोक व्यवस्था भंग हो गई, चारो तरफ अफरा–तफरी का माहौल हो गया। नगर में जगह–जगह पथराव व फायरिंग होने लगी। सभी लोग अपनी–अपनी दुकानें बन्द करके भागने लगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बैंड बाजे कार्यक्रम व विद्यालयों की रैलियां स्थगित कर दी गई। विद्यालयों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने शिक्षार्थियों के अभिभावकों की मदद से उनको, उनके घर पहुंचाया। नगर में भगदड़ मच गई। सभी लोग भयभीत हो गए, जिसे कासगंज व बाहर की पुलिस ने बाद में संभाला। घटना से सम्बन्धित DUD पुलिस को मैने दी थी, मेरी लिखा पढ़ी हुई थी, मेरे हस्ताक्षर भी करवाये थे। सम्बन्धित फर्द न्यायालय पत्रावली में मौजूद है, जिसपर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ।

17. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–5 के रूप में विजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–27.01.2018 को मैं थाना कासगंज कोतवाली जनपद कासगंज में का०/क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी समय सायं 08:00 बजे से सुबह 08:0 बजे तक कार्यालय कार्य लेख पर थी। उस दिन मैने वादी सुशील गुप्ता की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–60/2018 अन्तर्गत धारा–147,148,149,341,336,307,302,504,506,124A भा०दं०वि० तथा धारा–3 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम विरुद्ध सलीम आदि के विरुद्ध मैने चिक कम्प्यूटर पर किता की थी, जो मूल रूप से न्यायालय पत्रावली में संलग्न है जो प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। इस चिक से सम्बन्धित जी०डी० नकल रपट संख्या–02 दिनांकित–27.01.2018 समय 00:17 बजे अंकित की गयी थी, जिसमें तहरीर अंकित किये जाने सम्बन्धी विवरण व अन्य सम्बन्धित कार्यवाही का खुलासा किया गया था। उपरोक्त जी०डी० की प्रमाणित प्रति मैं अपने हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। जी०डी० अंकित करने के क्रम में ही मेरे द्वारा चिक दिनांक–27.01.2018 समय 00:17 बजे किता की गई थी।

18. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–6 के रूप में यशकान्त को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–31.01.2018 को मैं थाना कासगंज जनपद कासगंज में तैनात था और मैने उस दिन फर्द बरामदगी आलाकत्ल एक अदद तमंचा व गिरफ्तारशुदा अभियुक्त सलीम से सम्बन्धित फर्द तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह कोतवाली कासगंज द्वारा दी गई फर्द बरामदगी के आधार पर चिक मु०अ०सं०–69/2018 धारा–3/25 आयुध अधिनियम समय 15:33 बजे कम्प्यूटर पर मेरे द्वारा अभियोग

की कायमी अभियुक्त सलीम के विरुद्ध दर्ज की गई। जिसका खुलासा जी०डी० नं०–40 समय 15:33 बजे दिनांकित–31.01.2018 में किया गया है। यह चिक मूल रूप से न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी श्री रिपुदमन सिंह के सूक्ष्म हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनांक–07.02.2018 को मैं थाना कासगंज में कार्यालय का० मुहर्रिर के पद पर तैनात था और उस दिन मैने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कासगंज रिपुदमन सिंह द्वारा लिखित फर्द बरामदगी दो अदद तमंचा व कारतूस तथा गिरफ्तारी दो नफर अभियुक्त वसीम व नसीम के आधार पर मु०अ०सं० –81/2018 धारा–3/25 आयुध अधिनियम विरुद्ध वसीम समय 16:31 बजे तथा अभियुक्त नसीम के विरुद्ध मु०अ०सं०–82/2018 धारा–3/25 आयुध अधिनियम समय 16:31 बजे जिनका खुलासा नकल रपट सं०–38 दिनांकित–07.02.2018 समय 16:31 बजे किया गया था, दोनों चिक मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है तथा तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है। मु०अ०सं०–88/2018 वादी चिक पर प्रदर्श क–6 तथा मु०अ०सं०–82/2018 वाली चिक पर प्रदर्श क–7 डाला गया।

19. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–7 के रूप में डॉ० अविनाश कुमार को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं जनवरी 2018 में उप मुख्य चिकित्साधिकारी के पद पर जनपद कासगंज में तैनात था। दिनांक–26.01.2018 को मेरी ड्यूटी शव परीक्षण हेतु पोस्टमार्टम हाउस कासगंज में थी। उस दिन मुझे शव परीक्षण हेतु मृतक अभिषेक उर्फ चन्दन का शव आरक्षीगण द्वारा सर्वमुहर हालत में 7 पुलिस प्रपत्रों के साथ प्राप्त कराया गया था, शव की शिनाख्त शव लाने वाले आरक्षीगण द्वारा की गयी थी। मृतक सामान्य कद काठी का था, राइगर मार्टिस पूरे शरीर पर मौजूद थी, दोनों आँखे बंद थी, थोरेम्स के विच्छेदन पर पाया कि बायीं ओर का प्लूरा फटा पाया गया एवं बायां फेफड़ा फटा पाया गया। ऐबडोमेन पेरीटोनियम फटी हुई थी एवं पैरीटोनियल कैविटी लगभग डेढ़ लीटर खून पाया गया।

<u>मृत्यु पूर्व चोटें निम्नवत् है–</u>

लेसरेटेड इन्ट्रीउन्ड जिसका साईज 1x2 सेमी ओवल शेप इनवर्टेड डीप कैविटी आब्लिकली उपस्थित था। घाव के चारो तरफ ब्लेंकनिंग पायी गयी थी।

2x1 सेमी० दाहिनी कोहनी पर एब्रेजन पाया गया।

थोरेसिक कैविटी में लगभग 2 लीटर ब्लड पाया गया।

नोट–

1. येलो कलर मैटेलिक बुलट दाहिनी ओर लोवर ऐबडोमेन में पायी गयी थी, जिसे सील करके पुलिस को दे दी गयी थी।
2. गोली का डायरेक्शन आब्लिकली बायीं से दाहिनी ओर था।
3. वीडियोग्राफी की चिप पुलिस को हैण्डओवर कर दी गयी थी। एक्सरे की 3 प्लेटे पुलिस को हैण्डओवर कर दी गयी थी।

मृत्यु का कारण– चोटों की वजह से अत्यधिक रक्तश्राव के कारण मृत्यु हुई। मृत्यु का सम्भावित समय लगभग 6 घंटे पूर्व का रहा होगा।

20. शव परीक्षण के उपरान्त शव परीक्षण रिपोर्ट संख्या–27/18 मैने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। जो मूल रूप में पत्रावली में संलग्न है, इस पर मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। शव परीक्षण रिपोर्ट पर प्रदर्श क–8 डाला गया। शव परीक्षण करने के उपरान्त शव, शव परीक्षण रिपोर्ट व अन्य सम्बन्धित प्रपत्र शव लाने वाले आरक्षी को प्राप्त करा दिया था।

21. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–8 के रूप में एस०आई० रामेश्वर दयाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक 26 जनवरी 2018 को मैं थाना कासगंज जनपद कासगंज में तैनात था। इसी दिनांक को जिला अस्पताल के वार्ड ब्वाय ने मेमो दाखिल करते हुए मृतक अभिषेक उर्फ चन्दन की गोली लगने से मृत्यु होने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। इस सूचना पर मैं उपनिरीक्षक मय हमराही कान्स्टेबिल 225 धर्मेन्द्र शुक्ला व कांस्टेबिल 339 जितेन्द्र शर्मा को थाना हाजा से रपट सं० –34 समय 13:15 बजे बाद लेकर पंचायतनामा व अन्य कागजात रवाना होकर संयुक्त जिला चिकित्सालय कासगंज आया। जहां मृतक का शव अस्पताल प्रांगण में स्ट्रेचर पर सिर जानिब दिशा पूरब व पैर पश्चिम चित अवस्था में रखा मिला। शव के चारो तरफ परिवारीजन विलाप कर रहे थे। उपस्थित लोगों में से पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही समय 13:45 बजे प्रारम्भ की गई। पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान स्थिति शव, मृतक के शव, हुलिया शव, चोट शव, जिसमें मृतक के बाए कन्धे से नीचे बाजू में गोली लगने का निशान, खून मसुड़ा–दाहिने पैर में घुटने में नीचे चोट खुरसट अंकित कर कपड़ा शव जिसमें मृतक ने क्वालिटी शर्ट, टीशर्ट, गर्म बनियान, स्टेली रंग, सैण्डो बनियान नीला रंग, अण्डरवीयर नीला पैण्ट जीन्स नीला, काली बेल्ट, दाहिना हाथ में लाल व काला कलावा तथा सफेद धातु का कड़ा पहन रखा था। शव से कोई सम्पत्ति बरामद नहीं हुई। इसके बाद मेरे द्वारा नियुक्त पंचान की राय अंकित कराई थी तथा अपनी राय अंकित करते हुए मृतक अभिषेक उर्फ चन्दन का शव एक कपड़े में रखकर सील

सर्व मुहर कर मृत्यु का सही कारण जानने हेतु वास्ते पोस्टमार्टम शव को कांस्टेबल धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला व जितेन्द्र शर्मा को सुपुर्द कर मोर्चरी भेजा था तथा पंचायतनामा रिपोर्ट मैने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में जो न्यायालय पत्रावली में मौजूद है, प्रपत्र सं०–22अ/2 व 22अ/3 के रूप मे संलग्न है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। पंचनामे की कार्यवाही के साथ–साथ मैने CMO चिट्ठी, फोटो नाश, चालान नाश मैने तैयार कराया था जो मूल रूप से न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, इन पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। CMO चिट्ठी वास्ते पोस्टमार्टम प्रदर्श क–10, फोटो नाश पर प्रदर्श क–11 व चालान नाश पर प्रदर्श क–12 डाला गया। पोस्टमार्टम के समय पोस्टमार्टम कार्यवाही की वीडियोग्राफी तथा पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराये जाने हेतु भी मैने एक पत्र CMO को दिया था, जो न्यायालय पत्रावली में मूल रूप से संलग्न है, इस पर भी अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

22. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–9 के रूप में सुनील कुमार को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अ०सं०–63/18 धारा–25 आयुध अधिनियम थाना कासगंज, जनपद– कासगंज को दि० 27.01.2018 को मेरे द्वारा एस०एच०ओ० श्री रिपुदमन सिंह के द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर विरुद्ध बबलू पुत्र अनवार अहमद का मुकदमा कम्प्यूटर पर पंजीकृत किया था। बरामदगी मुताबिक फर्द है, जो अक्षरशः टाइप किया था, जो पत्रावली अ०सं०–63/18 में संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया तथा अ०सं०–65/18 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना– कोतवाली कासगंज, जनपद–कासगंज, विरुद्ध मोहसिन उर्फ अली पुत्र बाबू खां एस०एच०ओ० श्री रिपुदमन सिंह के द्वारा दाखिल फर्द के आधार पर मुकदमा कम्प्यूटर पर अक्षरशः फर्द है, जो पत्रावली में मौजूद लेमीनेशन फर्द व एफ०आई०आर० संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया तथा अपराध सं०–78/18 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना– कोतवाली कासगंज, जिला– कासगंज विरुद्ध सलमान पुत्र चमन के विरुद्ध एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह द्वारा दाखिल फर्द के आधार कम्प्यूटर द्वारा मेरे द्वारा दिनांक–06.02.2018 को अक्षरशः टाईप किता किया था। बरामदगी फर्द मुताबिक है, जो पत्रावली में संलग्न एफ०आई०आर० लेमोनेश है, जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

23. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–10 के रूप में राजेश बाबू यादव उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–03.02.2018 को मैं कासगंज कोतवाली में बतौर

का०/क्लर्क के पद पर तैनात था और मैने उस दिन तत्कालीन उप निरीक्षक श्री अवधेश कुमार भदौरिया की लिखित फर्द बरामदगी एक अदद तमन्चा व दो कारतूस तथा गिरफ्तारी अभियुक्त राहत पुत्र मो० जफर के आधार पर मु०अ०सं० –72/18 धारा–3/25 आयुध अधिनियम थाना कासगंज विरुद्ध अभियुक्त राहत समय 11:00 बजे से सम्बन्धित चिक कम्प्यूटर पर मैने अंकित की थी, जो मूल रूप से न्यायालय पत्रावली मे संलग्न है तथा तत्कालीन उपनिरीक्षक सुरेश चन्द्र शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी पुष्टि मैं करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–17 डाला गया। मुकदमें में सम्बन्धित कायमी जी०डी० नं०–22 दिनांकित–03.02.2018 समय 11:00 बजे भी मेरे द्वारा अंकित की गयी थी। जो न्यायालय पत्रावली में प्रपत्र संख्या अ –7/1 के रूप में संलग्न है। इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–18 डाला गया। विवेचना के दौरान विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

24. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–11 के रूप में अवधेश कुमार थानाध्यक्ष जी०आर०पी०, उरई को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि फरवरी 2018 में काशगंज कोतवाली में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था उस दिन मैं हमराहीगण का० विशाल मिश्रा, का० महेन्द्र सिंह के साथ दि०– 03.02.2018 को रोकथाम जुर्म जरायम व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी में मामूर थे। जैसे ही गस्त करते हुए ठण्डी सड़क पर आए तो मुखबिर खास ने बताया कि दिनांक–26.01.2018 की घटना में सामिल एक अभियुक्त इस्माईलपुर रोड पर बने गेट के पास खड़ा है तथा उसके पास एक नाजायज असलहा भी है, किसी का इन्तजार कर रहा है, जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की तो भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। बामजबूरी हम पुलिस वालों ने एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर पूरा यकीन किया कि किसी के पास की अपराध सम्बन्धी वस्तु नहीं है, और मुखबिर को साथ लेकर बताये स्थान की तरफ चल दिये। मुखबिर ने इस्माईलपुर रोड पर बने गेट से करीब 25 मीटर पहले गेट की तरफ संकेत करके बताया कि जो व्यक्ति गेट के सहारे खड़ा है वही व्यक्ति है, जिसके पास नाजायज हथियार है और उसने दिनांक 26.01.2018 को अपने साथियों के साथ तहसील रोड पर बड्डूनगर, बलग्राम गेट चौराहे पर घटनाएं की थी और मुखबिर चला गया। हम लोगों ने तेजी से छिपते–छिपाते अमीर खुसरो गेट पर पहुंचे तो गेट के सहारे खड़ा व्यक्ति हम पुलिस वालों को देखकर सकपकाया और इस्माईलपुर की तरफ भागने का प्रयास किया। एक बारगी दबिश देकर उस व्यक्ति को घेरकर समय करीब 09:20 A.M. पर गेट से करीब 25–30 कदम दूरी पर पकड़

लिया। नाम पता पूँछकर जामा तलाशी ली तो उसने अपना नाम राहत पुत्र मो0 जफर निवासी इस्माईलपुर रोड थाना कासगंज, जिला– कासगंज बताया। जामा तलाशी से पहने पैंट की दाहिनी फेंट से एक अदद तमन्चा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ जो चालू हालत में था और पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुए, लाईसेन्स तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी मांगने लगा और बताया कि साहब दिनांक– 26.01.2018 को तिरंगा रैली में तिरंगा रैली वालों से झगड़ा हो गया था, जिसमें चन्दन गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। दोनों तरफ से फायरिंगबाजी व ईंट–पत्थर चले थे, जिसमें हमारे पक्ष से नौशाद घायल हुआ था। इसी रंजिश की वजह से अपनी सुरक्षा के लिए यह तमन्चा व कारतूस रखे हुए था। अभियुक्त को अपराध का कारण बताते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हिरासत में लिया गया। बरामद तमन्चा व कारतूस को कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी मौके पर तैयार की गई और बरामदशुदा तमन्चे की हुलिया सम्बन्धी विवरण फर्द में अंकित किया गया था तथा फर्द की नकल अभियुक्त को दी गयी थी। फर्द को पढ़कर सुनाकर अन्य सभी सम्बन्धित के साथ–साथ मैने भी अपने हस्ताक्षर किये थे। यह फर्द मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है। इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–19 डाला गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी से सम्बन्धित गिरफ्तारी प्रपत्र मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में शामिल है। इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूं। इस पर प्रदर्श क–20 डाला गया। बरामदशुदा नाजायज सलहा व कारतूस मय मुल्जिम थाना कासगंज में दाखिल कर मुकदमा दर्ज कराया था। एक सर्व मुहर बण्डल जिसपर मु0अ0स0–72/2018 अंकित है तथा अभियुक्त का नाम राहत थाना– कासगंज, धारा–3/25 ए.एक्ट तथा बण्डल पर तमन्चा देशी 315 बोर व दो कारतूस अंकित है। न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर व दो कारतूस 315 बोर निकले, जिसको देखकर साक्षी ने बताया कि यह वही तमन्चा व कारतूस है जो अभियुक्त राहत की गिरफ्तारी के समय उसके पास से तलाशी में बरामद हुए थे और मेरे द्वारा मौके पर सर्व मुहर किया गया था, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। देशी तमन्चे पर वस्तु प्रदर्श–1 तथा दोनों कारतूसों पर संयुक्त रूप से वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया।

25. विवेचना के उपरान्त अभियुक्त राहत के विरुद्ध अपराध पाते हुए आरोपपत्र संख्या–125/2018 न्यायालय में तत्कालीन उप निरीक्षक जय प्रकाश द्वारा दिनांक–27.03.2018 को प्रेषित किया गया है, जो मूल रूप में न्यायालय की

पत्रावली में शामिल है, जो उपरोक्त उप निरीक्षक अजय प्रकाश द्वारा हस्ताक्षरित है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ में तैनाती के दौरान मैने उनको लिखते–पढ़ते व हस्ताक्षर करते देख है। इसी आधार पर मैं आरोप पत्र पर उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, आरोप पत्र प्रदर्श क–21 डाला गया।

26. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–12 के रूप में सुरेश चन्द्र शर्मा निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–03.02.2018 को मैं थाना/कोतवाली कासगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उसी दिन मु०अ०सं०–72/2018 धारा–25 ए.एक्ट विरुद्ध राहत से सम्बन्धित विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट प्राप्त कर मैने उसी दिन केस डायरी का पर्चा संख्या–1 किता किया, जिसमें मैने नकल चिक, नकल रपट, बयान लेखक एफ०आई०आर० सी०सी० 288 राजेश कुमार एवं बयान अभियुक्त राहत अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं०–2 दिनांकित–04.02.2018 में मैने बयान वादी तत्कालीन उपनिरीक्षक अवधेश कुमार भदौरिया एवं बयान गवाह फर्द का0 688 महेन्द्र सिंह व कां० 684 विशाल मिश्रा अंकित किये तथा उसी दिन वादी मुकदमा एस०आई० श्री अवधेश कुमार भदौरिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया तथा उससे सम्बन्धित विवरण केस डायरी के उक्त पर्चे में अंकित करते हुए समई साक्ष्य साक्षी शोएब व रजीउद्दीन अंकित किये। नक्शा–नजरी मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में शामिल है, जिस पर मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–22 डाला गया। केस डायरी का पर्चा नं०–3 दिनांकित–24.02.2018 में मैने मजीद बयान व विस्तृत बयान साक्षीगण फर्द का० महेन्द्र सिंह व विशाल मिश्रा अंकित किया। अभियोजन स्वीकृति हेतु समस्त केस डायरी के पर्चे जिलाधिकारी महोदय कासगंज मय माल मुकदमाती कार्यालय में प्राप्त कराये, जो बाद में दिनांक–09.03.2018 के आदेश द्वारा अभियोजन स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदान की गई थी, जिसको तत्कालीन उप निरीक्षक अजय प्रकाश जो इस मुकदमें के विवेचक भी रहे हैं, विवेचना के दौरान केस डायरी के पर्चा नं०–4 दिनांकित–27.03.2018 में उनके द्वारा उसकी नकल की गई है तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उन्हीं के द्वारा अभियुक्त राहत के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या –125/2018 दिनांक–27.03.2018 को अन्तर्गत धारा–3/25 ए.एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया गया है, मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। उपरोक्त उप निरीक्षक अजय प्रकाश की मृत्यु हो चुकी है। केस डायरी के पर्चे तथा आरोप पत्र पर उनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–21 पड़ा

हुआ है। अभियोजन स्वीकृति आदेश जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक–09.03.2018 को जारी किया गया था, जो मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में शामिल है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–23 डाला गया।

27. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–13 के रूप में महेश चौधरी उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–28.01.2018 को मैं थाना/कोतवाली कासगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और मुझे उस दिन मु०अ०सं०–63/2018 धारा– 25 ए.एक्ट की विवेचना प्राप्त हुई थी और मैने इसी दिन केस डायर का पर्चा नं०–1 किता किया था, जिसमें मैने थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट, प्राप्त करने नकल फर्द, नकल रपट, बयान लेखक एफ०आई०आर० का० बिजेन्द्र सिंह, बयान अभियुक्त बब्लू अंकित करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया तथा नकल चिक, नकल रपट संलग्न सीडी किया गया। केस डायरी का पर्चा नं० –2 दिनांकित–29.01.2018 में मैने पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र द्वारा एस०आई०टी० विवेचना हेतु गठित की गई थी, जो थाना कासगंज क्षेत्र से सम्बन्धित थी, सम्बन्धित आदेश की नकल मेरे द्वारा इस पर्चे में की गई। उपरोक्त आदेश के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक क्राइम ब्रान्च कासगंज को सौंपी गई थी, उससे सम्बन्धित विवरण भी मेरे द्वारा अंकित किया गया था। केस डायरी का पर्चा नं० –3 दिनांकित–30.01.2018 तत्कालीन निरीक्षक/विवेचक लेखराज सिंह द्वारा किता किया गया है तथा जिसमें उन्होंने विवेचना प्राप्त करने तथा पूर्व विवेचक द्वारा किता किये गये पर्चो का अवलोकन करने उससे सम्बन्धित विवरण अंकित किया है। केस डायरी का पर्चा नं० –4 दिनांकित–02.02.2018 में मैने पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ के आदेश दिनांकित–28.01.2018 के द्वारा पुनः इस प्रकरण की विवेचना मुझे सुपुर्द की गई थी। सम्बन्धित आदेश की नकल मैने इस पर्चे में किया था। केस डायरी का पर्चा नं० –5 दिनांकित–12.02.2018 में मैने बयान वादी तत्कालीन एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह का अंकित करते हुए वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था तथा उससे सम्बन्धित विवरण इस पर्चे में करते हुए समई साक्ष्य श्री मुकेश कुमार तथा शोहराब अंकित किये थे। नक्शा–नजरी न्यायालय पत्रावली में मूल रूप में संलग्न है , इस पर मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–24 डाला गया। केस डायरी का पर्चा नं०–6 दिनांकित–23.02.2018 में मैने अभियुक्त की 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा हेतु रिपोर्ट देने सम्बन्धी विवरण अंकित किया तथा केस डायरी के पर्चा नं० –7 दिनांकित–01.03.2018 में मैने बयान साक्षीगण तत्कालीन उप

निरीक्षक सुरेश चन्द्र वर्मा, आरक्षी विकास शर्मा, आरक्षी बलबीर सिंह, आरक्षी अजय पाल, आरक्षी अवधेश अंकित किये। केस डायरी का पर्चा नं० –8 दिनांकित–25.03.2018 में मैने तत्कालीन निरीक्षक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु रिमाइन्डर सम्बन्धी आदेश की नकल करते हुए साक्षी जुगनू के बयान अंकित किये, जिसमें उसने बताया कि अपनी डीबीबीएल गन 12 बोर किसी बब्लू नाम के व्यक्ति को नहीं दे रखी है, बल्कि मेरी उपरोक्त बन्दूक M/S जाहिद अली Arms and amunation डीलर की दुकान पर जमा है। इसी क्रम में इसी पर्चे में मैने उपरोक्त दुकान के मालिक जाहिद अली के बयान अंकित किये, जिसमें उसने जुगनू के बयान की पुष्टि अपने अभिलेखों के आधार पर की। केस डायरी का पर्चा नं० –8 ए दिनांकित–25.03.2018 में मैने एफ०आई०आर० में अभियुक्त बब्लू के बताये अनुसार यह अंकित किया गया था कि अभियुक्त बब्लू के पास से बरामद बन्दूक जुगनू नामक व्यक्ति से ली गई है, बरामद बन्दूक पर नम्बर अंकित होने के कारण विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बब्लू के पास से बरामद बन्दूक जुगनू से बन्दूक प्राप्त न होकर अवैधानिक रूप से अपने पास रखी गयी अवैध बन्दूक है। केस डायरी का पर्चा नं०–9 दिनांकित–27.03.2018 में मैने अभियुक्त बब्लू के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति आदेश श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट कासगंज द्वारा दिनांक–27.03.2018 को प्राप्त कर उससे सम्बन्धित विवरण केस डायरी के इसी पर्चे में अंकित करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या–126/2018 धारा–25 ए.एक्ट न्यायालय में दिनांक–27.03.2018 को न्यायालय में प्रेषित किये जाने सम्बन्धी विवरण इसी पर्चे में अंकित किया था। श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट कासगंज द्वारा अभियोग चलाये जाने सम्बन्धी अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांकित–27.03.2018 जो विवेचना के दौरान प्राप्त कर मेरे द्वारा संलग्न सी०डी० किया गया था, वह मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है , जो तत्कालीन जिलाधिकारी 8 आर०पी० सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क –25 डाला गया। सम्बन्धित आरोप पत्र भी मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–26 डाला गया।

28. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–14 के रूप में विजय पाल सिंह उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि माह जनवरी 2018 में थाना कासगंज जिला कासगंज में मैं उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और दिनांक–31.01.2018 को मु०अ०सं०–69/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट विरुद्ध सलीम से सम्बन्धित विवेचना मुझे प्राप्त हुई

थी। मुकदमे से सम्बन्धित नकल चिक, नकल रपट आदि अभिलेख थाना कार्यालय से प्राप्त कर विवेचना प्रारम्भ की थी और इसी दिन केस डायरी का पर्चा नं० –1 किता किया था, जिसमें नकल फर्द बरामदगी, आलाकत्ल एक अदद तमन्चा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, नकल रपट, बयान लेखक एफ०आई०आर० आरक्षी यशकान्त व बयान अभियुक्त सलीम अंकित कर नकल चिक, नकल रपट, गिरफ्तारी मेमो, तस्करा पूछताछ संलग्न सीडी किया। दिनांक–06.02.2018 को मैने मुकदमा अपराध संख्या–78/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट विरुद्ध अभियुक्त सलमान से सम्बन्धित विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। थाना कार्यालय कासगंज से नकल चिक, नकल रपट व अन्य अभिलेख प्राप्त कर विवेचना शुरू की, और इसी दिन मैने केस डायरी पर्चा नं०–1 में नकल फर्द बरामदगी एक अदद तमन्चा 12 बोर व 2 अदद कारतूस 12 बोर व गिरफ्तारी एक नफर अभियुक्त, नकल रपट बयान लेखक एफ०आई०आर० आरक्षी सुनील कुमार, बयान अभियुक्त सलमान अंकित किये तथा सम्बन्धित प्रपत्रों को संलग्न सीडी किया।

29. केस डायरी का पर्चा नं०–2 दिनांकित–07.02.2018 में मैने बयान वादी तत्कालीन एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह तथा उनकी निशानदेही पर बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार कर उससे सम्बन्धित विवरण केस डायरी में अंकित किया तथा इसी पर्चे में समई साक्षीगण लकी शर्मा व कमलेश के बयान अंकित करने के साथ–साथ साक्षी रामेश्वर दयाल तत्कालीन उप निरीक्षक के बयान अंकित किये। बरामदगी स्थल से सम्बन्धित नक्शा–नजरी मेरे द्वारा तैयार किया गया, जो मूल रूप में पत्रावली में संलग्न है, इस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। केस डायरी का पर्चा नं०–3 दिनांकित–20.02.2018 में मैने बयान साक्षीगण आरक्षी विकास शर्मा, अजय पाल, बलबीर सिंह अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं०–4 दिनांकित–16.03.2018 में मैने विवेचना के दौरान अभियुक्त सलमान के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र संख्या –103/2018 अन्तर्गत धारा–3/25 ए.एक्ट दिनांक–16.03.2018 को करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। केस डायरी का पूरक पर्चा दिनांकित–06.04.2018, मेरे उपलब्ध ना रहने के कारण तत्कालीन उप निरीक्षक इन्दू वर्मा द्वारा किता किया गया, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा अभियोजन अनुमति आदेश का अवलोकन कर विवरण अंकित किया। मैं उपरोक्त उप निरीक्षक इन्दू वर्मा के हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, इसी आधार पर किता किये गये पर्चे की पुष्टि करता हूँ। अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांकित–05.04.2018 मूल रूप में पत्रावली में संलग्न है, जो तत्लाकीन जिलाधिकारी महोदय श्री आर०पी० सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी मैं

पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क –28 डाला गया तथा आरोपपत्र भी मूलरूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, जो मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–29 डाला गया।

30. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–15 के रूप में जंगबहादुर सिंह ए०एस०आई० (सेवानिवृत्त) को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक –07.02.2018 को मैं थाना/कोतवाली कासगंज जिला कासगंज पर सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था और उस दिन मु०अ०सं०–81/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट कोतवाली कासगंज व धारा–207 एम०वी० एक्ट की विवेचना जो अभियुक्त वसीम के विरुद्ध था। तत्कालीन एच०सी०पी० हरिशंकर को मिली थी और उन्होंने उस दिन केस डायरी का पर्चा नं० –1 किता किया, जिसमें नकल फर्द, नकल रपट व बयान अभियुक्त वसीम अंकित कर माननीय न्यायालय में पेश करते हुए 14 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। पर्चा नं० –2 दिनांकित–11.02.2018 किता किया, जिसमें बयान वादी एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह कोतवाली कासगंज, बयान गवाह उपनिरीक्षक रामेश्वर दयाल, आरक्षी विकास शर्मा, आरक्षी अजयपाल सिंह, आरक्षी बलबीर सिंह, बयान लेखक एफ०आई०आर० आरक्षी यशकान्त अंकित किये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षक कर नक्शा–नजरी तैयार किया तथा इसी पर्चे में बयान समई साक्षीगण भरत सिंह व राम भरोसे अंकित किया। पर्चा नं०–3 दिनांकित–20.02.2018 तत्कालीन उपनिरीक्षक सोहन पाल द्वारा किता किया गया, जिसमें उन्होंने अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। पर्चा नं० –4 दिनांकित–23.02.2018 में मैने अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने सम्बन्धी विवरण अंकित किया है। पर्चा नं०–5 दिनांकित–10.03.2018 किता किया, जिसमें मैने जिला मजिस्ट्रेट महोदय कासगंज द्वारा अभियुक्त वसीम के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की नकल की गयी तथा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपपत्र संख्या–90/2018 अन्तर्गत धारा–3/25 ए.एक्ट दिनांक–10.03.2018 को न्यायालय में प्रेषित करते हुए उससे सम्बन्धित विवरण केस डायरी के इसी पर्चे में अंकित किया। विवेचना के दौरान नक्शा–नजरी मेरे द्वारा जो तैयार किया गया था वह मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, जिस पर मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि कराता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–30 डाला गया। अभियोजन स्वीकृति आदेश जो तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा दिनांक–07.03.2018 को जारी किया गया था तथा उसको मेरे द्वारा प्राप्त कर उसकी नकल केस डायरी में करते हुए संलग्न

सीडी किया गया था, जो मल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–31 डाला गया। मेरे द्वारा न्यायालय में अभियुक्त वसीम के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, इस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–32 डाला गया।

31. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–16 के रूप में अजब सिंह सेवानिवृत्त निरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि जनवरी 2018 में मैं एटा जनपद में अपराध शाखा में निरीक्षक के पद पर तैनात था। कासगंज में 26 जनवरी 2018 में फसाद हुआ था, जिसमें एस०आई०टी० गठित हुई थी और मुझे मु०अ०सं०–69/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट बनाम सलीम थाना व जनपद कासगंज की विवेचना एस०पी० क्राइम जो एस०आई०टी० में शामिल थे, के आदेश से मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी। इसके पूर्व इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कासगंज विजयपाल सिंह द्वारा की जा रही थी, उन्होंने दिनांक–31.01.2018 को विवेचना ग्रहण करके सीडी का पर्चा नं०–1 किता किया, जिसमें उन्होंन थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट, व अन्य कागजात प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण अंकित करते हुए नकल फर्द बरामदगी आलाकत्ल तमन्चा 315 बोर मय एक खोखा कारतूस व गिरफ्तारी अभियुक्त सलीम नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक यशकान्त, बयान अभियुक्त सलीम अंकित किया गया। दिनांक–02.02.2018 के आदेश तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक श्री ओ०पी० सिंह द्वारा मुझे इस प्रकरण की विवेचना आवंटित हुई थी और मैने विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त केस डायरी का पर्चा नं० –2 दिनांकित–04.02.2018 किता किया जिसमें मैने विवेचना प्राप्त करने सम्बन्धी विवरण पूर्व विवेचक विजयपाल सिंह द्वारा किता किया गये पर्चे का अवलोकन कर उसका विवरण अंकित किया है। केस डायरी का पर्चा नं० –3 दिनांकित–09.02.2018 किता किया, जिसमें मैने अभियुक्त सलीम को 14 दिवस की न्यायिक अभिरक्षा हेतु रिपोर्ट न्यायालय में देने सम्बन्धी विवरण अंकित किया तथा उसी दिन केस डायरी का पर्चा नं०–3A किता किया, जिसमें मुकदमें के वादी तत्कालीन थाना प्रभारी रिपुदमन सिंह का बयान अंकित किया तथा वादी उपरोक्त की निशानदेही पर बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार करके उससे सम्बन्धित विवरण पर्चे में अंकित करते हुए समई साक्षीगण आसिफ व निसार अंकित किया। नक्शा–नजरी मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में शामिल है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–33 डाला गया। केस डायरी का पर्चा

नं०–4 दिनांकित–10.02.2018 मे मैने बयान गवाह फर्द बरामदगी तत्कालीन निरीक्षक लेखराज सिंह, रमेश चन्द्र यादव निरीक्षक, उपनिरीक्षक मुकेश कुमार, निरीक्षक अशोक कुमार, आरक्षी अविनाश सिंह, आरक्षी धर्म सिंह, आरक्षी बलबीर सिंह, आरक्षी अजय पाल अंकित किये। केस डायरी का पर्चा नं० –5 दिनांकित–14.02.2018 में अभियुक्त सलीम के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा –3/25 ए.एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या–44/2018 न्यायालय में प्रेषित किया, जो न्यायालय पत्रावली में मूल रूप में संलग्न है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–34 डाला गया। एस०सी०डी० का पर्चा नं०–2 दिनांकित–25.02.2018 में मैने तत्कालीन जिलाधिकारी कासगंज के द्वारा अभियुक्त सलीम के विरुद्ध धारा –25/27 ए.एक्ट के तहत अभियोग सक्षम न्यायालय में चलाये जाने सम्बन्धी अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त कर उससे सम्बन्धित विवरण इस पर्चे में अंकित करते हुए विवेचना समाप्त करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। उपरोक्त अभियोजन स्वीकृति आदेश मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में शामिल है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिसपर प्रदर्श क–35 डाला गया।

32. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–17 के रूप में सोहनपाल वर्मा उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–29.01.2018 को मैं कोतवाली कासगंज, जिला–कासगंज में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु०अ०सं० –65/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट थाना कासगंज, विरुद्ध मोहसिन उर्फ अली पुत्र बाबू खाँ पंजीकृत मुकदमें की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई थी, थाना कार्यालय से मुझे नकल चिक, नकल रपट व अन्य सम्बन्धित कागजात प्राप्त कर विवेचना शुरू की और केस डायरी का पर्चा नं० –1 उसी तिथि को किता किया। जिसमें मैने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर० लेखक आरक्षी सुनील कुमार, बयान अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं० –2 जो दिनांकित–05.02.2018 में मैने बयान वादी एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह, बयान फर्द लेखक, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मोहर सिंह, फर्द गवाह आरक्षी अजय कुमार, बयान आरक्षी बलवीर, आरक्षी विकास, आरक्षी शीषपाल अंकित करते हुए वादी मुकदा रिपुदमन सिंह के साथ घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण करने तथा नक्शा नजरी तैयार करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। नक्शा–नजरी बरामदगीस्थल मूल रूप में पत्रावली में शामिल है, जिसको मैं अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–36 डाला गया। केस डायरी का पर्चा नं०–3 दिनांकित–09.02.2018 में मैने अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली के 14 दिवस

न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं० –4 दिनांकित–15.02.2018 में मैने साक्षी तत्कालीन निरीक्षक/विवेचक रमेश चन्द्र क्राइम ब्रान्च तथा तत्कालीन निरीक्षक लेखराज सिंह क्राइम ब्रान्च के बयान अंकित किये। केस डायरी का पर्चा नं० –5 दिनांकित–23.02.2018 में अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली की न्यायिक अभिरक्षा 14 दिवस सम्बन्धी विवरण अंकित किया। केस डायरी का पर्चा नं० –6 दिनांकित–28.02.2018 में मैने अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय कासगंज को सम्बन्धित अभिलेख व बरामदशुदा असलहा भेजे जाने सम्बन्धी विवरण अंकित किया है। केस डायरी का पर्चा नं० –7 दिनांकित–09.03.2018 में मैने अभियुक्त के 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया है। केस डायरी का पर्चा नं० –8 दिनांकित–10.03.2018 में मैने बरामदगी के साक्षीगण आरक्षी विकास कुमार, आरक्षी शेषपाल चालक, आरक्षी बलबीर के मजीद बयान अंकित किये। केस डायरी का पर्चा नं० –9 दिनांकित–23.03.2018 में मैने अभियुक्त उपरोक्त के 14 दिवस न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित किया है। केस डायरी का पर्चा नं० –10 दिनांकित–24.03.2018 में मैने जिला मजिस्ट्रेट महोदय के अभियोजन स्वीकृति आदेश दिनांकित–24.03.2018 के प्राप्त होने तथा अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –3/25 ए.एक्ट न्यायालय में प्रेषित करने सम्बन्धी विवरण अंकित किया है। अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं० –123/2018 न्यायालय पत्रावली में मूल रूप में शामिल है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–37 डाला गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहसिन उर्फ अली के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट कासगंज के द्वारा दिनांक–24.03.2018 को जारी किया गया, स्वीकृति आदेश मूल रूप में न्यायालय पत्रावली में संलग्न है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, इस पर प्रदर्श क–38 डाला गया।

33. अभियोजन की ओर से साक्षी सं०–18 के रूप में विनय गौतम उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मैं वर्ष 2018 में थाना कासगंज जिला कासगंज में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उक्त थाना में मैं वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक कार्यरत रहा दौरान तैनाती थाना कासगंज जिला कासगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–82/2018 धारा 3/25 ए. एक्ट थाना व जिला कासगंज की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरांत दिनांक–07.02.2018 को सी०डी०–1 किता किया, जिसमें नकल फर्द गिरफ्तारी एवं बरामद की एवं नकल रपट मुकदमा कायमी एवं अभियुक्त

नसीम के बयान अंकित किया। इसी क्रम में दिनांक–20.02.2018 को सीडी पर्चा नंबर–2 किता किया, जिसमें अभियुक्त नसीम का अभिरक्षा रिमांड 14 दिवस लेने का उल्लेख है। दिनांक– 09.03.2018 को पर्चा नंबर–3 जिसमें माल मुकदमा के अभियोग की अनुमति प्राप्त नहीं होने एवं न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाए जाने हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने का उल्लेख है। दिनांक– 14.03.2018 को पर्चा नंबर चार किता किया जिसमें वादी मुकदमा श्री रिपु दमन सिंह प्रभारी निरीक्षक एवं का० विकास शर्मा, का० अजय पाल सिंह, का० बलवीर सिंह, एस०आई० रामेश्वर दयाल के बयान अंकित किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–16.03.2018 को पर्चा नंबर–5 किता किया, जिसमें गवाह विकास शर्मा को घटनास्थल पर लेकर गया व उसकी निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा – नजरी तैयार किया जिसका उल्लेख सीडी में अंकित है। नक्शा नजरी शामिल पत्रावली कागज संख्या–10 अ है, जिसको देखकर गवाह ने कहा कि यह नक्शा नजरी घटनास्थल पर तैयार किया गया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–39 डाला गया। दिनांक– 05.04.2018 को पर्चा नंबर–6 किता किया, जिसमें संकलित साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त नसीम के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या –131/2018 न्यायालय में प्रेषित किया जिसका उल्लेख अंकित है। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज संख्या–4 अ है। जिसको देखकर गवाह ने कहा कि मेरे द्वारा यही आरोप पत्र अभियुक्त नसीम के विरुद्ध प्रेषित किया गया था। जिस पर बतौर जांच अधिकारी मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–40 डाला गया।

34. दिनांक–06.04.2018 को एस०सी०डी०–1 किता किया, जिसमें अभियुक्त नसीम के पास से बरामद तमंचा व कारतूस की अभियोजन स्वीकृति जिलाधिकारी कासगंज से प्राप्त हुई। जिसका उल्लेख एस०सी०डी० –1 में अंकित किया। उक्त अभियोजन स्वीकृति शामिल पत्रावली कागज संख्या –9 अ है। जिसको देखकर गवाह ने कहा कि मेरे द्वारा यही अभियोजन स्वीकृति दिनांकित – 05.04.2018 प्राप्त की गई थी, जिस पर प्रदर्श क–41 डाला गया। उक्त किता एस०सी०डी०–1 एवं जिलाधिकारी महोदय कासगंज द्वारा प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को न्यायालय को प्रेषित किया। पत्रावली सरकार बनाम सलीम आदि के विवेचक श्री रमेश चंद्र यादव सेवानिवृत्त निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए मेडिकल प्रपत्रों की छाया प्रति संलग्न पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और उनको दो बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है जिससे वह मानसिक रूप से साक्ष्य देने में असमर्थ है। वह प्रश्नों को समझने व उत्तर देने में सक्षम नहीं है। माननीय न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

35. इस स्तर पर बचाव पक्ष द्वारा आपत्ति की गई कि "वह प्रश्नों को समझने व उत्तर देने में सक्षम नहीं है" यह बात प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं है। रमेश चंद्र यादव द्वारा प्रार्थना पत्र में यह लिखा गया है कि प्रार्थी को दो बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। प्रार्थी की यादाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। थोड़ी–थोड़ी देर में बातों को भूल जाता है। इसी के आधार पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा द्वितीय साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु आदेश पारित किया है। दिनांकित–18.09.2024 के आदेश के अनुक्रम में द्वितीय साक्ष्य के रूप में उपनिरीक्षक श्री विनय गौतम न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हैं। श्री रमेश चंद्र यादव निरीक्षक के रूप में थाना कासगंज जिला कासगंज में मेरे साथ कार्यरत रहे हैं, जिनके लेख व हस्ताक्षर को मैं भली भांति जानता हूँ, उनको मैंने लिखते–पढ़ते देखा है। मु०अ०सं०–60/2018 धारा–147,148,149,341, 336,307,302,504,506,124A भा०दं०सं० व 3 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 1950 थाना कासगंज जिला कासगंज के विवेचक द्वितीय श्री रमेश चंद्र यादव द्वारा दिनांक–29.01.2018 को सीडी पर्चा नंबर–3 किता किया गया है, जिसमें पूर्व पर्चों का अवलोकन का उल्लेख है, फिर दिनांक 29.01.2018 को ही सी०डी० पर्चा नंबर 3–ए किता किया गया है, जिसमें अभियुक्त मोहसिन पुत्र बाबू को जामा मस्जिद के पास पकड़ा गया था तथा उसके पास से एक एस.बी.बी.एल. गन 12 बोर एवं चार जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए थे, जिसके विरुद्ध थाने में मु०अ०सं० – 65/2018 धारा–3/25 ए.एक्ट अंकित कराया गया था, जिसमें अभियुक्त मोहसिन हवालात में मौजूद का बयान अंकित किये जाने का उल्लेख है। दिनांक – 30.01.2018 को सीडी का पर्चा नंबर –4 किता किया गया, जिसमें वांछित अभियुक्तगण के विरुद्ध एन.बी.डब्लू. जारी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया था, जिस पर गिरफ्तारी नहीं हुई तथा अभियुक्तगण अपनी चल–अचल संपत्ति खुर्द–बुर्द कर फरार होने के फिराक में है। जिसके कारण माननीय न्यायालय में 82,83 सीआरपीसी जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाने का उल्लेख है।

36. दिनांक–30.01.2018 को सी.डी. का पर्चा नंबर 4–ए किता किया गया जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 82 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही किए जाने का माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त हुआ, का उल्लेख है। दिनांक–30.01.2018 को ही सी.डी. का पर्चा नंबर 4–B किता किया, जिसमें वादी के मकान पर जाकर मृतक के भाई विवेक गुप्ता के बयान अंकित किए जाने का उल्लेख है। दिनांक– 30.01.2018 को ही सी.डी. का पर्चा नंबर 4–सी किता किया जिसमें वांछित अभियुक्तगण इमरान, शाकिर एवं अजीजुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख है

एवं उनके बयान अंकित किए गए।

37. दिनांक–30.01.2018 को सी.डी. का पर्चा नंबर 4–डी किता किया गया जिसमें मृतक अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई इसका उल्लेख सी.डी. में अंकित किया गया है। दिनांक–31.01.2018 को सी.डी. का पर्चा नंबर–5 किता किया गया, जिसमें संबंधित मुकदमे की धारा–3 राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम को संशोधित करते हुए धारा–दो राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 दर्ज किया गया, जिसका उल्लेख सी.डी. में अंकित है।

38. दिनांक–31.01.2018 को सी.डी. का पर्चा नंबर 5–ए किता किया गया, जिसमें अभियुक्त सलीम थाना /कोतवाली कासगंज में मौजूद है, जिसके बयान अंकित किए गए तथा उसे बरामद तमंचा व कारतूस के आधार पर मुकदमा संख्या–69/2018 धारा–25/27 ए. एक्ट पंजीकृत किए जाने का उल्लेख है। दिनांक–01.02.2018 को पर्चा नंबर–6 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी किए जाने का प्रयास किया गया एवं 82 सी.आर.पी.सी. कार्यवाही करते हुए 83 सी.आर.पी.सी. जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र दिए जाने का उल्लेख है।

39. दिनांक–01.02.2018 को ही सी.डी. का पर्चा नंबर 6–A किता किया गया, जिसमें गवाह अनुकल्प चौहान एवं सौरभ यादव के बयान अंकित किए जाने का उल्लेख है। दिनांक–03.02.2018 को सीडी का पर्चा नंबर–7 किता किया, जिसमें इस मुकदमे का वांछित अभियुक्त राहत पुत्र जफर की गिरफ्तारी से संबंधित फर्द का अवलोकन करने का उल्लेख है तथा अभियुक्त राहत का बयान अंकित किया गया तथा माननीय न्यायालय से 14 दिन का रिमांड की याचना की गई। इसी क्रम दिनांक–03.02.2018 को सीडी का पर्चा नंबर 7–ए किता किया जिसमें गवाह प्रतीक व विवेक माहेश्वरी का बयान अंकित किया।

40. दिनांक–06.02.2018 को सीडी का पर्चा नंबर 8 किता किया, जिसमें इस मुकदमे का वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र चमन की गिरफ्तारी से संबंधित फर्द का अवलोकन किया और गिरफ्तार अभियुक्त सलमान का बयान अंकित किया। दिनांक–07.02.2018 को सीडी का पर्चा नंबर–9 किता किया, जिसमें नामित अभियुक्त नसीम, वसीम गिरफ्तार हुआ उसकी फर्द गिरफ्तारी का अवलोकन किय तथा अभियुक्त नसीम का बयान अंकित किया व दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त वसीम का भी बयान अंकित किया। अभियुक्तगण नसीम व वसीम के चौदह दिन के रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय से याचना की गई व रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० बयान अभियुक्तगण न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

41. दिनांक–07.02.2018 सीडी का पर्चा नं० –9A किता किया गया, जिसमें नकल फर्द, कुर्की अभियुक्त जाहिद उर्फ जग्गा का अवलोकन किया गया, जिसका विवरण सीडी में अंकित किया गया। दिनांक–08.02.2018 सीडी का पर्चा नं०–10 किता किया गया, जिसमें नामित अभियुक्त आरिफ द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। जिसके रोपकार का अवलोकन कर सीडी में उल्लेख किया गया। दिनांक–09.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –11 किता किया गया, जिसमें नामित अभियुक्तगण बब्लू व नसरूद्दीन, अकरम, तौफीक, आफाक, मोहसिन, सलीम, राहत, सलमान, इमरान, शमशाद आदि का चौदह दिवस रिमाण्ड हेतु मा० न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जाने का उल्लेख है।

42. दिनांक–09.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –11A किता किया गया, जिसमें वादी मुकदमा व उसके पुत्र द्वारा दो अभियुक्तगण खिल्लन व कासिफ का नाम पता बताया गया, जिसका उल्लेख सीडी में किया गया। दिनांक–09.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –11B किता किया गया, जिसमें बयान गवाह शुभ गोयल पुत्र राहुल अग्रवाल के बयान अंकित किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–18.02.2018 को सीडी का पर्चा नं०–12 विवेचक लेखराज द्वारा किता किया गया क्योंकि श्री रमेश चन्द्र यादव विवेचक अवकाश पर थे। इनके द्वारा उक्त पर्चों में अभियुक्त नीशू गिरफ्तार अभियुक्त की फर्द का अवलोकन किया गया तथा अभियुक्त नीशू उर्फ जीशान का बयान अंकित किया गया। चूंकि हम लोग एक ही साथ एक ही जिले में तैनात थे और लिखते–पढ़ते देखा है, इसलिए इनके लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ।

43. दिनांक–20.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –13 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण वसीम व नसीम के चौदह दिन के रिमाण्ड पेश करने का उल्लेख है। दिनांक–20.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –13A किता किया गया। जिसमें घटनास्थल के आसपास दुकानदारों के बयान जिसमें उम्मीद सैफी, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण, विनोद पुत्र हरीराम व विनोद पुत्र राम किशन का बयान अंकित किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–22.02.2018 को सीडी का पर्चा नं०–14 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त आसिफ का रिमाण्ड पेश करने का उल्लेख है। दिनांक –23.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –14 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त आसिफ का रिमाण्ड पेश करने का उल्लेख है।

44. दिनांक–23.02.2018 को सीडी का पर्चा नं० –15 किता किया गया, जिसमें मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने का उल्लेख है, गिरफ्तारी नहीं

हो सकी। दिनांक–24.02.2018 में सीडी का पर्चा नं० –16 रमेश चन्द्र यादव द्वारा किता किया गया था। अपने हस्तलेख में उनके द्वारा पर्चा नं० –16 में अंकित किया गया है कि अभियुक्तगणों द्वारा आत्मसमर्पण का वारण्ट बनाकर जेल भेजा गया। पर्चा नं०–16A भी रमेश यादव के हस्तलेख में है, जिसमें उन्होंने किता किया है कि शपथ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसका अवलोकन उनके द्वारा किया गया है। जिसमें पाया गया कि सुशील गुप्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसके साथ सुशील गुप्ता व विवेक गुप्ता के शपथपत्र है, दोनो शपथपत्र की नकल शपथपत्र सीडी नं० –16A में की गई है "समक्ष... Distt. Kasganj" नकल शपथ विवेक गुप्ता "समक्ष श्रीमान् पुलिस अधीक्षक.....पूंछताछ की जाती है।" का अवलोकन किया गया। उसी दिन एस०आई० रमेश यादव द्वारा मजीद बयान वादी सुशील गुप्ता अंकित किया गया कि "बदरियाफ्त सुशील गुप्ता..... हस्ताक्षरित है।" वह उसी दिन बदरियाफ्त श्री विवेक गुप्ता का बयान अंकित किया कि "बदरियाफ्त श्री विवेक गुप्ता....कार्यवाही की जाय।" अंकित किया एवं एस०आई० रमेश यादव ने पने पर्चे में यह भी अंकित किया है कि श्री सुशील गुप्ता व विवेक गुप्ता ने दो डी०वी०डी० दिये जिन्हें कम्प्यूटर पर उनके दवारा चला कर देखा गया तो विवेक गुप्ता ने दो व्यक्तियों को जो डी०वी०डी० में दिखायी दे रहे हैं वह मुनाजिर अली व आमिर अलि बताया तथा कहा कि यह पूरी तरह अपराध में संलिप्त है। मेरे साथी लोग उस समय थे, डी०वी०डी० में भी इनकी पहचान की गयी है। दोनों डी०वी०डी० के गवाहान श्री अर्पित गुप्ता व श्री विनोद कुमार गुप्ता के समक्ष कब्जे पुलिस में लिया गया और सर्व सील मुहर कर डी०वी०डी० को संलग्न किया गया। उसी दिन रमेश यादव द्वारा विनोद कुमार गुप्ता का भी बयान अंकित किया। जिसमें उसके बयान में एस०आई० द्वारा अंकित किया गया है कि "श्री विनोद कुमार ....हस्ताक्षर बनाये।" उसी दिन श्री अर्पित गुप्ता का बयान एस०आई० द्वारा अंकित किया गया जो कि "श्री अर्पित गुप्ता.... मेरे सामने की गयी।" पर्चे में अंकित है। इसी में एस०आई० द्वारा अंकित किया गया है कि डी०वी०डी० के अवलोकन एवं अन्य साक्ष्य के आधार पर मुनाजिर अली व आमिर अली का अभियोग में शामिल होना पाया गया।

45. पर्चा नं०–17 में विवेचक द्वारा अभियुक्त वसीम, आसिफ का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०–18 व 19 एस०आई० रमेश चन्द्र यादव द्वारा किता किया गया व पर्चा नं० –20 में एस०आई० द्वारा मु०अ०सं० –60/2018 का माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजा था, जिसकी प्रति प्राप्त हुई। पर्चा नं० –21 एस०एच०ओ० रमेश चन्द्र यादव द्वारा किता किया गया। पर्चा नं० –22, 23 व 23A भी उनके द्वारा किता किया गया है। पर्चा नं० –24 एस०एच०ओ० रमेश चन्द्र यादव

द्वारा किता किया गया है, उस दिन उन्होंने डाक्टर अविनाश का बयान अंकित किया है। पर्चा नं०–24A उनके द्वारा किता किया गया है।

46. पर्चा नं०–25 में पी०एम० रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है व उसी दिन उनके द्वारा डा० आर०के० दिनकर का बयान अंकित किया गया है व उसी उनके द्वारा एस०आई० रामेश्वर दयाल, का० धर्मेन्द्र शुक्ला व का० जितेन्द्र वर्मा का बयान अंकित किया गया है। पर्चा नं०–26 में उनके द्वारा नकल रोपकार अभियुक्त खिल्लन का अवलोकन किया गया। पर्चा नं०–27 में उनके द्वारा पंचायतनामा के गवाह सुरेश चन्द्र गुप्ता, सूरज सिंह, संजय शर्मा, जितेन्द्र सिंह, प्रतीक माहेश्वरी का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०–28 में अभियुक्त खिल्लन का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०–29 में बरामदगी के गवाह रिपुदमन सिंह एस०एच०ओ० थाना शोरो जिला कासगंज का बयान अंकित किया गया कि "बदरियाफ्त श्री रिपुदमन सिंह.... अभियोग पंजीकृत करवाया था।" उसी दिन सी०पी० अविनाश धर्म सिंह का बयान अंकित किया गया था, जिनके कथन में आया है कि 26.01.2018 को कासगंज में हुए दंगे से सम्बन्धित मु०अ०सं०–60/2018 धारा–147,148,149,341,336,309, 302,504,506,124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रीय ध्वज अपराध (निवारण) अधिनियम 1971 से सम्बन्धित अभियुक्त सलीम आला कतल को बरामद कराने को कहा था, जिसे साथ में लेकर एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के साथ मय हमराहियान हम लोग गये थे। सलीम ने बाँकनेर पुल के पास गाड़ी रुकवाया और रेलवे लाईन के किनारे मूंज के झुण्डों से एक तमनचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद कराया था। जिसकी फर्द मौके पर तैयार की गयी थी। उसी दिन अशोक कुमार सिंह एस०एच०ओ० व सी०पी० बलवीर सिंह का बयान अंकित किया गया व निरीक्षण बरामदगीस्थल का नक्शा बनाया गया था। उसी दिन निरीक्षक लेखराज सिंह व एस०आई० मुकेश सोलंकी का बयान अंकित किया गया।

47. पर्चा नं०–30 में गवाह खालिक का बयान तथा मोहसिन का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०–31 किता किया गया। पर्चा नं०–32 रमेश चन्द्र यादव द्वारा किता किया गया है, जिसमें अभियुक्तगणों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र प्रेषित किया गया व अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित की गयी। पत्रावली में दाखिल आरोप पत्र कागज संख्या– अ33/1 लगायत अ33/27 तक जो रमेश चन्द्र यादव के हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–42 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या –अ8/1 फर्द कब्जे में लेने डी०वी०डी० दिनांकित–24 फरवरी 2018 रमेश चन्द्र यादव के हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ। उनको लिखते–पढ़ते मैने देखा है, जिस पर प्रदर्श क–43

डाला गया। पत्रावली में दाखिल नक्शा–नजरी बरामदगी आलाकत्ल (एक तमन्चा व खोखा कारतूस) देख कर गवाह ने कहा कि यह रमेश चन्द्र यादव के लेख में है, जो कि फटा हुआ है, जिससे हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, जिस पर प्रदर्श क–44 डाला गया। पत्रावली में शामिल डी०वी०डी० जो विवेचक द्वारा वादी मुकदमा से लेकर सील सर्व मुहर करके अपनी विवेचना का हिस्सा बनाते हुए दाखिल किया है, जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय द्वारा जब उसे देखा गया तो मा० न्यायालय द्वारा कहा गया कि यह डैमेज सी०डी०/डी०वी०डी० है, जो सूजे द्वारा पत्रावली में सिल दिया गया है, जो चलने की स्थिति में नहीं है। इस संदर्भ में अभियोजन द्वारा एक प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि इस डी०वी०डी० की द्वितीय प्रति वादी मुकदमा उपलब्ध करायी जायेगी। माननीय न्यायालय के समक्ष सील सर्व मुहर एक सफेद रंग के कपड़े की पोटली प्रस्तुत की गयी। माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो उसके अन्दर से एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई दूसरी पोटली निकली, तो उसको खोला गया, उसके अन्दर मृतक के पहने हुए कपड़े, एक अदद जीन्स पैन्ट मय बेल्ट कलर नीला, इनर एक अदद रंग सलेटी, एक अदद बनियान कलर डार्क नीला, एक अदद अन्डर वीयर कलर नीला लाल, एक अदद जाकेट रंग काला निकले जिस पर एक लगायत पांच जिस पर समेकित रूप से वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया तथा मारकीन कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–4 व सफेद रंग के कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। दिनांक–17.05.2018 को एस०सी०डी०–1 किता किया जिसमें न्यायालय से प्राप्त रोपकार द्वारा ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आसिफ कुरैशी व शबाव न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसका उल्लेख एस०सी०डी०–1 में किया गया है।

48. दिनांक–19.05.2018 को एस०सी०डी०–2 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त असीम कुरैशी को न्यायालय में तलब कराने का उल्लेख है। दिनांक –21.05.2018 को एस०सी०डी०–3 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त आरिफ कुरैशी व शबाव का बयान जेल में लिये जाने का उल्लेख है। दिनांक–22.05.2018 को एस०सी०डी०–4 किता किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण आसिफ कुरैशी व शबाव का बयान जेल में अंकित किये जाने का उल्लेख है। अभियुक्त असीम कुरैशी का वारण्ट बनवाने हेतु उल्लेख किया गया है।

49. दिनांक–28.05.2018 को एस०सी०डी०–5 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर की न्यायिक हिरासत स्वीकृत तथा 14 दिवस रिमाण्ड लिये जाने का उल्लेख है। दिनांक–29.05.2018 को एस०सी०डी०–6 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त शबाव के रिमाण्ड की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–31.05.2018 को एस०सी०डी०–7 किता किया गया। जिसमें

अभियुक्त असीम कुरैशी के वारण्ट बनाये जाने का उल्लेख है। दिनांक–31.05.2018 को एस०सी०डी०–7A किता किया गया, जिसमें अभियुक्त असलम कुरैशी एवं शाकिब के विरुद्ध 83 दं०प्र०सं० कुर्की आदेश के तामीला व कार्यवाही करने का उल्लेख है।

50. दिनांक–05.06.2018 को एस०सी०डी०–8 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी, आमिर रफी, असलम, शाकिब व जाहिद उर्फ जग्गा की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने तथा दश्तयाब न होने का उल्लेख है। दिनांक–10.06.2018 को एस०सी०डी०–9 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण की तलाश व गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने तथा घर पर न मिलने का उल्लेख है तथा अभियुक्त आसिफ कुरैशी व असीम कुरैशी का 14 दिवस रिमाण्ड न्यायालय द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–20.06.2018 को एस०सी०डी०–10 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी व आमिर रफी, शाकिब व असलम कुरैशी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दिये जाने का उल्लेख है। दिनांक–25.06.2018 को एस०सी०डी०–11 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त के गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जाने का उल्लेख है।

51. दिनांक–27.06.2018 को एस०सी०डी०–12 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त जाहिद उर्फ जग्गा को न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने का उल्लेख है। दिनांक–28.06.2018 को एस०सी०डी०–13 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण सम्बन्धित रोपकार का उल्लेख है। दिनांक–06.07.2018 को एस०सी०डी०–14 किता किया गया, जिसमें उपरोक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में न्यायालय से रोपकार के बारे में जानकारी करने का उल्लेख है। दिनांक–06.07.2018 को एस०सी०डी०–14A किता किया गया, जिसमें गवाह श्री गोपाल बाबू गुप्ता व राकेश कुमार गुप्ता के द्वारा दिये गये शपथपत्र प्राप्त हुए, जिनका अवलोकन कर सी०डी० में उल्लेख किया गया है तथा गवाह श्री गोपाल बाबू व राकेश कुमार गुप्ता का बयान अंकित किये जाने का उल्लेख है। पत्रावली में संलग्न शपथपत्र श्री गोपाल बाबू गुप्ता पर प्रदर्श क–45 श्री राकेश कुमार गुप्ता के शपथपत्र पर प्रदर्श क–46 डाला गया।

52. दिनांक–07.07.2018 को एस०सी०डी०–15 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी व आमिर रफी व जाहिद उर्फ जग्गा के बयान हेतु मा० न्यायालय से अनुमति लेकर जिला कारागार जाकर उनका बयान अंकित करने का उल्लेख है। दिनांक–07.07.2018 को एस०सी०डी०–15A किता किया गया जिसमें गिरफ्तार शुदा अभियुक्त असीम कुरैशी का बयान अंकित करने का उल्लेख है।

दिनांक–09.07.2018 को एस०सी०डी०–16 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त शाकिब जेल से हाजिर अदालत आया। उसकी रिमाण्ड आदि की कार्यवाही का उल्लेख है। दिनांक–09.07.2018 को एस०सी०डी०–16A किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी व आमिर रफी को पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने का मा० न्यायालय से अनुरोध का उल्लेख है।

53. दिनांक–10.07.2018 को एस०सी०डी०–17 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी के पी०सी०आर० पर लिये जाने का उल्लेख है। दिनांक–11.07.2018 को एस०सी०डी०–18 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी व आमिर रफी का पी०सी०आर० दिनांक–12.07.2018 दस बजे से चार बजे तक छः घण्टे तक स्वीकृत होने का उल्लेख है। दिनांक–12.07.2018 को एस०सी०डी०–19 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त असलम कुरैशी की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी लेकिन वह मौजूद नहीं मिला। दिनांक–12.07.2018 को एस०सी०डी०–19A किता किया, जिसमें अभियुक्त मुनाजिर रफी व आमिर रफी को कारागार से पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ करने व उनके द्वारा बताये गये स्थान जिसका फर्द में विवरण अंकित है। सीडी में इसका उल्लेख किया गया। पत्रावली में संलग्न फर्द जो श्री रमेश चन्द्र यादव निरीक्षक के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–47 डाला गया।

54. दिनांक–23.07.2018 को एस०सी०डी०–20 किता किया गया, जिसमें अभियुक्त असलम की तलाश हेतु दबिश दिये जाने का उल्लेख है। दिनांक–23.07.2018 को एस०सी०डी०–20A किता किया गया, जिसमें अभियुक्त शाकिब का बयान अंकित किया गया है। दिनांक–24.07.2018 को एस०सी०डी०–21 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, आसिफ, असीम कुरैशी व शबाव चारो अभियुक्तगण के जेल जाने के उपरान्त जारी 83 दं०प्र०सं० के अदम तामील वापस किये जाने का उल्लेख है।

55. दिनांक–27.07.2018 को एस०सी०डी०–22 किता किया गया, जिसमें अभियुक्तगण आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाव, शाकिब, मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के विरुद्ध आरोप पत्र सं० –162A/2018 धारा–147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 थाना कासगंज, जिला–कासगंज में आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक –27.07.2018 को प्रेषित किया, जिसका एस०सी०डी०–22 में उल्लेख है। उक्त आरोप पत्र की मूल प्रति शामिल पत्रावली कागज सं०–4अ/1 लगायत 4अ/8 है, जिस पर बतौर जांच अधिकारी

के हस्ताक्षर देखकर गवाह ने कहा कि यह हस्ताक्षर श्री रमेश चन्द्र यादव के हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–48 डाला गया। मृतक चन्दन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता द्वारा एक डी०वी०डी० व 65–B प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम दाखिल किया गया। अधिवक्ता/अभियुक्तगण द्वारा आपत्ति की गयी कि 65–B प्रमाणपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम विवेचक द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए, न कि मुकदमा वादी व अन्य गवाह के द्वारा। दाखिल डी०वी०डी० पर वस्तु प्रदर्श–6 डाला गया। पत्रावली में संलग्न शपथपत्र सुशील कुमार गुप्ता व विवेक कुमार गुप्ता द्वारा विवेचक को दिये गये थे, जो पत्रावली में संलग्न है। जिनपर क्रमशः प्रदर्श क–49 व प्रदर्श क–50 डाला गया। विवेक गुप्ता द्वारा दाखिल 65–B भारतीय साक्ष्य अधिनयम पर प्रदर्श क–51 डाला गया। विवेचक रमेश चन्द्र यादव द्वारा जो विवेचना की गयी है, उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर के पहचानता हूँ। जिसके आधार पर मेरे द्वारा अंकित कराया गया।

56. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसीरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिम वाला, साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, बबलू, नीशू, वासिफ, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, साकिर पुत्र इस्माइल, खालिद परवेज, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, मुनाजिर रफी व आमिर रफी का बयान अतंर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें उनके द्वारा कथन किया गया कि अभियोजन साक्षियों ने गलत बयान दिया है तथा वादी द्वारा जानबूझकर झूँठा आरोप दर्ज कराया गया है तथा फर्जी रिकवरी कराकर उन्हें जेल भेजा गया है तथा उनके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुई हैं। चिकित्सक द्वारा भी झूँठा साक्ष्य दिया गया है। गलत ढ़ंग से पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित की गई है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने आप को मु०अ०सं०–59/2018 कोतवाली कासगंज में दर्ज मुकदमें से बचने के लिए बिना किसी सबूत के न्यायालय में झूँठा साक्ष्य दिया गया है तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे घटना में शामिल नहीं रहे हैं एवं उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। अभियुक्तगण द्वारा अपने आप को घटनास्थल पर उपस्थित न रहने का भी आधार लिया गया है तथा यह कहा गया है कि एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के द्वारा पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्तगण अकरम, नसीरुद्दीन व नीशू उर्फ जीशान को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई वीडियो फोटो या सीसीटीवी फुटेज का साक्ष्य नहीं पाया गया है व राजनीतिक दबाव व द्वेष की वजह से अभियुक्त बना दिया गया है। अभियुक्त नसीरुद्दीन ने कहा है

कि रिपुदमन सिंह उसकी दुकान पर आते–जाते थे तथा पूर्व में उधारी को लेकर अनबन थी तथा इसी कारण 26.01.2018 को उसे तथा उसके बेटे अकरम को झूँठे मुकदमें में गिरफ्तार करके थाने पर दो दिन बिठाये रखे और फिर जेल भेज दिये। इसी प्रकार नीशू उर्फ जीशान ने कहा है कि वह आगरा में पैथोलॉजी में काम करता है तथा 25.01.2018 को रात में घर आया था और दिनांक–26.01.2018 सुबह सो रहा था एवं उसने कोविड काल के दौरान देश की सेवा की है तथा वह क्रिकेटर भी रहा है, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। अभियुक्त जाहिद कुरैशी ने कहा है कि वह अपने मित्र मनोज महेश्वरी तथा जीतेन्द्र कुमार चालक के साथ व्यक्तिगत कार्य हेतु लखनऊ गया था तथा वहां उसने गुडम्बा थाने से मनोज कुमार की गाड़ी छुड़वायी तथा लगभग 3 बजे दोपहर में कासगंज पहुंचा तब उसे झूँठा आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। वह निर्दोष है। विवेचक के द्वारा उसका कोई बयान नहीं लिया गया है तथा उसके विरुद्ध लगाया गया मामला झूँठा है क्योंकि हत्या की कथित घटना सुबह की बतायी जा रही है जबकि वह उस समय कासगंज में नहीं था। इसी प्रकार वासिफ ने कहा है कि घटना वाले दिन वह कासगंज में नहीं था तथा वाहन चलाकर जीविकोपार्जन करता है एवं गाड़ी लेकर बाहर चला गया था। उसे भी राजनीतिक दबाव व द्वेषवश मनगढ़न्त व झूँठे तरीके से अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त सलीम के द्वारा यह कहा गया है कि वह घटना के दिन चौधरी मेंहदी हसन मेमोरियल स्कूल कासगंज द्वारा प्राप्त आमंत्रण से 08:30 बजे स्कूल पहुंच गया था एवं वहीं पर बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहा था तथा साथ में स्कूल के प्रिंसिपल व मैनेजर भी थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि शहर में दंगा फैल गया है तब वह स्कूल के स्टाफ के साथ लगभग 5 बजे तक स्कूल में ही रहा एवं शहर का माहौल खराब होने के कारण वह स्कूल के मैनेजर के साथ अपने मामू के घर सहसवान चला गया। दिनांक–27.01.2018 को शाम 5 बजे उसे मालूम चला कि उसका नाम कुछ राजनैतिक एवं व्यापारिक लोगों द्वारा पुलिस से सांठगांठ करके दंगे की एफ०आई०आर० में डाल दिया गया है तथा पूर्व चेयरमैन चौधरी नूरुल हसन एवं सी०ओ० कासगंज से बात करने के बाद उससे यह कहा गया कि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर दे जिससे पूछताछ करके छोड़ दिया जायेगा तथा 31.01.2018 को वह अपने वीडियो फोटो व अन्य साक्ष्य लेकर सी०ओ० कार्यालय पर उपस्थित हुआ जहां उससे पहले से ही सील किये गये तमंचे पर साइन कराया गया एवं रात में 1 बजे जेल भेज दिया गया। स्वयं को निर्दोष कहते हुए इस साक्षी ने पूरे अभियोजन कथानक को झूँठा एवं फर्जी करार दिया है।

57. इसी प्रकार वसीम ने भी अपने बयान में कहा है कि वह निर्दोष है तथा उसे

झूँठा फंसाया गया है तथा वह घटना के दिन एक धार्मिक यात्रा में अपने नौ अन्य साथियों के साथ शामिल था और कासगंज से लगभग 30 किमी० दूर मरकज वाली मस्जिद में रुका हुआ था एवं उसका नाम कुछ राजनैतिक तथा व्यापारिक लोगों द्वारा पुलिस से सांठगांठ करके दंगे की एफ०आई०आर० में डाल दिया गया है तथा वह निर्दोष है।

58. इसी प्रकार अभियुक्त नसीम ने भी स्वयं को निर्दोष कहते हुए कहा है कि वह दिनांक–26.01.2018 को तहसील रोड मोहल्ला नवाब कासगंज स्थित जिम में वर्कआउट कर रहा था तथा लगभग 10 बजे दंगे की सूचना मिलने पर वह जिम में ही रुका रहा एवं भयभीत हो गया तथा घर के लोगों द्वारा फोन करने पर कि शहर की स्थिति खराब है वह अपने घर नहीं गया तथा अपने फूफी के यहां खुर्जा चला गया। बाद में नगर पालिका चेयरमैन एवं सीओ क्षेत्राधिकारी से मात्र पूछताछ के आश्वासन पर वह लौटा था तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पहले से सील किये हुए तमंचे पर ही हस्ताक्षर कराये गये और सीजेएम आवास पर ले जाकर रिमाण्ड करवा दिया गया और दोनों भाईयों को जेल में डाल दिया गया।

59. धारा–313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान अंकित करने के उपरान्त अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसके अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा कुल मिलाकर 23 साक्षीगण को मौखिक साक्ष्य के रूप में परीक्षित कराया गया है तथा इसके साथ–साथ कुछ दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ, पेनड्राइव भी प्रस्तुत किये गये हैं तथा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि घटना के दिनांक एवं समय पर वे घटनास्थल पर नहीं थे तथा कहीं अन्यत्र थे तथा उनके विरुद्ध झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन साक्ष्यों का विश्लेषण निर्णय में आगे उचित स्थान पर विस्तार से किया जायेगा।

60. बचाव साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त बहस सुनी गई। अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित एवं विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल जोशी ने बहस करते हुए कहा है कि इस मामले में अभियोजन के द्वारा कुल मिलाकर 18 मौखिक साक्षी परीक्षित कराये गये हैं तथा अनेक दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श एवं वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित हुए हैं। जिनसे यह भलीभांति साबित हो रहा है कि दिनांक–26.01.2018 को जब मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन के द्वारा अपने 40–50 मोटरसाइकिलों पर साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गयी थी, जो प्रभु पार्क से शुरू होकर बड्डूनगर पहुंची थी तो वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिये तथा सड़क पर रखी कुर्सियों को हटाया नहीं गया तथा छोटी सी बात को लेकर तिरंगा यात्रा के सदस्यों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम् ,

हिन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि नारे लगाये जाने पर वहां उपस्थित मुस्लिम समुदाय के अभियुक्तगण द्वारा लाठी–डण्डों से हमला कर दिया गया तथा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिससे तिरंगा रैली तितर–बितर हो गई तथा जान बचाकर इन लोगों को वापस अपनी कुछ मोटरसाइकिलों को छोड़कर भागना पड़ा। आगे बढ़ने पर भी इनके ऊपर मुस्लिम क्षेत्र के मकान से पथराव हो रहे थे तथा तहसील रोड के आगे जीजीआईसी इण्टर कॉलेज के पास भीड़ ने भी इनके ऊपर हमला किया जहां पर अभियुक्तगण सलीम आदि पहले से ही हाथ में तमंचे लेकर मौजूद थे। इन अभियुक्तगण के द्वारा फायरिंग, लाठी–डण्डों से हमले तथा पत्थरबाजी की गई तथा विधि–विरुद्ध जमाव बनाया गया, जिसमें सभी अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसीरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब, राहत, सलमान, मोहसिन, अजीजुद्दीन, आसिफ जिम वाला, साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, बबलू, नीशू, वासिफ, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, साकिर पुत्र इस्माइल, खालिद परवेज, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, मुनाजिर रफी व आमिर रफी सक्रिय सदस्य थे तथा अभियुक्त सलीम के द्वारा तमंचे से की गई फायरिंग में अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की हत्या कर दी गई एवं तिरंगे को भी अपमानित करते हुए जमीन पर फेंक दिया गया। पूरे शहर में तनाव फैल गया एवं दंगे होने लगे। स्कूल आदि में जहां पर गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित हो रहा था, सभी जगहों पर भय व्याप्त हो गया, दुकानें बन्द हो गईं एवं कासगंज कस्बा कई दिनों तक साम्प्रदायिक हिंसा की आग में जलता रहा। इस मामले में एस०आई०टी० नियुक्त कर विवेचना हुई तथा दोषियों को गिरफ्तार कर विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया तथा अभियोजन ने संतोषजनक साक्ष्य से इस मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है। इस प्रकार सभी अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने के साथ–साथ कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य हैं।

61. इस बहस का जवाब देते हुए बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण बबलू, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ जिमवाला, खिल्लन, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कयूम, शाकिर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब व असलम कुरैशी के विद्वान अधिवक्तागण श्री नजमुस्साकिब खां एवं श्री अजीजुद्दीन ने कहा है कि इस मामले में राजनैतिक दबाववश झूँठी एफ०आई०आर० दर्ज की गई है तथा अधिक से अधिक संख्या में मुस्लिम युवाओं को अभियुक्त बना दिया गया है, जो मौके पर नहीं थे। एफ०आई०आर० 13–14 घण्टे के विलम्ब से लिखाई गई है,

जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। हर वर्ष तिरंगा रैली शहर में उन जगहों पर होती थी, जहां की सड़कें चौड़ी हैं, इस बार जान बूझकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की पतली एवं सँकरी सड़कों को चुना गया, जिससे साम्प्रदायिक हिंसा भड़के। तिरंगा यात्रा के लिए प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

62. पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने अपने बयान में घटना का समय 10:30 बजे प्रातः बताया है, जबकि एक जगह उनका कथन है कि वह 09:45 बजे ही घटनास्थल पर पहुंच गये थे, इसी प्रकार आलाकत्ल की बरामदगी दिनांक–28.01.2018 को हुई या दिनांक–31.01.2018 को हुई, इस पर भी साक्षी के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घटनास्थल बिलराम गेट है या बड्डूनगर इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है, जो मेटालिक बुलेट मृतक अभिषेक उर्फ चन्दन के शरीर में मिली थी, उसको न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी के द्वारा जो तहरीर दी गई है, वह दूसरों के द्वारा बतायी गयी घटना एवं अभियुक्तों का नाम शामिल करके दी गई है। विवेचक पी०डब्लू०–1 के द्वारा जो नक्शा–नजरी वादी की निशानदेही पर बनवाया गया है, उस पर भी संदेह है, क्योंकि रिपुदमन सिंह ने साक्ष्य दिया है कि नक्शा–नजरी उसी दिन बनायी गयी थी, जबकि पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता के द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि एफ०आई०आर० लिखाने के तीन–चार दिन बाद नक्शा–नजरी बनायी गयी। घटनास्थल से कोई खून आलूदा मिट्टी या खोखा कारतूस बरामद नहीं हुआ है।

63. पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह के द्वारा घटना में कई व्यक्तियों को फर्जी ढ़ंग से गिरफ्तार किया गया तथा कागज संख्या प्रदर्श क–24 में केवल एक अभियुक्त बबलू का हस्ताक्षर है तथा उसमें कई जगह कटिंग भी की गई है। घटनास्थल का कोई मोटिव नहीं साबित किया जा सका है, गोली कहाँ लगी यह भी अभियोजन साबित नहीं कर सका है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त की कोई शिनाख्त परेड विवेचक के द्वारा नहीं कराई गई है। एफ०आई०आर० 13–14 घण्टे के विलम्ब से दर्ज कराई गई है, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया है। घटनास्थल पर पी०डब्लू०–4 चन्दन की उपस्थिति संदेहास्पद है तथा यह भी संदेहास्पद है कि चन्दन स्वयं तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ था या नहीं जैसा कि डी०डब्लू० –8, डी०डब्लू०–11 एवं डी०डब्लू०–20 के बयानों से भी साबित हो रहा है। अभियुक्तगण के बीच में सामान्य आशय होने की बात अभियोजन द्वारा की जा रही है परन्तु सामान्य आशय बड्डूनगर या बिलराम गेट या जीजीआईसी के सामने कहां उत्पन्न हुआ था, इसके बारे में अभियोजन खामोश रहा है। पंचनामें पर मृतक के परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर की अनुपस्थिति से भी यह तथ्य पुष्ट हो रहा है

कि मृतक के पिता सुशील कुमार या मृतक का भाई विवेक गुप्ता अस्पताल में उपस्थित नहीं हुए थे तथा मृतक का शव वार्ड ब्वाय लालेश द्वारा पहचाना गया है, जबकि शव की पहचान उसके घर के सदस्यों के द्वारा की जानी चाहिए थी। विवेचक रिपुदमन सिंह के द्वारा मात्र दो दिन विवेचना की गई थी, उसके बाद यह विवेचना 28.01.2018 को एस०आई०टी० के सुपुर्द कर दी गई थी, परन्तु विवेचक रिपुदमन सिंह के द्वारा उसके बाद भी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की गई है व विवेचना कार्य सम्पादित किया गया है, जो अवैध है तथा यह लक्षित करता है कि रिपुदमन सिंह किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण विवेचना में लिप्त थे। जिस डी०वी०डी० के आधार पर दो अभियुक्तगण मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी को अभियुक्त बनाया गया है, उसके श्रोत को नहीं बताया गया है तथा उसके सम्बन्ध में धारा –65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई प्रमाणपत्र नहीं प्रस्तुत किया गया है। अपराध सं० – 59/2018 की जी०डी० में चन्दन व करन को मजरूब के रूप में प्रदर्शित किया गया है परन्तु करन को साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सतही रूप से तैयार की गई है तथा उसमें यह अंकित नहीं किया गया है कि मृतक को कथित रूप से लगने वाली गोली उसके शरीर के किस जगह पर लगी थी, मृतक के शरीर के कौन से आन्तरिक अंग गोली से घायल हुए थे, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। तथ्य के हर एक साक्षी द्वारा घटनास्थल का अलग–अलग वर्णन किया गया है, अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। उनके द्वारा लिखित बहस भी दाखिल की गई है।

64. अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया है कि अभियोजन के द्वारा लिखाई गई एफ०आई०आर० एंटी टाईम है एवं विलम्ब से कराया गया है, राजनैतिक दबाव के चलते इनको घटना के दो महीने बाद नामित किया गया है। पी०डब्लू० –3 सौरभ पाल ने अभियुक्तगण का नाम घटना में शामिल होने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है तथा घटनास्थल भी स्पष्ट नहीं है कि वह जी०जी०आई०सी० तहसील रोड माना जाए या बड्डूनगर माना जाये। मृतक अभिषेक कुमार गुप्ता उर्फ चन्दन एवं विवेक गुप्ता, सौरभ पाल, अनुकल्प चौहान, प्रतीक महेश्वरी आदि हिन्दू उग्रवादी युवाओं द्वारा हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता होने के कारण विधि–विरुद्ध तरीके से बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी की व थाने की अनुमति प्राप्त किये हुए एक विधि –विरुद्ध तिरंगा यात्रा निकाली गई और जानबूझकर मुस्लिम समाज के संकीर्ण इलाके में 100–200 मोटरसाइकिल लेकर उत्पात करने के लिहाज से पहुँचे थे। यह लोग अपने हाथों में तमंचे लिए हुए थे और बड्डूनगर तिराहे पर आ गए और रास्ते में बिछी गणतंत्र दिवस

समारोह की कुर्सियों को मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर हटाने लगे और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे दंगा भड़का था। इन हिन्दू उग्रवादी युवाओं के द्वारा फायरिंग भी की गई, जिससे एक राहगीर मुस्लिम की आँख फूट गई और मस्जिद में तोड़–फोड़ करके आग लगाई गई और मुस्लिम व्यापारी शेरवानी बूट हाउस की दुकान फूँक दी गई। अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। बचाव पक्ष के साक्षियों से यह प्रमाणित हो रहा है कि अभियोजन का कथानक संदेहपूर्ण है। मृतक चन्दन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अंकित समय से भिन्न समय में मृतक की मृत्यु हुई थी। अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। विवेचना त्रुटिपूर्ण की गई है। अभियोजन द्वारा मामले के मुख्य विवेचक रमेश चन्द्र यादव को जानबूझकर परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। उनकी भी ओर से लिखित बहस दाखिल की गई है।

65. अभियुक्तगण नीशू उर्फ जीशान, वासिफ, अकरम व नसीरुद्दीन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री चिन्मय प्रकाश पाण्डेय के द्वारा बहस करते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण को द्वेषपूर्ण भावना से जानबूझकर फंसाया गया है, अभियुक्त नीशू आगरे में काम करता है तथा वह दंगे के वक्त अपने घर पर आकर सोया हुआ था। अभियुक्त वासिफ भी कासगंज में नहीं था। अभियुक्तगण को गलत ढ़ंग से गिरफ्तार किया गया है, किसी जन सामान्य के साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता एवं पी०डब्लू०–3 सौरभ पाल ने अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में नीशू व वासिफ का नाम नहीं लिया है। विशाल सिंह की मोटरसाइकिल पर चन्दन बैठा हुआ था परन्तु विशाल सिंह ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। एफ०आई०आर० अत्यधिक विलम्ब से कराई गई है, पूरा अभियोजन मामला संदेहास्पद है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया जाये। उनकी ओर से भी लिखित बहस दाखिल की गई है।

66. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रान्शू अग्रवाल ने अभियुक्तगण सलीम आदि की ओर से बहस करते हुए कहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, अभियोजन द्वारा उन्हें विद्वेष के आधार पर फंसाया गया है। किसी संपोषक साक्ष्य से सलीम आदि के अपराध में शामिल होने की पुष्टि नहीं हो रही है। घटना के समय सलीम एक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था तथा उसी में शामिल था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा उसके आधार पर मृतक को छत से किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारे जाने का तर्क दिया गया है तथा यह कहा गया है कि मृतक को जो चोट जिस दिशा में आई है, उस दिशा में मृतक के

सामने खड़ा व्यक्ति गोली मारे तो वैसी चोट नहीं हो सकती। पूरा अभियोजन कथानक संदेहास्पद है। अभियुक्तगण के पास से असलहे की फर्जी बरामदगी दिखाई गई है, जिससे अपने राजनैतिक हितों को साधा जा सके। अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतः अभियुक्तगण सलीम आदि दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। उनकी ओर से भी लिखित बहस दाखिल की गई है।

67. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने, लिखित बहस का परिशीलन करने तथा पत्रावली में आए साक्ष्यों का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय का विचार है कि इस मामले में मामले के समुचित निस्तारण के लिए निम्न प्रश्न विरचित किया जाना एवं उस पर निष्कर्ष अंकित किया जाना उचित होगा–

प्रश्न 1– क्या दिनांक–26.01.2018 को अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 28– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 29– मुनाजिर रफी व 30– आमिर रफी द्वारा करीब 10:30 बजे राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के गेट के सामने तहसील रोड, थाना– कासगंज, जिला– कासगंज में विधि विरुद्ध जमाव करके घातक आयुध से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की, उस समय गोली मारकर मृत्यु कर दी गई, जब वह अपने अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल था ?

प्रश्न 2– क्या अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 28– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 29– मुनाजिर रफी व 30– आमिर रफी द्वारा 26 जनवरी, 2018 को आयोजित तिरंगा यात्रा में व्यवधान डालकर, उसे हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा का रंग देते हुए वादी मुकदमा के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु अपने सामान्य उद्देश्य

की पूर्ति में कर दी गई एवं ईंट–पत्थर, लाठी एवं अन्य घातक आयुधों से सुसज्जित होकर क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव फैलाया गया, जिससे कस्बा कासगंज कई दिनों तक साम्प्रदायिक तनाव में झुलसता रहा ?

प्रश्न 3– क्या अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 28– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 29– मुनाजिर रफी व 30– आमिर रफी द्वारा दिनांक–26.01.2018 को मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन एवं उसके साथियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान उसके सदस्यों के हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंककर उसका अपमान किया गया ?

प्रश्न 4– क्या अभियोजन अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है ?

68. उक्त प्रश्नों का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा पत्रावली में आए हुए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया–

टेबिल–1

प्रश्न संख्या-1	**सकारात्मक**
प्रश्न संख्या-2	**सकारात्मक**
प्रश्न संख्या-3	**सकारात्मक**
प्रश्न संख्या-4	**सकारात्मक**
पारित निर्णय	**निर्णय के अंत में पारित आदेशानुसार**

69. उपरोक्त निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए इस न्यायालय द्वारा साक्ष्यों एवं बहस का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया, उसका विवरण निम्नवत् है–

निस्तारण प्रश्न संख्या–1, 2 व 3

उपरोक्त तीनों प्रश्न एक –दूसरे से सम्बन्धित हैं, जिनका निस्तारण एक ही साक्ष्य के विश्लेषण से किया जा सकता है, अतः एक ही साथ सामूहिक रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनांक–

26.01.2018 को अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 28– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 29–मुनाजिर रफी, व 30–आमिर रफी द्वारा करीब 10:30 बजे राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के गेट के सामने तहसील रोड, थाना– कासगंज, जिला– कासगंज में विधि विरुद्ध जमाव करके घातक आयुध से सुसज्ज़ित होकर वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की, उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह अपने अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल था ? तथा प्रश्न संख्या–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा 26 जनवरी, 2018 को आयोजित तिरंगा यात्रा में व्यवधान डालकर, उसे हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा का रंग देते हुए वादी मुकदमा के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की हत्या अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कर दी गई एवं ईंट–पत्थर, लाठी एवं अन्य घातक आयुधों से सुसज्ज़ित होकर क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव फैलाया गया, जिससे कस्बा कासगंज कई दिनों तक साम्प्रदायिक तनाव में झुलसता रहा ? एवं प्रश्न संख्या–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–26.01.2018 को मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन एवं उसके साथियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान उसके सदस्यों के हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंककर उसका अपमान किया गया ?

70. इस मामले में अभियोजन कथानक के लिए वादी मुकदमा सुशील गुप्ता द्वारा दिनांक–26.01.2018 को दिये गये तहरीर प्रदर्श क–2 पर ध्यान देना होगा। इसमें उसने उल्लेख किया था कि– "निवेदन है कि दि० 26.01.2018 समय प्रातः करीब 10:30 बजे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा में सहभागिता करते हुए मेरा पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय व वन्देमातरम् के उद्घोष करते हुए तहसील रोड होकर जैसे ही राजकीय बालिका इण्टर कालेज गेट के सामने पहुँचे उसी समय हथियारों से लैस योजनाबद्ध तरीके से पहले से घात लगाये सलीम, वसीम व नसीम पुत्रगण बरकतुल्लाह उर्फ बरकी निवासीगण तहसील स्कूल के सामने, जाहिद उर्फ

जग्गा निवासी बड्डूनगर, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी निवासीगण कसाई मोहल्ला नवाब, नसीरुद्दीन पुत्र हबीब, अकरम पुत्र नसीरुद्दीन, तौफीक पुत्र आफाक, खिल्लन, शबाव, राहत पुत्र जफर, सलमान पुत्र चमन निवासीगण मौ० नवाब, मोहसिन पुत्र बाबू नि० बगिया सत्तार, आसिफ जिमवाला नि० चामुण्डा गेट, शाकिब, बबलू नि० गंदा नाला, नदरई गेट, नीशू व वासिफ नि० गंदा नाला के सामने टाल थाना व जिला कासगंज व अन्य अज्ञात मुस्लिम समाज के लोगों ने रास्ता घरकर रोक लिया तथा हाथों में से तिरंगा छीनकर नारे लगाते हुए हथिया तान कर धमकी दी कि इस रोड से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। मेरे पुत्र अभिषेक द्वारा विरोध करने पर उपरोक्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग शुरू कर दी तथा एलान किया कि मार दो सालों को उपरोक्त लोगों के उकसाने पर सलीम पुत्र बरकतुल्लाह उर्फ बरकी ने अपने हथियार से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उपरोक्त लोगों की फायरिंग से कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं। मौका पाकर विवेक अन्य साथियों के साथ जान बचाकर अपने भाई अभिषेक को किसी तरह थाना कासगंज लेकर आया वहां तुरंत उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, वहां डाक्टर ने देखते ही अभिषेक को मृत घोषित कर दिया है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

71. उक्त तहरीर के आधार पर प्रदर्श क–3 के रूप में दर्ज एफ०आई०आर० मुकदमा अपराध संख्या–60/2018 को पी०डब्लू०–5 हेड कांस्टेबिल विजेन्द्र सिंह ने न्यायालय में साबित किया है। इस साक्षी से जिरह की गई है तथा बचाव पक्ष ने मुख्य प्रश्न जो इस साक्षी से पूछा है वह एफ०आई०आर० के विलम्बित होने के बारे में पूछा है क्योंकि एफ०आई०आर० उसी दिन आधी रात के बाद 00:17 बजे दर्ज करवायी गयी थी। जिसका इस साक्षी ने पेज–4 पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मुकदमा दर्ज कराने में जो विलम्ब हुआ वह वादी पक्ष की वजह से हुआ था तथा सुशील गुप्ता थाने में तहरीर लेकर अकेले ही आए थे। इस साक्षी से इस बिन्दु पर भी जिरह की गई है कि क्या जब वादी सुशील कुमार थाने पर आया था तो उस समय उसके साथ सांसद, विधायक व अन्य नेता थे, जिसका इस साक्षी ने इन्कार किया है लेकिन कहा है कि जब तहरीर वादी द्वारा दी गई थी तब थाना परिसर लोगों से भरा हुआ था। इस साक्षी से इतना संकेत मिल रहा है कि अत्यधिक संवेदनशील मामला होने के कारण जनसामान्य ने सुशील गुप्ता का साथ दिया था।

72. बाद में वादी मुकदमा को अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–2 की ओर से

न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी तहरीर को साबित किया तथा घटना के बारे में विस्तार से बताया कि घटना की एफ०आई०आर० उसने बोल कर एक अज्ञात व्यक्ति से लिखवाया था तथा उसे पढ़कर सुनने के बाद उस पर हस्ताक्षर किये थे। इस साक्षी से भी जिरह की गई है तथा जिरह में साक्षी ने बताया कि तिरंगा यात्रा में वह शामिल नहीं था परन्तु उसे यह जानकारी है कि यह यात्रा प्रभु पार्क से साढ़े सात–आठ बजे शुरू हुई थी, जिसमें उसके दोनों लड़के विवेक एवं चन्दन गुप्ता शामिल हुए थे तथा 40–45 मोटरसाइकिलें भी शामिल थीं। इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि चन्दन गुप्ता अपने किसी दोस्त की मोटरसाइकिल पर बैठा था। इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के विरुद्ध उसने एफ०आई०आर० लिखवाने के लिए तहरीर दी थी, उन्हीं लोगों का नाम उसने मुख्य परीक्षा में भी लिया है। जिरह के पेज–2 पर इस साक्षी ने कहा है कि यह बात भी सही है कि मुख्य परीक्षा में आमिर रफी एवं मुनाजिर रफी का नाम है, खालिद परवेज का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है कि उसने एफ०आई०आर० में लिखवाया था या नहीं। जिरह के पेज–3 पर इस साक्षी ने थाने में एफ०आई०आर० लिखवाने के सम्बन्ध में हुए विलम्ब को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि पंचायतनामे की कार्यवाही के दौरान उसके बेटे ने घटना कारित करने वाले मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे, इसलिए तत्काल तहरीर नहीं दी गई थी बल्कि पंचायतनामें के समय इतने परेशान थे कि मेरे बेटे विवेक ने भी मुझे घटना में शामिल सभी मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि वह तिरंगा रैली में शामिल मृतक चन्दन के 4–5 दोस्तों को ही जानता है, शेष के बारे में जानकारी नहीं है तथा उस घटना में जो तहरीर दी गई थी, उस तहरीर में लिखाये गये नामों के अतिरिक्त जो अन्य नाम प्रकाश में आए थे वे घटना के 3–4 दिन बाद वायरल वीडियो से आए थे। अभियुक्त सलीम द्वारा अपने बेटे को गोली मारे जाने के सम्बन्ध में साक्षी ने बताया है कि उसने सलीम द्वारा अपने बेटे को गोली मारे जाने को नहीं देखा था परन्तु पूरे कासगंज को पता है कि सलीम ने उसके बेटे को गोली मारी थी। पृष्ठ–4 पर इस साक्षी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसने अपनी आँखों से कोई घटना नहीं देखी तथा जो सूचना उसे प्राप्त हुई थी उसी के आधार पर तहरीर लिखकर दी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि मुल्जिमानों के नाम उसके बेटे विवेक गुप्ता तथा प्रतीक महेश्वरी और सौरभ पाल ने बताये थे। इस प्रकार यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा उसी के द्वारा दिये गये साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह घटना का अनुश्रुत साक्षी है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक चन्दन गुप्ता का बड़ा भाई विवेक गुप्ता जो कथित तौर पर तिरंगा रैली में शामिल था उसके द्वारा तहरीर स्वयं न देकर, परिवार के मुखिया होने

के नाते अपने पिता से घटना का वर्णन करते हुए दिलवायी गयी है, जो भारतीय समाज में एक स्वाभाविक तथ्य है।

73. यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि इस साक्षी ने अपनी तहरीर, बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में मुख्य परीक्षा के दौरान किन अभियुक्तगण को नामजद किया था कि वे घटना में शामिल थे ? अपनी तहरीर में पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता ने कुल मिलाकर 20 अभियुक्तगण को नामजद किया था जो निम्नलिखित है–

1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– शाकिब, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ व अन्य मुस्लिम समाज के अज्ञात लोग।

74. जब इस साक्षी का बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० विवेचक एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के द्वारा अंकित किया गया तब भी इस साक्षी के द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के नाम घटना में शामिल होना बताया गया था। परन्तु जब इसी साक्षी को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तो मुख्य परीक्षा के साक्ष्य के दौरान पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता के अनुसार– सलीम, नसीम, वसीम, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, तौफीक, खिल्लन, शबाव, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, शाकिब, बबलू, निशू, वासिफ (कुल मिलाकर 19 लोग) व अज्ञात बहुत से मुस्लिम समाज के लोग घटना में शामिल थे।

75. इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुनाजिर रफी व आमिर रफी दो अभियुक्तगण का नाम जोड़ दिया गया (जिनका उल्लेख धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में नहीं किया गया था) तथा अभियुक्तगण जाहिद उर्फ जग्गा, नसीरुद्दीन, अकरम के नाम छोड़ दिये गये हैं जिसका उल्लेख साक्षी ने अपने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में किया था। विद्वान लोक अभियोजक ने इस बिन्दु पर तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण की संख्या साम्प्रदायिक दंगे होने की वजह से अत्यधिक है, इसी कारण मृतक के पिता को इतने अभियुक्तगण के नाम एकसाथ याद रखने में कठिनाई हुई है तथा यह मात्र एक स्वाभाविक चूक तथा याद्दाश्त की फिसलन मात्र है एवं साक्षी ने मुख्य परीक्षा में जितने अभियुक्तगण के नाम लिया है, उन सभी को घटना में शामिल माना जाना चाहिए। इस न्यायालय का विचार है कि आपराधिक विचारण में अभियुक्तगण के घटना में शामिल होने के सम्बन्ध में मुख्य

परीक्षा में साक्षी द्वारा लिए गए नाम का बहुत अधिक महत्व है तथा इसका मूल्यांकन कठोरता से किया जाना चाहिए। अतएव यह न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकती कि अभियुक्तगण की अधिक संख्या होने के कारण उनको याद रखने में कठिनाई सम्भव है, इसलिए इसका अभियोजन को कोई लाभ मिलना चाहिए। हाँ, यह अवश्य न्यायालय के विचार में है कि पी०डब्लू० –2 सुशील गुप्ता घटनास्थल पर चक्षुदर्शी साक्षी नहीं रहा है, अतः उसके द्वारा वही नाम लिखवाये गये हैं, जो अन्य साक्षीगण (विवेक गुप्ता व सौरभ पाल) के द्वारा बताये गये होंगे।

76. दोनों साक्षीगण विवेक गुप्ता व सौरभ पाल को अभियोजन ने क्रमशः पी०डब्लू०–3 एवं पी०डब्लू०–4 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया है। अपनी मुख्य परीक्षा में पी०डब्लू०–3 सौरभ पाल ने अभियुक्तगण के रूप में सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ हिटलर, आसिफ जिम वाला, हासिम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, बब्लू, निशु, असलम, राहत व लगभग 100 लोगों के शामिल होने का उल्लेख किया है। जो नाम उसके द्वारा नहीं लिये गये हैं वह लगभग 100 लोगों में शामिल हैं कि नहीं, यह जानने के लिए न्यायालय को उस साक्षी के धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान की ओर ध्यान देना होगा। केस डायरी के पर्चा नं०–6 में इस साक्षी ने बताया है कि दिनांक –26.01.2018 को जब वह विवेक गुप्ता, चन्दन गुप्ता व अन्य साथियों के साथ करीब 30–40 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तिरंगा झण्डा लगाकर प्रभु पार्क से रैली प्रारम्भ हुई और तिरंगा लेकर बड्डूनगर पहुंचे तो वहां पर मुसलमानों के युवा लड़के झुण्डों में गली में खड़े थे तथा रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में वाद–विवाद, गाली–गलौज व धक्का–मुक्की होने लगी जो मारपीट एवं पथराव में बदल गई। हम लोग मोटरसाइकिलों को छोड़कर तथा कुछ को साथ लेकर जान बचाकर भागे और बिलराम चौराहे पर आ गये, जहां भी मारपीट, पथराव व फायरिंगबाजी होने लगी। हम लोग वहां से निकलकर तहसील रोड होकर जाना चाह रहे थे, जैसे ही हम लोग तहसील रोड पर जीजीआईसी के सामने सलीम के मकान के पास करीब 10:30 बजे पहुंचे तो वहां पहले से ही एक राय संगठित होकर 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– अजीजुद्दीन, 28– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 29– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक आदि मुस्लिम

समाज के बहुत सारे लोग खड़े थे। इनको मै तथा मेरे अन्य साथी पहले से ही अच्छी तरह जानते–पहचानते थे। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा कुल मिलाकर 29 लोगों के नाम अपनी मुख्य परीक्षा में लिया गया है तथा दिनांक–05.08.2023 को हुए बयान में इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा का समर्थन किया परन्तु जिरह स्थगित हो जाने के बाद जब इस साक्षी का बयान पुनः लगभग छः महीने के पश्चात जब 02.03.2024 को हुआ तो इसने जिरह के पेज–9 पर कहा कि उसने सलीम, नसीम व वसीम को घटना के समय घटनास्थल पर नहीं देखा था तथा लोगों ने बताया था कि सलीम, वसीम व नसीम घटनास्थल पर मौजूद थे।

77. इस साक्षी के द्वारा अपने बयान से बदलने के बारे में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तर्क दिया गया है कि साक्षी सौरभ पाल को भी इसी घटना से सम्बन्धित अन्य मुकदमें मु०अ०सं०–59/2018 में अभियुक्त बनाया गया है, इस कारण अभियुक्तगण से सुलह करने के कारण उसने ऐसा बदला हुआ बयान दिया है। जिरह के पेज–12 पर साक्षी सौरभ पाल द्वारा कहा भी गया है कि वह मु०अ०सं०–59/2018 में अभियुक्त है, जो पुलिस ने दंगा व बलबे के सम्बन्ध में दर्ज किया था। यह न्यायालय अभियोजन के इस तर्क में बल पा रही है तथा जिरह लगातार छः महीने टल जाने के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि साक्षी सौरभ पाल ने घटनास्थल पर अभियुक्तगण सलीम, वसीम व नसीम को अनुपस्थित नहीं बताया है तथा यह नहीं कहा है कि अभियुक्तगण सलीम, वसीम व नसीम घटना में शामिल नहीं थे परन्तु उसने यह कहा है कि लोगों ने बताया था कि सलीम, वसीम व नसीम घटनास्थल पर मौजूद थे। जब बहुत बड़े स्तर पर साम्प्रदायिक संघर्ष एवं दंगे होते हैं, जैसाकि इस प्रकरण में कहा जा रहा है तो उस समय यह सम्भव नहीं है कि दंगे में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को हर व्यक्ति स्वयं देख ले, या पहले से जानता हो। अचानक हुए ऐसे आक्रमण के दौरान यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आक्रमणकारी के हमले से बचता है तथा पलटवार भी करता है एवं बाद में स्वयं के याद्दाश्त, अपने सहयोगियों या अन्य माध्यमों से उसे जानकारी हो पाती है कि आक्रमणकारियों में अमुक–अमुक व्यक्ति शामिल थे। साम्प्रदायिक संघर्ष के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति आदि को लेकर हुए विवादों में दोनों पक्ष एक –दूसरे को जानते हैं या किसी जानने वाले के माध्यम से आपस में जुड़े होने के कारण पहचानने में आसानी होती है।

78. घटना का दूसरा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता है, जो मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन का बड़ा भाई है तथा जो स्वयं अभियोजन द्वारा कथित रूप से तिरंगा रैली में शामिल होना बताया जा रहा है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा

चुका है, मृतक के पिता पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता ने यह साक्ष्य दिया है कि चन्दन की कथित हत्या हो जाने के उपरान्त विवेक आदि के द्वारा घटना एवं अभियुक्तगण की संख्या और नाम के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया गया था, उसी के अनुसार तहरीर लिखवायी गयी थी, इस कारण विवेक गुप्ता का बयान इस प्रकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि उसके द्वारा अपने धारा –161 दं०प्र०सं० के बयानों में तथा न्यायालय में परीक्षित होने के दौरान अभियुक्तगण के नामजद होने के बारे में विस्तार से किनका उल्लेख किया गया है।

79. पर्चा नं०–4 में साक्षी विवेक गुप्ता पुत्र सुशील गुप्ता के बयान अंतर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० दिनांकित–30.01.2018 में निम्न अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– असीम कुरैशी, 8– नसीरुद्दीन, 9– अकरम, 10– तौफीक, 11– खिल्लन, 12– शवाब, 13– राहत, 14– सलमान, 15– मोहसिन, 16– आसिफ जिमवाला, 17– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 18– बबलू, 19– नीशू, 20– वासिफ, 21– इमरान पुत्र इरफान, 22– शमशाद, 23– जफर, 24– साकिर पुत्र इस्माइल, 25– खालिद परवेज, 26– फैजान, 27– अजीजुद्दीन, 28– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 29– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, का उल्लेख द्वारा विवेचक को दिये गये अपने बयान में किया गया था। इस साक्षी के द्वारा बाद में शपथपत्र दिनांकित–31.01.2018 देकर विवेचक से दो नाम और दर्ज करने का अनुरोध किया गया तथा उसके समर्थन में डी०वी०डी० भी दी गई, कि घटना में मुनाजिर रफी व आमिर रफी भी शामिल थे।

80. पी०डब्लू०–4 के रूप में न्यायालय में परीक्षित होने पर विवेक गुप्ता ने सलीम, वसीम, नसीम, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ जिमवाला, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, असीम कुरैशी, अकरम, असलम कुरैशी, राहत, नीशू, बबलू, वासिफ, नसरुद्दीन, तौफीक, खिल्लन, मोहसिन, शबाव, सलमान, शमशाद, अजीजुद्दीन, फैजान, खालिद परवेज, शाकिब, इमरान, शाकिर, इमरान पुत्र अब्दुल कयूम, जफर आदि मुस्लिम समाज के लोग का नाम लिया है। दो अन्य अभियुक्तगण (मुनाजिर रफी, आमिर रफी) जिनका नाम बाद में शपथपत्र देकर बढ़ाया गया था, का भी उल्लेख किया है।

81. इस प्रकार इन साक्षियों के बयान को जब पत्रावली में विवेचक की कार्यवाही से तुलना करते हैं (रमेश चन्द्र यादव, विवेचक क्राइम ब्रान्च, अत्यधिक बीमार होने व साक्ष्य देने के योग्य न पाये जाने के कारण अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराये गये हैं तथा द्वितीयक साक्ष्य कराया गया है), तो पाया जा रहा है कि विवेचक के द्वारा

अपने प्रथम आरोपपत्र में 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– नसीरुद्दीन, 6– अकरम, 7– तौफीक, 8– खिल्लन, 9– राहत, 10– सलमान, 11– मोहसिन, 12– आसिफ जिमवाला, 13– बबलू, 14– नीशू, 15– वासिफ, 16– इमरान पुत्र इरफान, 17– शमशाद, 18– जफर, 19– साकिर पुत्र इस्माइल, 20– खालिद परवेज, 21– फैजान, 22– अजीजुद्दीन, 23– इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम , 24– साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक को नामजद किया गया था तथा आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी व आमिर रफी कुल मिलाकर सात अभियुक्तगण के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखी गई तथा बाद में विवेचना पूर्ण होने पर इन सभी 31 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिनमें से अभियुक्त अजीजुद्दीन की मृत्यु हो गई है तथा शेष 30 अभियुक्तगण विचारण का सामना कर रहे हैं। ये वही अभियुक्तगण हैं जिनके नाम व पहचान को पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता द्वारा न्यायालय में बताया गया है।

82. पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता ने जिरह में यह कहा भी है कि घटना के समय उसने मुनाजिर रफी व आमिर रफी को देखा था लेकिन उनका नाम नहीं जानता था जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, उन वीडियो को शहर भर में कई लोगों ने देखा व उनके नाम बताये थे फिर उसके आधार पर विवेचक से नाम बढ़वाये गये थे। मुनाजिर रफी व आमिर रफी के अतिरिक्त अन्य अभियुक्तगण की पहचान के बारे में इस साक्षी ने इसी पृष्ठ–21 के नीचे से सातवीं–आठवीं पंक्ति में यह कहा है कि "अपनी मुख्य परीक्षा में मैने अभियुक्तगण के नाम यह संतुष्ट होने के बाद कि वह घटना में शामिल थे, लिखवाये थे"। विशेषकर अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री नजमुस्साकिब खां के द्वारा यह तथ्य रखा गया है कि इन दोनों अभियुक्तगण का नाम वीडियो क्लिप के आधार पर घटना में शामिल किया गया है तथा वह वीडियो क्लिप कहां से रिकॉर्ड की गई एवं शहर के अनेक नागरिकों के मोबाईल पर प्राप्त हुई, इस सम्बन्ध में पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता के मोबाईल से प्राप्त वीडियो क्लिप की डीवीडी एवं उसके मोबाईल के सम्बन्ध में धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाणपत्र पोषणीय नहीं है तथा इसी आधार पर अभियुक्तगण मुनाजिर रफी एवं आमिर रफी के सम्बन्ध में अभियोजन अपना मामला साबित नहीं कर पाया है तथा दोनों अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य हैं। न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क पर विचार किया है तथा यह तथ्य सामने आ रहा है कि यह बात सही है कि जिस वीडियो क्लिप की डीवीडी दाखिल की गई है, उसकी रिकॉर्डिंग पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता के द्वारा अपने

मोबाईल कैमरे से नहीं की गई है तथा कथित रूप से किसी न्यूज एजेंसी की क्लिप बताई गई है एवं यदि उसी वीडियो क्लिप के आधार पर अभियुक्तगण की पहचान की गई होती तो अभियोजन का केस इस बिन्दु पर कमजोर हो जाता। साक्षी विवेक गुप्ता ने साक्ष्य यह दिया है कि बड्डूनगर में उसने अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी को घटना में शामिल पाया था तथा उनका नाम नहीं लिखवा पाया था तथा बाद में वीडियो क्लिप, जिसे मात्र एक सम्पोषक साक्ष्य माना जा सकता है, को शामिल करके विवेचक को शपथपत्र देकर दोनों अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी, जिनका नाम प्रकरण में दर्ज करवाने से रह गया था, शामिल करवाया गया था। इस प्रकार साक्षी विवेक गुप्ता द्वारा साक्षीगण के नाम व संख्या के बारे में जो साक्ष्य न्यायालय में दिया गया है वह उसके द्वारा अपने पूर्व में धारा–161 दं०प्र०सं० में विवेचक को दिये गये बयानों के अनुकूल है तथा किसी भी किस्म का कोई विरोधाभास नहीं है तथा इस सम्बन्ध में विवेक गुप्ता एक विश्वसनीय साक्षी पाया जा रहा है।

83. यहीं पर अभियुक्तगण की संख्या एवं नाम के सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षियों के साक्ष्य का भी उल्लेख कर दिया जाना सुसंगत होगा क्योंकि बचाव पक्ष ने कुछ अभियुक्तगण के सम्बन्ध में अन्यत्र होने (Plea of alibi) का आधार लिया है एवं उसके सम्बन्ध में कुछ मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। सबसे पहले डी०डब्लू०–1 के रूप में साक्षी मसूद हसन पुत्र नवाब हसन निवासी कासगंज को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया है कि वह चौधरी मेंहदी हसन मेमोरियल स्कूल जिला कासगंज में प्रबन्धक के पद पर कार्यरत् है तथा हर वर्ष की भांति दिनांक–26.01.2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित करता है तथा इस वर्ष मुख्य अतिथि के रूप में मो० सलीम जावेद पुत्र बर्कतुल्लाह को आमंत्रित किया था जो लगभग साढ़े आठ बजे विद्यालय पर उपस्थित हो गये थे तथा 09:15 बजे से स्कूल के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया था। साक्षी, स्कूल के प्रिन्सिपल आरिफ तथा अभियुक्त मो० सलीम मंच पर बैठकर कार्यक्रम देख रहे थे तभी 10:15 बजे के आसपास एक बच्चे के अभिभावक द्वारा सूचना मिली कि शहर में दंगा फैल गया है तथा एक व्यक्ति को गोली लग गयी है। इस सूचना की पुष्टि करने के बाद स्कूल के सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया गया तथा शहर में कर्फ्यू लग गया था तथा शाम 05:00 बजे तक मो० सलीम, स्कूल के प्रिन्सिपल तथा मैं स्कूल पर ही मौजूद थे। उसके बाद बिलराम गेट की ओर घटना होने के कारण नहीं जा पाये तथा घर वालों द्वारा फोन पर सलाह दी गई कि आप लोग सहसवान जिला बदायूं चले जाइये जहां साक्षी के पापा का ननिहाल तथा मो० सलीम के मामू का घर

है। इसके पश्चात सलीम अपने मामू के घर जाकर उतर गये और वह अपने पापा के ननिहाल चला गया। साक्षी द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के समय 09:37 पर लिये गये फोटोग्राफ को पत्रावली में दाखिल किया गया है तथा उसे वस्तु प्रदर्श ख–1 के रूप में साबित किया गया है तथा सलीम को गणतंत्र दिवस समारोह पर आमंत्रित करने का पत्र प्रदर्श ख–2 के रूप में एवं विद्यालय की मान्यता का पत्र प्रदर्श ख–3 के रूप में दाखिल किया गया है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह की गई है, जिसमें साक्षी ने बताया है कि उपरोक्त सभी प्रदर्श उसने विवेचक को भी दी थी परन्तु विवेचक द्वारा उसे वापस लौटाया नहीं गया था।

84. अभियुक्त सलीम की ओर से दूसरे साक्षी डी०डब्लू०–2 मो० आरिफ खान को भी परीक्षित कराया गया है जो उक्त चौधरी मेंहदी हसन मेमोरियल स्कूल जिला कासगंज के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हैं तथा इस साक्षी का साक्ष्य भी डी०डब्लू०–1 के साक्ष्य से मेल खा रहा है। इस साक्षी से अभियोजन पक्ष के द्वारा जिरह की गई है तथा इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो निमंत्रण पत्र अभियुक्त सलीम को भेजा गया था उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

85. आगे बढ़ने से पूर्व अन्यत्र होने के तर्क (Plea of alibi) के सम्बन्ध में स्थापित विधि का उल्लेख कर दिया जाना सुसंगत होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–11 में प्रावधानित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न विधिक दृष्टान्तों **शेख सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 8 एस०सी०सी० 430, ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2012) 5 एस०सी०सी० 201 व अदालत पण्डित बनाम बिहार राज्य (2010) 6 एस०सी०सी० 469** आदि में यह स्पष्ट कर दिया है कि अन्यत्र होने के सिद्धान्त का आधार यदि बचाव पक्ष के द्वारा अपने निर्दोष होने के सम्बन्ध में लिया जा रहा है तो विचारण न्यायालय को इस सिद्धान्त का कठोरता से व्याख्या करनी चाहिए तथा उसी दशा में स्वीकार करना चाहिए जब उस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त का घटनास्थल पर उपस्थित होने की सम्भावना बिल्कुल न के बराबर हो। **बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य ए०आई०आर० 1997 एस०सी० 322** के विधिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि Plea of alibi का लाभ तभी बचाव पक्ष को दिया जा सकता है जब घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति असम्भव हो जाये। माननीय न्यायालय के शब्दों में–

> "The Latin word alibi means 'elsewhere' and that word is used for convenience when an accused takes recourse to a defence line that when the occurrence took place he was so far sway from the place of occurrence that it is

extremely improbable that he would have participated in the crime. It is basic law that in a criminal case, in which the accused is alleged to have inflicted physical injury to another person, the burden is on the prosecution to prove that the accused was present at the scene and has participated in the crime. The burden would not be lessened by the mere fact that the accused has adopted the defence of alibi The plea of the accused in such cases need be considered only when the burden has been discharged by the prosecution satisfactorily. But once the prosecution succeeds in discharging the burden it is incumbent on the accused, who adopts the plea of alibi to prove it with absolute certainty So as to exclude the possibility of his presence at the place of occurrence. When the presence of the accused at the scene of occurrence has been established satisfactorily by the prosecution through reliable evidence, normally the court would be slow to believe any counter evidence to the effect that he was elsewhere when the occurrence happened. But if the evidence adduced by the accused is of such a quality and of such a standard that the court may entertain some reasonable doubt regarding his presence at the scene when the occurrence took place, the accused would no doubt, be entitled to the benefit of that reasonable doubt. For that purpose, it would be a sound proposition to be laid down that in such circumstances, the burden on the accused is rather heavy. It follows, therefore, that strict proof is required for establishing the plea of alibi. This Court has observed so on earlier occasions (vide Dudh Nath pandey vs state of Utter Pradesh (1981) 2 SCC 166; state of Maharashtra vs Narsingrao Gangaram Pimple AIR 1984 SC 63)."

86. वर्तमान मामले में जिस विद्यालय का उल्लेख डी०डब्लू० –1 एवं डी०डब्लू०–2 के द्वारा किया गया है वह विद्यालय जनपद कासगंज कस्बे में ही है तथा यह स्वाभाविक नहीं लगता है कि साम्प्रदायिक दंगा भड़क जाने पर कोई व्यक्ति उस शहर को छोड़कर 50 किलोमीटर दूर किसी अन्य कस्बे या जिले में चला जाये जैसाकि बचाव साक्षी के द्वारा कहा जा रहा है। जनपद कासगंज कस्बे में ही अभियुक्त सलीम का निवास एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्थित है इसलिए यह संभावना और भी समाप्त हो जाती है। जहां तक मोबाईल से लिये गये फोटोग्राफ्स का सम्बन्ध है, यह फोटो निश्चायक साक्ष्य नहीं हो सकती क्योंकि मोबाईल के साफ्टवेयर एवं सेटिंग में परिवर्तन करके किसी भी फोटोग्राफ पर आये हुए दिनांक एवं समय को आसानी से बदला जा सकता है। यदि थोड़े समय के लिए मान भी लिया जाये कि अभियुक्त सलीम दिनांक–26.01.2018 को समय 09:37 पर चौधरी मेंहदी हसन मेमोरियल

स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल था तो साम्प्रदायिक दंगा भड़क जाने के बाद वह स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के जान माल की सुरक्षा के लिए अपने कासगंज स्थित घर में ही आने को प्राथमिकता देगा, यही उक्त परिस्थितियों में किसी भी मनुष्य का स्वाभाविक आचरण माना जायेगा। इस कारण डी०डब्लू०–1 के साक्ष्य से अभियुक्त सलीम के अन्यत्र होने का तर्क स्थापित नहीं हो रहा है।

87. अभियुक्त नसीम जावेद उर्फ नसीम ने अपने बचाव में डी०डब्लू० –3 नावेद खान को प्रस्तुत किया है, जिसने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि 26 जनवरी, 2018 को वह प्रातः 08:00 बजे सुबह निकला था तथा टहलने के दौरान उसकी मुलाकात नसीम से हुई, तत्पश्चात दोनों प्रातः 09:00 बजे आर०के० जिम जो नॉवेल्टी रोड नाले के पास स्थित है, वहां पहुँचे तथा जिम में अन्य लोगों के साथ वर्कआउट करने लगे। लगभग सवा दस बजे सूचना प्राप्त हुई कि शहर में दंगा हो गया है तथा किसी व्यक्ति को गोली लग गयी है। इस पर सभी व्यक्ति डर गये और धीरे–धीरे अपने घर की ओर जाने लगे। चूँकि साक्षी, नसीम व जिम के मालिक ललित कुमार का घर तहसील रोड पर था इसलिए जिम के मालिक द्वारा इन दोनों को जिम सेन्टर पर ही रोक लिया गया था कि स्थिति सामान्य हो जाने पर सब एक साथ घर के लिए निकलेंगे। वहां से लगभग शाम 04:00 बजे बस स्टैण्ड की ओर निकले और नसीम लगभग 05–06 बजे के बाद अपने घर चला गया। नसीम सुबह लगभग 09 बजे से देर शाम तक मेरे व ललित कुमार के साथ जिम में रहा। इस साक्षी से भी जिरह की गई है तथा इसने बताया है कि इसका मेडिकल स्टोर का काम है तथा 26 जनवरी होने के बाद भी जिम खुला हुआ था। न्यायालय का विचार है कि इस साक्षी के साक्ष्य से इतना स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त नसीम भी कासगंज कस्बे में ही मौजूद था तथा घटनास्थल से इतनी दूर नहीं था कि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित न हो, इस कारण उसे Plea of alibi का लाभ नहीं दिया जा सकता।

88. अभियुक्त वसीम जावेद ने भी अपने Plea of alibi के समर्थन में डी०डब्लू०–4 यादुल हसन पुत्र कमरुल हसन व डी०डब्लू०–9 अख्तर अली उर्फ खुर्शीद खां तथा डी०डब्लू०–10 मो० खालिद पुत्र मो० सईद को परीक्षित कराया गया है तथा उनके द्वारा अभियुक्त वसीम को घटना के दिनांक–26.01.2018 को कस्बा सिकंदरराव, जिला हाथरस में मरकज मस्जिद में उपस्थित होने का कथन किया है। इन साक्षीगण के साक्ष्य का निष्कर्ष यह है कि दिनांक–01.12.2017 से जिला कासगंज की जामा मस्जिद से शुरू चार महीने की धार्मिक यात्रा तीन चिल्ला के दौरान वह अपने 9 साथियों हाफिज, शान, मुजम्मिल, आमिर, दानिश आदि के साथ

कई जिलों व कस्बों में गया था। दिनांक–26.01.2018 को किसी व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि जिला कासगंज में बिलराम गेट तथा बड्डूनगर के पास दंगा हो गया है तथा किसी व्यक्ति को गोली लग गयी है तथा कर्फ्यू लग गया है तब सभी साथी दिनांक–28.01.2018 को प्रोग्राम के मुताबिक दिल्ली रवाना हो गये थे तथा वसीम जावेद अपनी फूफी के साथ खुर्जा बुलन्दशहर चला गया था। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि धार्मिक यात्रा के दौरान दिनांक–26.01.2018 को सभी लोग जिला हाथरस में एक साथ मौजूद थे। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा जिरह की गई है, जिसमें यात्रा के बारे में विस्तार से पूछा गया है तथा साक्षी ने उत्तर दिया है कि घटना के दिनांक को वे सभी लोग हाथरस कस्बे से 30 किलोमीटर दूर सिकंदराराव की मरकज मस्जिद में रुके हुए थे। इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त वसीम जावेद घटनास्थल के दिनांक व समय पर, इतनी दूर नहीं था कि उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति असंभव हो जाये। यह भी तथ्य सामने आ रहा है कि उसने अपने शेष साथियों के साथ पूरी धार्मिक यात्रा नहीं की थी तथा बीच में ही यात्रा छोड़ दी थी। डी०डब्लू०–9 अख्तर अली एवं डी०डब्लू०–10 मो० खालिद की जिरह से अभियोजन द्वारा एक तथ्य और सामने लाया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति मरकज मस्जिद में रुकता है तो वहां आने जाने वाले लोगों का नाम रजिस्टर में अंकित किया जाता है तथा उक्त मरकज की मस्जिद का कोई रजिस्टर न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो रहा हो कि घटना के दिनांक या उसके आसपास कभी अभियुक्त वसीम जावेद के द्वारा सिकंदरराव की मरकज मस्जिद में निवास किया गया हो।

89. अभियुक्त मो० जाहिद उर्फ जग्गा ने भी घटना के दिनांक व समय पर स्वयं को जनपद लखनऊ में होने का आधार लेते हुए Plea of alibi को साबित करने के लिए तीन साक्षियों डी०डब्लू०–5 मनोज कुमार महेश्वरी, डी०डब्लू०–6 जितेन्द्र कुमार व डी०डब्लू०–7 विनय कुमार को परीक्षित कराया है। उपरोक्त तीनों साक्षियों के साक्ष्य का निष्कर्ष ये है कि दिनांक–25.01.2018 को सुबह लगभग 08 बजे डी०डब्लू०–5 मनोज महेश्वरी अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर डी०डब्लू०–6 जितेन्द्र कुमार तथा अभियुक्त मो० जाहिद उर्फ जग्गा के साथ कासगंज से लखनऊ के लिए चला था तथा लगभग 02:00 बजे शिवाजी रोड, तीरथ भवन, लखनऊ के यहां पहुंचे और आयकर भवन से आठ बजे निकलने के बाद पारिजात पैलेस लखनऊ में रिश्तेदार से मुलाकात किये तथा मनोज के साले डी०डब्लू०–7 विनय कुमार के यहां रात्रि विश्राम किये तथा दिनांक–26.01.2018 को साढ़े सात बजे गुडम्बा थाने में बंद इनोवा क्रिस्टा वाहन यू०पी० 93 ए०वी० 2222 को छुड़ाने के लिए पहुँचे तथा

गणतंत्र दिवस समारोह के कारण उक्त वाहन एक बजे मिल पाया, फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे से होते हुए लगभग ढ़ाई–तीन बजे जनपद कासगंज पहुंचे जहां कर्फ्यू लग चुका था तथा भारी पुलिस बल मौजूद थी। मो० जाहिद उर्फ जग्गा को लगभग सवा तीन बजे दोपहर में उसके घर के सामने उतार दिया गया व मनोज अपने घर चला गया। टोल टैक्स आगरा एक्सप्रेस–वे की रसीद को प्रदर्श ख–3 के रूप में पत्रावली में दाखिल किया है तथा गुडम्बा थाने से रिलीज आर्डर को जी०डी० संख्या–33 दिनांकित–26.01.2018 को भी न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रदर्श ख–4 के रूप में दाखिल किया गया है।

90. इस साक्षी से भी अभियोजन द्वारा जिरह की गई है, जिसमें साक्षी ने यह बताया है कि प्रदर्श ख–4 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं तथा प्रदर्श ख–3 व 4 दोनों पर उसके ड्राइवर के नाम व हस्ताक्षर नहीं हैं। इन तीनों ही साक्षियों के साक्ष्य से, यह तथ्य नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त मो० जाहिद उर्फ जग्गा लखनऊ में रहा हो, क्योंकि मात्र टोल प्लाजा की रसीद के अलावा यदि उसकी ओर से वहां उपस्थित होने की कोई सी०सी०टी०वी० रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गई होती, जिसमें उसकी फोटो होती तो उसे इसका लाभ मिल सकता था। इसी प्रकार थाना गुडम्बा परिसर की भी कोई सी०सी०टी०वी० रिकॉर्डिंग अभियुक्त मो० जाहिद उर्फ जग्गा को अपने द्वारा लिये गये Plea of alibi के तर्क को सम्पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए था। यहां यह भी उल्लेख किया जाना सुसंगत होगा कि जिस गाड़ी से कथित रूप से मनोज, जितेन्द्र एवं अभियुक्त जाहिद उर्फ जग्गा द्वारा कासगंज से दिनांक –25.01.2018 को जनपद लखनऊ आने का वर्णन किया गया है, उस गाड़ी को कहां छोड़ दिया गया, इसका उल्लेख नहीं है क्योंकि इन लोगों का कथन है कि वाहन संख्या–2222 को थाना गुडम्बा से रिलीज करवाया गया था। यदि उक्त वाहन संख्या–2222 के टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत की गई है तो दिनांक–25.01.2018 वाले वाहन के भी टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए थी, जैसाकि नहीं किया गया है। इससे यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकल रहा है कि साक्षी डी०डब्लू०–5 के द्वारा अपने वाहन संख्या–2222 को लखनऊ आकर रिलीज कराया गया होगा तथा अच्छे सम्बन्ध के कारण अभियुक्त जाहिद उर्फ जग्गा ने उसी वाहन में लखनऊ से जाने का तथ्य रखकर न्यायालय के समक्ष Plea of alibi का तर्क रखने के लिए अपने मित्र साक्षी मनोज से अनुरोध कर लिया है।

91. साक्षी डी०डब्लू०–12 राजकुमार को अभियुक्त शवाब ने अपनी ओर से Plea of alibi का तर्क रखने के लिए प्रस्तुत किया है तथा साक्षी राजकुमार ने यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक–26.01.2018 को वह 08:30 बजे ऑफिस पहुंचकर

झण्डारोहण किया था तथा एयरटेल कम्पनी में सेल्स का काम करता है तथा उसके साथ 09:00 बजे शवाब मिल गया था, जहां से फील्ड के लिए निकल करके कैम्प लगाये थे तथा मालूम चला कि कासगंज में दंगा हो गया है और फिर कैम्प निकालकर वापस 10:30 बजे घर चला आया और शवाब अपनी ससुराल गजडुड़ चला गया था। इस साक्षी से भी जिरह की गई है तथा साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक–26.01.2018 को ऑफिस में रहने का कोई रजिस्टर या फील्ड में जाने का कोई रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया है। इस प्रकार न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त शवाब घटना के समय पर घटनास्थल से इतनी दूर नहीं माना जा सकता कि उसको Plea of alibi का लाभ दिया जा सके।

92. डी०डब्लू०–13 सलमान अहमद को अभियुक्त बबलू ने अपने Plea of alibi को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने बताया है कि वह दिल्ली में वर्ष 2018 में डोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में साफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था तथा उस दिन अभियुक्त बबलू भी उसके निवास स्थान दिल्ली में ही था और इंटर्नशिप कर रहा था। दिनांक–26.01.2018 को कासगंज से बहन का फोन आया कि दंगा हो गया है और कासगंज आ जाओ एवं हम लोगों को यहां से सुरक्षित ले चलो। उसके बाद हम और बबलू दिल्ली से लगभग 3 बजे दोपहर में चलकर रात को आठ बजे कासगंज पहुंचे, दूसरे दिन 27.01.2018 को बबलू को मेरे घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साक्षी से भी जिरह की गई है, परन्तु साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक–26.01.2018 को अभियुक्त बबलू के दिल्ली में रहने के सम्बन्ध में उसके पास कोई दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य नहीं है। न्यायालय का विचार है कि साक्षी द्वारा Plea of alibi के सम्बन्ध में दिया गया उपरोक्त साक्ष्य बबलू के पक्ष में न्यायालय के मन में कोई विश्वास पैदा नहीं कर पा रहा है।

93. साक्षी अतीक अहमद को डी०डब्लू०–14 के रूप में अभियुक्त शाकिब के द्वारा परीक्षित कराकर यह तर्क रखा गया है कि घटना के दिनांक–26.01.2018 को 08:30 बजे से 12:30 बजे दिन में अभियुक्त शाकिब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल था। इस साक्षी ने बताया है कि शाकिब ए०एम०यू० का पूर्व छात्र रह चुका है तथा वर्ष 2015 में बी०एस०सी० की पढ़ाई छोड़ दी थी तथा बाद में जानकारी हुई कि उसे कासगंज दंगे में नामित कर दिया गया है और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि घटना के समय वह ए०एम०यू० कैम्पस में था। इस बात की पुष्टि के लिए उसने ए०एम०यू० के पदाधिकारियों से मुलाकात करके सी०सी०टी०वी० की फुटेज निकलवाकर उनकी वीडियोज की पेन ड्राइव को एवं अन्य फोटोग्राफ को अखबार की कटिंग को वस्तु

प्रदर्श–2, फोटो क्रम सं०–1 से 11 को वस्तु प्रदर्श–3 तथा अखबार की कटिंग प्रदर्श ख–6 तथा धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र को प्रदर्श ख–7 के रूप में साबित किया गया है।

94. साक्षी अतीक अहमद से अभियोजन द्वारा जिरह की गई है, जिसमें साक्षी द्वारा बताया गया है कि वह महाराष्ट्र से गवाही देने आया है तथा ए०एम०यू० का कम्प्यूटर सिस्टम का कंट्रोलर कौन है, इसकी जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा इस सी०सी०टी०वी० फुटेज एवं दाखिल फोटोग्राफ का परिशीलन किया गया है, जिसमें काला स्वेटर/जैकेट व नीला जींस पहने हुए अभियुक्त शाकिब को बताया जा रहा है एवं गोले घेरे से रेंखांकित किया गया है। इस फोटोग्राफ पर समय 15:29 बजे, 16:10 बजे, 16:20 बजे से आगे के समय पड़े हुए हैं। कोई फोटोग्राफ ऐसा नहीं है जिसमें अभियुक्त शाकिब को ए०एम०यू० में झण्डारोहण के समय 09:00 बजे से 10:30 बजे के बीच में शामिल हुआ दिखाया गया हो। कासगंज से अलीगढ़ की दूरी लगभग 60 किमी है तथा इस दूरी को आराम से एक घण्टे के समय में पूरा किया जा सकता है। अर्थात् कासगंज में 09:00 से 10:30 बजे प्रातः के बीच में घटना कारित होने के बाद यदि 02:00 बजे भी शहर छोड़ दिया जाये तो आसानी से ए०एम०यू०, सी०सी०टी०वी० फुटेज में दिखाये गये समय पर पहुंचा जा सकता है। एक तथ्य यह भी है कि अभियुक्त शाकिब वर्तमान में ए०एम०यू० का छात्र नहीं है तथा उसने बी०एस०सी० की पढ़ाई भी ए०एम०यू० से पूरी नहीं की थी, उसके बाद भी उसका ए०एम०यू० कैम्पस में जाना, क्या हिंसा के बाद आत्मरक्षा में या Plea of alibi लेने की सोची–समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। यह सम्भावना इसलिए विचारणीय है क्योंकि अखबार की जो कटिंग प्रदर्श ख–6 के रूप में दाखिल की गई है, उसमें कासगंज हिंसा के पीड़ितों को ए०एम०यू० छात्रसंघ की ओर से 1,00,000/– रूपये की मदद लेने की भी खबर छपी है तथा छात्रसंघ के पदाधिकारियों के द्वारा यह बयान दिये गये थे कि समुदाय विशेष को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है एवं तिरंगा यात्रा माहौल बिगाड़ने का प्रयास थी। इस प्रकार यह न्यायालय डी०डब्लू०–14 अतीक अहमद के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शाकिब को Plea of alibi का लाभ नहीं दे रही है।

95. डी०डब्लू०–15 कन्हैया को अभियुक्त आसिफ जिमवाला ने अपनी Plea of alibi साबित करने के लिए पेश किया है तथा एक शादी के कार्ड प्रदर्श ख–8 को भी प्रस्तुत किया गया है। साक्षी ने बताया है कि दिनांक–26.01.2018 को वह अपने गांव मोहनपुर टाउन एरिया जनपद कासगंज में उपस्थित था, जो शहर से लगभग 28–30 किमी० की दूरी पर है तथा आसिफ जिमवाला अपनी कजिन सिस्टर की

शादी का कार्ड देने आया था जो दिनांक–27.01.2018 को होनी थी। अभियुक्त आसिफ जिमवाला व साक्षी कन्हैया आपस में बातचीत कर रहे थे तभी आसिफ के मोबाईल पर उसके घर से फोन आया था कि कस्बे कासगंज में दंगा फैल गया है तथा घर मत आना, इस कारण आसिफ पूरे दिन व रात कन्हैया के साथ उसी के घर पर रहा। न्यायालय का विचार है कि 28–30 किमी० की दूरी भी ऐसी दूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति घटना के कथित समय 09:00 से 10:30 बजे के बीच में कासगंज में न उपस्थित हो तथा यह भी विश्वास करना सामान्य प्रज्ञा से परे होगा कि शहर में जहां साम्प्रदायिक हिंसा फैली हो, वहां कोई व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर किसी और जगह लगातार 24 घण्टे रहे। इस प्रकार पी०डब्लू०–15 का साक्ष्य भी अभियुक्त आसिफ जिमवाला की कोई मदद नहीं कर रहा है।

96. अभियुक्त राहत की ओर से साक्षी डी०डब्लू०–16 रोहित वार्ष्णेय निवासी मोहल्ला जयजयराम कासगंज Pleal of alibi का साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं तथा इस साक्षी ने बताया है कि दिनांक–26.01.2018 को सुबह आठ बजे वह अपने घर में था तथा अभियुक्त राहत उसी मकान में किराये पर रहता है तथा दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। उसके बाद किराने की दुकान खोलने के लिए घर से राहत के साथ निकले तभी पिताजी का फोन आया कि शहर में दंगा हो गया है, इस पर राहत को साथ में लेकर अपने बच्चे को स्कूल से लेने गाड़ी से चले गये तथा बच्चे को लाकर हम व राहत दो–तीन दिन तक घर से बाहर नहीं निकले थे। बाद में राहत को पुलिस के द्वारा दंगाई के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस साक्षी से अभियोजन ने जिरह की है तथा साक्षी ने बताया है कि राहत एक शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा घटनास्थल से उसका आवास लगभग 1 किमी० की दूरी पर है। इस प्रकार घटनास्थल से अभियुक्त राहत के आवास की दूरी ऐसी नहीं है कि इससे राहत को Plea of alibi का लाभ दिया जा सके।

97. अभियुक्त मोहसिन के द्वारा लिये गये Plea of alibi का समर्थन करने के लिए डी०डब्लू०–17 सतीश चन्द्र निवासी– बगिया सत्तार, मोहल्ला–नवाब कासगंज को परीक्षित कराया गया है, जिसमें साक्षी ने बताया है कि वह और मोहसिन दोनों फल का ठेला लगाते हैं एवं सवा पांच–साढ़े पांच बजे सुबह मंडी से, जो लगभग 5 किमी० दूर है, फल खरीदने चले गये थे। मंडी से फल खरीदकर वापस आने की तैयारी कर रहे थे तभी सूचना प्राप्त हुई कि शहर में दंगा हो गया है, उसके बाद वे दोनों वहीं मंडी में 01:00 बजे दोपहर तक रूके रहे और खरीदे गये फल को वहीं आढ़ती के पास रखकर अपने घर पैदल गली के रास्ते वापस चले आये थे तथा दिन भर अपने–अपने घर पर रहे। इस साक्षी से भी जिरह की गई है तथा साक्षी ने बताया

है कि दंगे के बाद शहर में कर्फ्यू लग गया था तथा फलमंडी खुली हुई थी तथा फलमंडी की कोई रसीद दाखिल नहीं की गई है। न्यायालय का विचार है कि साक्षी के द्वारा अभियुक्त मोहसिन के फलमण्डी में होने की कोई सी०सी०टी०वी० रिकॉर्डिंग भी नहीं प्रस्तुत की गई है तथा जो दूरी घटनास्थल से बताई गई है, वह 5 किमी० की दूरी ऐसी नहीं है कि अभियुक्त मोहसिन को Pleal of alibi का लाभ दिया जा सके।

98. साक्षी डी०डब्लू०–19 शकील को अभियुक्त आसिफ उर्फ हिटलर ने अपनी Plea of alibi के तर्क को साबित करने के लिए परीक्षित कराया है। इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक–26.01.2018 को वह अपने घर मो० नवाब में था तथा लगभग 8 बजे सुबह आसिफ उर्फ हिटलर उससे मिलने आया था तथा घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे तो बस्ती के लोगों के भागने की आवाज सुनकर बाहर निकलकर देखने पर मालूम चला कि शहर में दंगा हो गया है तथा लोग अपनी जान बचाकर इधर–उधर जा रहे थे। इस सूचना के बाद मैने अपना दरवाजा बंद कर लिया तथा पूरे दिन आसिफ हिटलर मेरे साथ मेरे ही घर पर था और रात में 08:00 बजे वापस अपने घर गया था। इस साक्षी से जिरह पर ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे उसके साक्ष्य का कोई सम्पोषण हो रहा हो, कोई सी०सी०टी०वी० फुटेज इत्यादि भी नहीं है तथा यह भी सामान्य मनुष्य के आचरण के विपरीत है कि उसी शहर में रहने वाला कोई व्यक्ति दंगे की सूचना पर किसी अन्य घर में रुक जाये, जबकि सड़क पर बाहर लोग भागकर अपने घरों की ओर जा रहे हों।

99. डी०डब्लू०–18 सलीम को अभियुक्त मोहसिन की गिरफ्तारी को अवैध साबित करने के आशय से प्रस्तुत किया गया है तथा इस साक्षी ने बताया है कि 29.01.2018 को जब मोहसिन 02:00 दोपहर में जामा मस्जिद मो० नवाब, कासगंज में नमाज साथ–साथ पढ़ रहा था तभी एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह मस्जिद में बगैर जूते उतारे दाखिल हुए तथा नमाज पढ़ने की जगह तक पहुंचकर मोहसिन को घसीटकर लेकर चले गये जबकि वहां उपस्थित लोगों ने ऐतराज किया था। इस साक्षी से जिरह की गई है तथा साक्षी ने बताया है कि अभियुक्त मोहसिन की गिरफ्तारी व जामा तलाशी फर्द पर पुलिस ने कोई हस्ताक्षर नहीं बनवाये थे तथा जामा मस्जिद में कोई सी०सी०टी०वी० फुटेज भी नहीं है तथा मुतवल्ली को भी साक्ष्य में नहीं प्रस्तुत किया गया है।

100. साक्षी डी०डब्लू०–21 फैजान अहमद को अभियुक्तगण अकरम व नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी का साक्षी बनाया गया है तथा साक्षी ने यह बताया है कि उसकी चूड़ी की दुकान है एवं ऊपर वह निवास करता है। अभियुक्त अकरम व उसके

पिता नसरुद्दीन लगभग 20 कदम दूरी पर किराने की दुकान खोले हुए हैं तथा ऊपर निवास करते हैं। 26.01.2018 को समय 09:30–10:00 के बीच पुलिस आई और नसीरुद्दीन को दुकान से ले जाने लगी तब अकरम ने आपत्ति की थी कि उसके बीमार अब्बा को क्यों ले जा रहे हैं, तब पुलिस ने अकरम को भी साथ में लिवा लिया था। पुलिस पहले भी उनकी दुकान पर खरीददारी करने आती थी। बाद में मालूम चला था कि शहर में दंगा हो गया है। इस साक्षी से जिरह की गई है तथा साक्षी ने बताया है कि पुलिस के आने के पहले उसके इलाके में कोई शोरगुल व भगदड़ नहीं हुई थी न ही ईंट–पत्थर, लाठी–डण्डों या गोली चलने की आवाज आयी थी तथा घटनास्थल उसके घर से करीब 800–900 कदम की दूरी पर है। इस साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस 26.01.2018 को 09:00–10:00 बजे से ही लोगों को पकड़–पकड़ कर ले जा रही थी, रिक्शे वालों को भी नहीं छोड़ रही थी तथा वह डर के मारे दुकान बंद करके घर के अंदर चला गया था। हालांकि इस साक्षी ने जिरह में स्वीकार किया है कि पुलिस ने न तो उसके घर का दरवाजा खटखटाया, न उसे बुलाया और न ही उससे पूछताछ की थी। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से अपने आप स्वाभाविक निष्कर्ष सामने आ रहा है कि जिन लोगों के दंगे में शामिल होने के ठोस सबूत थे, उन्हीं को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ की गई थी।

101. डी०डब्लू०–22 स्वतंत्र कुमार सिंह को बचाव पक्ष ने सिराज अहमद के सम्बन्ध में Plea of alibi के बिन्दु को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया है। इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि दिनांक–26.01.2018 को वह नगर पालिका का वार्ड नं०–17 का सदस्य था एवं गाँधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने 07:00 बजे गया तत्पश्चात लौटकर लगभग 01:00 बजे अपने घर जा रहा था तो सिराज अहमद के घर उससे मिलने चला गया। वहां पर सिराज की पत्नी ने साक्षी को कमरे में बिठाया और सिराज को फोन किया तब सिराज ने उधर से जवाब दिया कि अभी वह कुछ देर में आ रहे हैं। इस पर साक्षी ने देखा कि सिराज का पुत्र नीशू कमरे में सो रहा है तथा पूछे जाने पर कि इतनी देर तक क्यों सो रहा है तो नीशू की मां ने बताया कि रात में आगरा से घर आया है और कल जन्मदिन है। तब सिराज की पत्नी ने सिराज को बुलाया और कहा कि तुम घर आ जाओ बिलराम गेट पर झगड़ा हो गया है तथा लगभग 20–25 मिनट बाद साक्षी अपने घर चला आया था। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार नीशू दिनांक–26.01.2018 को अपने घर पर दोपहर लगभग एक–डेढ़ बजे तक सो रहा था, इस कारण उसके दंगे में शामिल होने का प्रश्न नहीं है। न्यायालय का विचार है कि अभियुक्त नीशू, घटना के दिन उसी शहर में स्थित है तथा इस कारण सोने या जगने के आधार पर उसे Plea of alibi का लाभ नहीं मिल

सकता।

102. अभियुक्त असीम कुरैशी के द्वारा अपनी Plea of alibi को साबित करने के लिए यह कहा गया है कि वह अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में 26.01.2018 को उपस्थित था तथा इस तथ्य को साबित करने के लिए उसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के साक्षी डी०डब्लू०–23 इरफान अहमद जो ए०एम०यू० में सिक्यरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत् हैं तथा जिनके जिम्मे सी०सी०टी०वी० व सुरक्षा का कार्यभार है, उनको प्रस्तुत किया है। जिसने धारा–65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाणपत्र को साबित किया है तथा सी०सी०टी०वी० फुटेज को वस्तु प्रदर्श–4,5,6,7 व प्रदर्श ख–9 व 10 के रूप में साबित किया है तथा बताया है कि वह मेडिकल कालेज की सिक्योरिटी भी देखता है। न्यायालय द्वारा उक्त सी०सी०टी०वी० फुटेज को देखा गया है, जिसमें असीम कुरैशी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में वार्ड नं०–15 में 10:22 बजे एवं 10:18 बजे पर सी०सी०यू० एण्ड कार्डियोलॉजी विभाग के सामने दिखायी दे रहा है। कासगंज दंगे की घटना भी लगभग इसी समय की है, जिसमें चंदन की कथित मृत्यु कारित की गई थी तथा अलीगढ़ से कासगंज की दूरी को देखते हुए न्यायालय का विचार है कि उक्त अभियुक्त असीम कुरैशी को Plea of alibi का लाभ देते हुए घटनास्थल कासगंज में उसी समय उसकी उपस्थिति सम्भव नहीं पाई जा रही है। इस प्रकार उभय पक्षों के दिये गये साक्ष्यों के प्रकाश में इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि अभियुक्त असीम कुरैशी अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की कथित हत्या के समय कासगंज में घटनास्थल पर उपस्थित होना नहीं माना जा सकता परन्तु यहीं पर यह भी जोड़ा जाना सुसंगत होगा कि अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की मृत्यु के उपरान्त भी साम्प्रदायिक हिंसा लगातार जारी रही थी तथा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज से एक घण्टे में कासगंज कस्बे में पहुंचा जा सकता है तथा इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की मृत्यु के उपरान्त दिनांक–26.01.2018 को हुए साम्प्रदायिक हिंसा में अभियुक्त असीम कुरैशी दिन भर में कभी भी कासगंज न आया हो।

103. जैसा कि यह भी उल्लेख किया जा चुका है कि घटना के विवरण के सम्बन्ध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों विवेक गुप्ता व सौरभ पाल के बताये जाने के अनुसार पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता ने तहरीर लिखकर दी थी, जिस पर एफ०आई०आर० पंजीकृत हुआ था। पी०डब्लू०–3 सौरभ पाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का विवरण देते हुए न्यायालय में सशपथ साक्ष्य दिया है कि "दिनांक–26.01.2018 को राष्ट्रध्वज तिरंगा यात्रा प्रभु पार्क से निकाल रहे थे और पूरे शहर में भ्रमण करने की राय थी, जो यात्रा हम लोग प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त व 26 जनवरी के अवसर पर

निकालते है। मेरी इस तिरंगा यात्रा में चन्दन गुप्ता व उसका भाई विवेक गुप्ता, प्रतीक, महेश्वरी, प्रतीक मालु, राहुल गुप्ता तथा अन्य लोग लगभग 35–40 मोटर साइकिले थी, जिस पर राष्ट्रीय ध्वज लिए सवार थे। तिरंगा यात्रा लेकर हम लोग समय करीब नौ साढ़े नौ बजे सुबह जब बड्डूनगर पहुंचे तो वहां पहले से रास्ता रोककर मुस्लिम समाज के लोग खड़े हुए थे। उन लोगों ने हम लोगों को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया और पथराव लाठी–डण्डों से हमला कर दिया। हम अपनी बाइकें मोटर–साइकिलें छोड़कर कुछ लेकर हम लोग जान बचाकर भागे। जब हम लोग बिलराम गेट चौराहा पर पहुंचे तो वहां भी पथराव हो रहा था। हम लोग वहां से बचकर राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिये हुए भारत माता की जय कहते हुए तहसील गली की ओर जाने लगे जहां पहले से घात लगाकर सलीम के घर के पास मुस्लिम समाज के लोगों ने हमे घेर लिया, जिसमें सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ हिटलर आसिफ जिम वाला, हासिम कुरैशी, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, बब्लू, नीशू, असलम, राहत व लगभग 100 लोग जिनके हाथों में अवैध असलहे डण्डा, तमंचा आदि लिये हुए थे। उन्होंने हमे घेर लिया और एकजुट होकर बोले कि ये साले हिन्दू रोज–रोज हिन्दुस्तान जिन्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, आज इन्हें देख लिया जाय और हमारे हाथों से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक कर पैरों से रौंदने लगे और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे और लोगों ने सलीम से कहा कि चूक मत जाना और सलीम ने अपना असलहा निकाला और फायर किया जो गोली चन्दन गुप्ता को लगी और बहुत से लोगों को चोटें आई और चन्दन गुप्ता लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। चन्दन गुप्ता को हम लोग वहां से उठाकर व तिरंगा उठाकर कोतवाली की तरफ चल दिये। कोतवाली कासगंज से पुलिस जीप से सरकारी अस्पताल ले गये। जहां डाक्टरों ने चन्दन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जिन लोगों को चोटें आयी थी उन्होंने मेडिकल नहीं कराया था। चन्दन गुप्ता का पोस्टमार्टम हुआ था। इस घटना के बाद लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया था। शहर में जगह–जगह पथराव आगजनी की घटनाएं होने लगी। पुलिस ने घर पर आकर मेरा बयान लिया था।"

104. अपनी जिरह में पेज–3 से आगे इस साक्षी ने कहा है कि उसकी तिरंगा रैली को हिन्दू युवा वाहिनी द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा था, बल्कि कस्बे के युवाओं द्वारा रैली निकाली गई थी, जिसका नेतृत्व कोई विशेष रूप से नहीं कर रहा था और न ही इस रैली को निकालने के लिए पूर्व से कोई रास्ता या मार्ग प्रस्तावित किया गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से दौरान बहस यह तर्क रखा गया है कि यह तिरंगा रैली बिना किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से

निकाली जा रही थी जो तनाव का मुख्य कारण बनी थी। रैली निकालने वालों को प्रशासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी, जैसाकि नहीं किया गया। इस तर्क का विरोध करते हुए विद्वान लोक अभियोजक ने कथन किया कि 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस है तथा उस दिन प्रातः प्रभातफेरी एवं तिरंगा रैली निकाले जाने के लिए किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वह हिन्दू बाहुल्य क्षेत्रों में हो या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में हो।

105. न्यायालय अभियोजन के इस तर्क से सहमत है तथा राष्ट्रीय पर्वो के महत्वपूर्ण अवसर पर पूर्व प्रशासनिक अनुमति आवश्यक नहीं है तथा यदि कासगंज में युवाओं की तिरंगा यात्रा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से निकाली जा रही थी तो इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि वह घटना साम्प्रदायिक तनावों का मूल कारण बनी बल्कि साम्प्रदायिक तनाव, साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विचार एवं मन–मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, जिसका वर्णन आगे किया जायेगा। इस साक्षी से जिरह में घटनास्थल की जानकारी होने के सम्बन्ध में विस्तार से पृष्ठ–3 पर प्रश्न पूछे गये हैं, जिसमें उसने बताया है कि अगर वह बिलराम गेट से घर जाये तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाना होगा। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि वह तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अपने मोटरसाइकिल यू.पी.87 सी.0320 को लेकर राहुल गुप्ता के साथ शामिल हुआ था, जो मोटरसाइकिल बड्डूनगर में छूट गई थी। प्रभुपार्क में सभी लोगों के इकट्ठा होते–होते करीब नौ बज गये थे तथा तिरंगा यात्रा प्रभुपार्क से निकलकर माल गोदाम चौराहे से रेलवे रोड पहुंची तथा माल गोदाम रोड पर एक–दो मिनट रुके थे और वहां उपस्थित जनता तिरंगा रैली से उत्साहित थी तथा समर्थन में नारे भी लगे थे। आगे इस साक्षी ने बताया है कि रेलवे रोड से तिरंगा यात्रा गाँधी रोड पर गयी थी, जो भीड़भाड़ वाला इलाका है, परन्तु उस दिन उतनी भीड़भाड़ नहीं थी कि मोटरसाइकिलें रोड से एकसाथ निकल न पायें। पृष्ठ–5 पर तिरंगा यात्रा का विवरण प्रस्तुत करते हुए आगे इस साक्षी ने बताया है कि गाँधी मूर्ति पर झंडारोहण कर वहां एक मिनट लगभग रुके थे, जहां से सोरो गेट पहुँचे फिर बिलराम गेट चौराहे की ओर गये थे। इस साक्षी ने आगे बताया है कि बड्डूनगर जाने के लिए बारादुआरी और बिलराम गेट से 20 कदम दूरी से बराबर का रास्ता है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और संकीर्ण रास्ता है। उस समय वह रैली के बीचोबीच में था, इसलिए उसे यह नहीं दिखायी दिया कि वहां स्कूल के पास झंडे का दृश्य या कुर्सियां पड़ी हुई हों। पृष्ठ–6 पर इस साक्षी ने बताया है कि स्कूल के पास सड़क पर कुर्सियां पड़ी थीं, यह उसे दिखायी नहीं पड़ा था परन्तु तिरंगा यात्रा में मौजूद आगे के लोगों व बड्डूनगर के स्थायी लोगों के बीच कहासुनी हो रही थी, जो वह साफ–साफ नहीं सुन पा रहा था

परन्तु इतना सुना था कि बड्डू नगर के लोग कह रहे थे कि तुम लोग आगे नहीं जा पाओगे तथा रैली वहां पर तीन–चार मिनट तक रुकी थी। पृष्ठ–7 पर इस साक्षी ने कहा है कि जब वह अपनी रैली के बीच में मौजूद था तभी भगदड़ मच गयी थी व पथराव शुरू हो गया था तथा वह अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर जान बचाकर भागा और रैली पथराव से तितर–बितर हो गयी थी तथा लगभग 20–25 मोटरसाइकिलों को छोड़कर वे लोग भाग गये थे। स्पष्ट करते हुए साक्षी ने आखिरी पंक्ति में कहा है कि यह बात सही है कि तिराहे से स्कूल की तरफ आगे नहीं बढ़ पाये पीछे लौटकर भागे थे। पेज–8 पर इस साक्षी ने कहा है कि वह वापस बिलराम गेट चौराहे पर अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर आ गया था तथा उस घटना को लेकर सभी लोग अपनी–अपनी दुकानें बन्द करके घरों में छिप गये थे और डर का माहौल व्याप्त हो गया था। इसी पेज की आखिरी पंक्ति में इस साक्षी ने कहा है कि जहां पर वह था वहां से थाने की दूरी 200 मीटर होने के बावजूद इसलिए नहीं गया क्योंकि बिलराम गेट पर पथराव हो रहा था।

106. इस साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि तिरंगा रैली जब बड्डूनगर तिराहे के पास पहुंची तब वहां पर उपस्थित लोगों जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, द्वारा तिरंगा रैली को आगे बढ़ने से मना कर दिया गया तथा दोनो पक्षों में वाद–विवाद हुआ एवं तुरंत मुस्लिम समाज जो वहां पर भारी संख्या में था, के द्वारा पथराव प्रारम्भ कर दिया गया और भगदड़ मच गयी, जिससे रैली में भाग लेने वाले सदस्यों के द्वारा लगभग 20–25 मोटरसाइकिलों को छोड़कर जान बचाने के लिए आगे न बढ़कर वापस लौटना उचित समझा गया एवं उक्त पत्थरबाजी की घटना इस कोटि की थी कि उससे सामान्य जनता आतंकित हो गयी थी और सभी अपनी–अपनी दुकानें बंद करके घरों में छिप गये थे तथा डर का माहौल व्याप्त हो गया था। पेज –13 पर भी इस साक्षी ने बताया है कि बड्डूनगर से भाग कर जब वह बिलराम गेट पर आया तो वहां भी पत्थरबाजी हो रही थी, दंगाई दंगा भड़का रहे थे व नाजायज असलहे से गोली चला रहे थे। एफ०आई०आर० जो वादी मुकदमा पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता के द्वारा दर्ज कराई गई उसकी तहरीर के सम्बन्ध में इस साक्षी सौरभ पाल ने पेज–13 के आखिरी पैरा में यह बताया है कि एफ०आई०आर० दर्ज होने के पहले उसने वादी मुकदमा को घटना के बारे में सारी बातें बताई थी तथा दर्ज होने के बाद भी उसने एफ०आई०आर० पढ़ी थी। पृष्ठ–14 पर स्पष्ट करते हुए कि तहरीर में दी गई सारी बातें सही थी या सुनी सुनाई थी, साक्षी ने उत्तर दिया है कि उसने अपने आँखो से देखी हुई घटना को वादी मुकदमा को बताया था। बाद में दो अभियुक्तगण मुनाजिर और आमिर के नाम संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में साक्षी ने साक्ष्य देते हुए कहा है

कि उसने विवेचक को दिये गये अपने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में मुनाजिर रफी व आमिर रफी का नाम पढ़ा था तथा यह कहना गलत है कि उसने कुछ लोगों के द्वारा पैसे व दबाव देने के कारण इन दोनों का नाम लिया हो।

107. अभियोजन की ओर से परीक्षित दूसरे चक्षुदर्शी साक्षी विवेक गुप्ता ने घटना का विस्तार से वर्णन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि "दिनांक–26.01.2018 की घटना है, उस दिन मैं और मेरा भाई अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन गुप्ता तथा प्रतीक मालू, विवेक माहेश्वरी, लखन प्रताप सिंह, सौरभ पाल व अन्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रगान करने के बाद तीस से चालीस मोटर साइकिलों पर सवार होकर हाथों व मोटरसाइकिलों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर प्रभु पार्क से तिरंगा रैली प्रारम्भ की। जैसे ही हम लोग बद्दूनगर में पहुंचे, वहां पर मुसलमानों के लड़के झुण्डों में खड़े थे, जिनमें ज्यादातर युवा थे। रास्ते से निकलने पर हम लोगों में वाद–विवाद होने लगा फिर वो लोग (मुसलमानों के लड़के) हमको लाठी, डण्डों से मारने लगे व पथराव करने लगे। हम लोग ज्यादातर मोटरसाइकिलें वहीं पर छोड़कर व कुछ को साथ में लेकर वहां से भागे और बिलराम गेट चौराहे पर पहुंचे। वहां भी तोड़फोड़, मारपीट, पथराव, फायरिंग हो रही थी। यह सब मुसलमानों के लड़कों द्वारा की जा रही थी। ईंट–पत्थर, फायरिंग किस हथियार से हो रही थी नहीं पता। हम लोग वहां से भागे बीच–बीच में भी हम पर पथराव व फायरिंग हुई। हम लोग तहसील रोड होकर भागना चाह रहे थे। जैसे ही हम लोग तहसील रोड पर ददार इण्टर कालेज के पास सलीम के मकान के पास पहुंचे, वहां पर पहले से ही एक राय, संगठित होकर सलीम, वसीम, नसीम पुत्रगण बरकतउल्लाह उर्फ बर्की, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर पुत्र भूरे खां, जाहिद उर्फ जग्गा पुत्र शरीफ खां, आसिफ जिमवाला पुत्र नौशे खां, मुनाजिर रफी व आमिर रफी पुत्र रफीउल्लाह, असीम कुरैशी पुत्र भूरे खां, अकरम, असलम कुरैशी, राहत, नीशू, बबलू, वासिफ, नसरुद्दीन, तौफीक, खिल्लन, मोहसिन, शबाव, सलमान, शमशाद, अजीजुद्दीन, फैजान, खालिद परवेज, शाकिब, इमरान, शाकिर, इमरान पुत्र अब्दुल कयूम, जफर आदि मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे। ये लोग हमको देखकर बोले ये साले हिन्दू यहां भी आ गए, ये लोग रोज–रोज बड़ी–बड़ी रैली निकालते रहते हैं। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद व हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं। आज इन लोगों से निपट लिया जाए और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे और हमारे हाथ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीन–छीन कर फेंक दिए और एलान कर दिया कि यहां से निकलना है तो पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद बोलना होगा और फिर बोले यह हरामजादे हिन्दू है, ये नहीं मानेंगे, आज सालों को जिन्दा

नहीं जाने देना है। आज मौका है, चूक मत जाना। "दो सालों को निशाना साध के गोली" और फिर सलीम ने अपने असलहे से मेरे भाई चन्दन को गोली मार दी। गोली लगते ही मेरा भाई चन्दन गिर गया फिर ये लोग चिल्लाए, हो गया काम और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे। उस पथराव में मुझे व अन्य लोगों को चोटे आई थीं, जिसकी हमने कोई डाक्टरी नहीं कराई थी। हम लोग जैस–तैसे घायल चन्दन को व गिरे हुए तिरंगों को वहां से उठाकर भागे और थाना पहुंचे, जहां पुलिस की मदद से चन्दन को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने चन्दन को मृत घोषित कर दिया। बाद में पिताजी, पंचनामा व कार्यवाही करने लगे, इस कृत्य में नगर की लोक व्यवस्था भंग हो गई, चारो तरफ अफरा–तफरी का माहौल हो गया। नगर में जगह–जगह पथराव व फायरिंग होने लगी। सभी लोग अपनी–अपनी दुकानें बन्द करके भागने लगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बैंड बाजे कार्यक्रम व विद्यालयों की रैलियां स्थगित कर दी गई। विद्यालयों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों ने शिक्षार्थियों के अभिभावकों की मदद से उनको, उनके घर पहुंचाया। नगर में भगदड़ मच गई। सभी लोग भयभीत हो गए, जिसे कासगंज व बाहर की पुलिस ने बाद में संभाला। घटना से सम्बन्धित DUD पुलिस को मैने दी थी, मेरी लिखा पढ़ी हुई थी, मेरे हस्ताक्षर भी करवाये थे। सम्बन्धित फर्द न्यायालय पत्रावली में मौजूद है, जिसपर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ।

108. इस साक्षी से सभी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा जिरह की गई है। पेज–6 पर इस साक्षी ने बताया है कि यह कहना गलत है कि बड्डूनगर में पहले से चल रहे किसी कार्यक्रम में तिरंगा रैली के सदस्यों के द्वारा दखलंदाजी हुई हो और इसी कारण विवाद हुआ हो। घटनास्थल की चौहद्दी से परिचित होने के बिन्दु पर इस साक्षी से प्रश्न पूछे गये है, जिसमें इस साक्षी ने पेज–13 पर बताया है कि बिलग्राम गेट चौराहे से बिलग्राम गेट रोड पर दाहिने हाथ कोतवाली कासगंज स्थित है, जिससे बायें मुड़कर जाने पर तहसील रोड स्थित है। तहसील रोड पर बायें न मुड़कर यदि सीधे जायें तो घंटाघर चौराहा आयेगा, जिस दिशा में शहर से बाहर जाने का रास्ता है।

109. पत्रावली में नक्शा–नजरी प्रदर्श क–1 द्वारा पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह न्यायालय में साबित किया गया है, जिसमें विस्तार से वादी मुकदमा सुशील गुप्ता की निशानदेही पर रैली निकलने का रास्ता व अभियुक्तगण के आने का स्थान तथा अभिषेक उर्फ चन्दन को गोली मारे जाने का स्थान प्रदर्शित किया गया है। इस नक्शा–नजरी व पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता द्वारा बताये गये घटनास्थल के सम्बन्ध में कोई विरोधाभास नहीं आ रहा है। इस साक्षी से यह भी पूछा गया है कि तिरंगा

रैली निकालते समय, क्या इन लोगों ने इस बात का खयाल रखा था कि तिरंगा रैली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से जाते समय वहां किसी को परेशानी न हो?, तो साक्षी ने उत्तर दिया है कि सोरो गेट से होते हुए तहसील वाली गेट से वे लोग बिलग्राम गेट पहुँचे थे, उस तहसील वाली गली के बीच में सलीम व नसीम का घर पड़ता है तथा जब वे लोग सोरो गेट से बिलग्राम वाले गेट की ओर तहसील गेट से जा रहे थे तो सलीम के घर के सामने कोई भीड़ नहीं हुई थी। बिलग्राम गेट चौराहे से बरेली जाने वाले रास्ते से दोनों तरफ ज्यादातर मुस्लिम आबादी है तथा तिरंगा यात्रा निकालते वक्त हम लोगों द्वारा यह ध्यान में रखा गया था कि उन 30–40 मोटरसाइकिलों से किसी को परेशानी न हो तथा हर वर्ष की भाँति तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी।

110. इस साक्षी ने पेज–25 के आखिरी पैरा में बताया है कि जब वे सब हाथों में डण्डे लेकर भारत माता की जय, वन्दे मातरम् कहते हुए बिलग्राम गेट चौराहा होते हुए तहसील रोड पर पहुंच गये थे, वहां सलीम, वसीम, नसीम, आसिफ उर्फ हिटलर, आसिफ जिमवाला व जाहिद उर्फ जग्गा ने इन लोगों के हाथों से तिरंगा झण्डा छीनकर फेंक दिया था तथा ऐलान कर दिया कि मार दो सालों को। इस पर सलीम ने चन्दन को गोली मार दी थी। इसी के आगे पेज–27 पर इसने जिरह में कहा है कि बिलग्राम गेट चौराहे पर फायरिंग करने वालों की शक्ल नहीं देखी थी , मुसलमान लोग फायरिंग कर रहे थे, कई दिशाओं से आवाज आ रही थी, फायर हो रहे थे, छतों से ईंट–पत्थर फेंके जा रहे थे। कुछ लोग जमीन पर खड़े होकर फेंक रहे थे। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से यह तथ्य सामने आ रहा है कि तिरंगा रैली जब बिलग्राम गेट पहुंची तब वहां उस तिरंगा रैली में अवरोध डाला गया व तिरंगा छीनकर फेंक दिया गया व उसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया तथा मार दो सालों को, कहते हुए गोलियां चलाई गई थी तथा सलीम ने चन्दन को गोली मार दी थी।

एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के बाद मृतक के शव का पंचायतनामा हुआ था, जिसे न्यायालय में पी०डब्लू०–8 एस०आई० रामेश्वर दयाल यादव ने प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी से जिरह हुई है परन्तु जिरह में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे पंचायतनामा की कार्यवाही पर संदेह हो।

111. पी०डब्लू०–7 के रूप में अभियोजन की ओर से डॉ० अविनाश कुमार परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने मृतक चन्दन के शव का पोस्टमार्टम किया था। थोरेम्स के विच्छेदन पर पाया गया कि बायीं ओर का प्लूरा फटा पाया गया एवं बायां फेफड़ा फटा पाया गया। ऐबडोमेन पेरीटोनियम फटी हुई थी तथा निम्न चोटें पाई थी–

मृत्यु पूर्व चोटें निम्नवत् है–

1– लेसरेटेड इन्ट्रीबून जिसका साईज 1x2 सेमी ओवल शेप इनवर्टेड डीप कैविटी आब्लिकली उपस्थित था। घाव के चारो तरफ ब्लेकनिंग पायी गयी थी।

2– 2x1 सेमी० दाहिनी कोहनी पर एब्रेजन पाया गया।

3– थोरेसिक कैविटी में लगभग 2 लीटर ब्लड पाया गया।

नोट–

1. येलो कलर मैटेलिक बुलट दाहिनी ओर लोवर ऐबडोमेन में पायी गयी थी, जिसे सील करके पुलिस को दे दी गयी थी।
2. गोली का डायरेक्शन आब्लिकली बायीं से दाहिनी ओर था।
3. वीडियोग्राफी की चिप पुलिस को हैण्डओवर कर दी गयी थी। एक्सरे की 3 प्लेटे पुलिस को हैण्डओवर कर दी गयी थी।

112. साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि (Due to haemorrage & shock as a result of antimortem injury (gun shot)) अर्थात् अग्न्यास्त्र की चोटों की वजह से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मृत्यु हुई।

113. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से यह बहस की गई है कि पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता ने अपने बयान में दुर्भावनापूर्ण ढ़ंग से गोली चलाने वाले व्यक्ति के रूप में सलीम का नाम लिया है तथा यदि गोली से मृतक चन्दन की मृत्यु कारित हुई भी है तो वह सलीम की गोली से नहीं कारित हुई है, क्योंकि साक्षी विवेक गुप्ता के द्वारा कथित रूप से यह कहा जा रहा है कि सलीम ने उत्तर दिशा से गोली चलाई थी तथा दोनों के बीच में से उत्तर–पश्चिम दिशा में गोली चली थी। जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गोली के घाव का वर्णन आ रहा है उसमें घाव तिरछे रूप में बायीं से दाहिनी ओर पाया गया है।

114. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ध्यान से देखने पर चोट सं० –1 व 2 के विषय में चिकित्सक ने यह उल्लेख नहीं किया है कि गोली कहां से बायें हिस्से में घुसी थी (यह पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों की लापरवाही है, जिस पर उच्चाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए) परन्तु प्रदर्श क–11 में शव की फोटो (फोटोनास) में बायें कन्धे के पास से गोली की इन्ट्री का होना पाया जा रहा है तथा साक्षियों के बयानों से भी यह साबित हो रहा है कि मृतक चन्दन को बायें बाजू के पास एक गोली मारी गई थी, जो तिरछे रूप में ऊपर से नीचे बायीं ओर के प्लूरा को फाड़ते हुए एवं बायें फेफड़े को भी फाड़ते हुए ऐबडोमेन पेरीटोनियम को फाड़ते हुए आगे फंस गयी थी। जिसके बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नोट–1 में चिकित्सक ने उल्लेख किया है कि येलो कलर मैटेलिक बुलट दाहिनी ओर लोवर ऐबडोमेन में पायी गयी थी, जिसे सील करके

पुलिस को दे दी गयी थी। मृतक के शरीर में और छर्रे नहीं पाये गये थे इसका साक्ष्य पी०डब्लू०–7 ने जिरह में बताया है।

115. बचाव पक्ष ने पेज–6 पर जिरह में आखिरी पैरा में इस बिन्दु पर चिकित्सक से पूछा है तथा चिकित्सक ने स्वीकार किया है कि यदि मृतक सड़क पर खड़ा हो तथा उसे छत से गोली मारी जाये तो ऊपर से नीचे का डायरेक्शन आयेगा। अगले पृष्ठ पर साक्षी ने यह भी कहा है कि यदि मृतक उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हो तो पश्चिम से गोली का घुसना सम्भव है तथा मृतक की गोली उसके शरीर से करीब 15–16 कदम की दूरी से लगना सम्भव है यह 3–4 कदम की दूरी से लगना सम्भव नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री अजीजुद्दीन एवं श्री प्रान्शू अग्रवाल ने यह तर्क दिया है कि जब तक किसी ऊँचे स्थान से जैसे कि छत आदि से गोली न चलाई गई हो, तब तक मृतक के शरीर में गोली तिरछे रूप में प्रवेश नहीं कर सकती, इस कारण भी अभियोजन का केस सलीम के विरुद्ध साबित नहीं हो रहा है। जबकि अभियोजन का कथन है कि आमने–सामने होने के बाद भी यदि हमलावर अपने दायें हाथ से किसी भागते हुए व्यक्ति पर फायर करे तो दाहिने हाथ के फायर की दिशा मृतक के बायें कन्धे से शरीर में तिरछी दिशा में इन्ट्रीउन्ड बनाते हुए अंदर के अंगों को नष्ट कर सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ है।

116. इस न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के तर्कों पर ध्यान दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में न्यायालय का विचार है कि विभिन्न व्यक्तियों के दौड़ने अथवा भागने की शारीरिक भाव–भंगिमा भिन्न–भिन्न होती है, कोई बहुत ज्यादा आगे झुक जाता है तथा कोई बिल्कुल सीने को खुला रखते हुए सिर को सीधा रखते हुए दौड़ता है। यह पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के मध्य रेखा से 12 डिग्री झुक कर दौड़ता है तो उस दशा में उसके दौड़ने की रफ्तार सबसे अधिक रहती है। वेबसाइट लिंक https://geeksonfeet.com द्वारा Optimal Forward Lean for better Running विषय पर नीचे दिये गये चित्र से इसे स्पष्ट किया गया है–

117. उपरोक्त चित्र में, जिसमें धावक आगे की ओर झुका हुआ दिखाया गया है, उसके सामने खड़े होकर यदि दाहिने हाथ से उसके कन्धे की ओर गोली मार दी जाये तो निश्चित रूप से वह गोली तिरछे रूप में शरीर में प्रवेश करेगी और अपने सामने आये हुए आंतरिक अंगों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ती जायेगी, जैसाकि इस मामले में मृतक अभिषेक कुमार गुप्ता उर्फ चन्दन के साथ हुआ है तथा इस बिन्दु पर न्यायालय अभियोजन के इस तर्क से सहमत है कि भागते हुए अवस्था में मृतक चन्दन को गोली मारी गई थी, जो उसके शरीर में तिरछा (ऊपर से नीचे की दिशा में) प्रवेश की थी। जैसाकि अभियोजन कथानक है कि अभियुक्तगण हमलावरों द्वारा जी०जी०आई०सी० गेट के सामने तिरंगा रैली के सदस्यों पर फायरिंग पथराव आदि किया गया था। ऐसा नहीं है कि फायरिंग के पहले अभियुक्त सलीम एवं मृतक चन्दन में कोई आपस में तू–तू, मैं–मैं या वाद–विवाद हुआ हो उसके पश्चात फायरिंग हुई हो बल्कि भागते हुए चन्दन नाम के व्यक्ति पर फायरिंग की गई थी। न्यायालय का विचार है कि मृतक चन्दन जब भाग रहा था तब उसके खोपड़ी को निशाना बनाकर अपने दाहिने हाथ में लिये हुए असलहे से सलीम द्वारा फायरिंग की गई थी तथा उसी क्षण चन्दन का सिर भागने के क्रम में नीचे झुक गया तथा बायां कन्धा ऊपर आ गया एवं गोली उसी में तिरछा प्रवेश करके शरीर में घुस गई। यह भी महत्वपूर्ण है कि अनेक व्यक्तियों के बीच में भागते हुए चन्दन को गोली मारी गई है, जिसमें हमलावर को भी अपना हाथ तिरछा करना पड़ा होगा। उपरोक्त दर्शाये गये दोनों चित्रों में से नीचे वाले चित्र में बीच वाले व्यक्ति, जहां Excessive forward Lean लिखा हुआ है, वही या उससे मिलती जुलती पोजीशन मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की गोली लगते समय रही होगी।

118. घटना के चक्षुदर्शी साक्षी विवेक गुप्ता पी०डब्लू०–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा है कि जब तिरंगा रैली बड्डूनगर में मुसलमानों के लड़कों के द्वारा व्यवधान डालने पर आगे नहीं बढ़ सकी व उस पर लाठी–डण्डे से मारपीट व पथराव होने लगा तब अपनी मोटरसाइकिलों को छोड़कर तथा कुछ को लेकर वहां से वापस बिलराम गेट चौराहे पर पहुंचे तब वहां भी तोड़फोड़, मारपीट व पथराव हो रही थी, ईंट–पत्थर चल रहे थे व फायरिंग हो रही थी तथा जब वहां से भागे तो बीच–बीच में भी तिरंगा यात्रा के सदस्यों पर पथराव व फायरिंग हुई तथा जैसे ही यह सभी लोग तहसील रोड पर जीजीआईसी इण्टर कॉलेज के पास सलीम के मकान के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही सलीम, वसीम, नसीम पुत्रगण बरकतउल्लाह उर्फ बर्की, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर पुत्र भूरे खां, जाहिद उर्फ जग्गा पुत्र शरीफ खां, आसिफ जिमवाला पुत्र नौशे खां, मुनाजिर रफी व आमिर रफी पुत्र रफीउल्लाह, असीम कुरैशी

पुत्र भूरे खां, अकरम, असलम कुरैशी, राहत, नीशू, बबलू, वासिफ, नसरुद्दीन, तौफीक, खिल्लन, मोहसिन, शबाव, सलमान, शमशाद, अजीजुद्दीन, फैजान, खालिद परवेज, शाकिब, इमरान, शाकिर, इमरान पुत्र अब्दुल कयूम, जफर आदि मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे। ये लोग हमको देखकर बोले ये साले हिन्दू यहां भी आ गए, ये लोग रोज–रोज बड़ी–बड़ी रैली निकालते रहते हैं। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद व हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं। आज इन लोगों से निपट लिया जाए और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे और हमारे हाथ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीन–छीन कर फेंक दिए और एलान कर दिया कि यहां से निकलना है तो पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद बोलना होगा और फिर बोले यह हरामजादे हिन्दू है, ये नहीं मानेंगे, आज सालों को जिन्दा नहीं जाने देना है। आज मौका है, चूक मत जाना। "दो सालों को निशाना साध के गोली" और फिर सलीम ने अपने असलहे से मेरे भाई चन्दन को गोली मार दी। गोली लगते ही मेरा भाई चन्दन गिर गया फिर ये लोग चिल्लाए, हो गया काम और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे। उस पथराव में मुझे व अन्य लोगों को चोटे आई थीं, जिसकी हमने कोई डाक्टरी नहीं कराई थी। हम लोग जैस–तैसे घायल चन्दन को व गिरे हुए तिरंगों को वहां से उठाकर भागे और थाना पहुंचे, जहां पुलिस की मदद से चन्दन को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने चन्दन को मृत घोषित कर दिया। जिरह में भी पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता ने पेज–25 पर अंतिम पैरा में यही बात कही है तथा पृष्ठ–27 पर इस साक्षी ने यह बताया है कि जिस समय सलीम की पीठ उत्तर की ओर थी तथा उसके भाई का मुँह उत्तर की ओर था उसी समय गोली उत्तर दिशा से पास से लगभग 1–2 हाथ से चली थी। इसी प्रकार पृष्ठ–29 पर भी इस साक्षी ने कहा स्पष्ट किया है कि गोली एकदम चली थी, सलीम ने लगभग उत्तर दिशा से गोली चलाई थी तथा दोनों के बीच में से गोली चली थी और नार्थ–वेस्ट से गोली चली थी।

119. इस साक्ष्य से तथा चिकित्सक के साक्ष्य से एवं बचाव पक्ष के तर्क के प्रकाश में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा यह बहस की जा रही है कि विवेक गुप्ता ने जो साक्ष्य दिया है वह सत्य नहीं है तथा मृतक चन्दन की मृत्यु छत पर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाये गये फायरिंग से हुई थी तथा उसमें सलीम को दोषी नहीं माना जा सकता तथा विवेक गुप्ता भी इस आधार पर असत्यवादी एवं हितबद्ध साक्षी है, जिसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।

120. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में पी०डब्लू० –7 डॉ० अविनाश कुमार ने चोट–1 के सम्बन्ध में यह भी उल्लेख किया है कि घाव के चारो तरफ ब्लैकनिंग पाई

गई थी। ब्लैकनिंग के सम्बन्ध में मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस का सिद्धान्त है कि यह कम दूरी से फायर का संकेत होता है, जिसमें प्रवेश घाव (इन्ट्रीउन्ड) के चारो ओर धुएँ के कण जमा हो जाने से त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। यह कालापन ब्लैक पाउडर से अधिक, अर्ध धुआँ रहित पाउडर (सेमी स्मोकलेस पाउडर) से कुछ कम, किन्तु धुआँ रहित (स्मोकलेस) पाउडर से सबसे कम अर्थात् भूरे रंग का पाया जाता है। ब्लैकनिंग के मामले में पिस्टल और रिवाल्वर में यह दूरी 6–12 इंच तथा रायफल व मस्कट के मामले में 15–18 इंच तक की दूरी होने पर आ सकती है। इस तथ्य से यह बात तो एकदम साफ है कि मृतक चन्दन के इन्ट्रीउन्ड के किनारे यदि ब्लैकनिंग आई है तथा अगर वह तमंचे से आई है, जैसा कि अभियोजन का केस है, तो चन्दन पर उतनी दूरी से फायरिंग नहीं की गई है, जितनी दूरी सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति और सड़क के बाद पटरी के बाद बने मकान पर खड़े किसी हमलावर की फायरिंग से आ सकती है। यह दूरी आम तौर पर कासगंज जैसे कस्बों वाली सड़कों में भी कम से कम 35–40 फुट होनी चाहिए तथा उस दशा में कतई घाव के चारो ओर ब्लैकनिंग नहीं आयेगी। यहां यह भी ध्यान देना होगा कि घटना की उत्पत्ति हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में हुई है तथा यह घटना सम्पत्ति आदि को लेकर हुई आपसी रंजिश का परिणाम नहीं है। सम्पत्ति आदि को लेकर हुई आपसी रंजिश एवं गोलीबारी में दोनों पक्ष एक–दूसरे के सामने कुछ देर तक रहते हैं तथा उनको आपस में एक–दूसरे की स्थिति देखने का थोड़ा समय रहता है परन्तु इस मामले में मृतक चन्दन अपने तिरंगा रैली में शामिल सदस्यों के साथ बड्डूनगर में अचानक हुए पथराव गोलीबारी आदि से जान बचाकर वापस लौटते हुए बिलराम गेट चौराहे से तहसील रोड पर जीजीआईसी इण्टर कालेज के पास अभियुक्तगण के अचानक सामने आ जाने से हुए हमले में मारा गया है। ऐसी दशा में यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बुलेट इन्ट्रीउन्ट के किनारे ब्लैकनिंग आई है तथा साक्षी विवेक गुप्ता के द्वारा उस साम्प्रदायिक संघर्ष में जान बचाकर निकल आने के बाद न्यायालय में साक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि एक–दो हाथ की दूरी से सलीम के द्वारा गोली मारी गई थी तो उस दशा में यह न्यायालय पी०डब्लू०–7 डॉ० अविनाश कुमार के पेज–7 पर दिये गये इस साक्ष्य को, कि यह चोट 3–4 कदम की दूरी से मृतक को गोली लगना सम्भव नहीं है, अकाट्य साक्ष्य नहीं मान सकती। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि पिस्टल एवं रिवाल्वर तथा तमंचे से फायरिंग में ब्लैकनिंग, 6–12 इंच की दूरी तक फायर आर्म के होने पर आ सकती है। यह दूरी बिल्कुल उतनी ही है, जैसाकि विवेक गुप्ता के द्वारा अपने साक्ष्य में एक–दो हाथ बताया गया है। इस प्रकार साक्षी विवेक गुप्ता द्वारा मृतक चन्दन गुप्ता के ऊपर फायरिंग की दूरी के सम्बन्ध में

न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य दिया गया है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुरूप है तथा इस बिन्दु पर भी साक्षी विवेक गुप्ता एक सत्यवादी साक्षी साबित हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राकेश बनाम उ०प्र० राज्य 2012 (76) ए०सी०सी० 264** में यह विधि प्रतिपादित की है कि हमेशा चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य को प्राथमिकता देनी चाहिए जबतक कि यह पूरी तरह से चिकित्सीय साक्ष्य के प्रतिकूल न हो।

121. यहीं पर यह भी ध्यान देना होगा कि अभियुक्त सलीम से जो असलहा बरामद हुआ है, उसके सम्बन्ध में इस न्यायालय में सत्र वाद सं० –1822/2022 सरकार बनाम सलीम मु०अ०सं०–69/2018 अंतर्गत धारा–25/27 आयुध अधिनियम थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज लम्बित है तथा इस सत्रवाद से समेकित है। इससे सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि मृतक के जैकेट, इनर बनियान, सैण्डो बनियान, जींस–पैंट मय बेल्ट पर मानव रक्त पाया गया है। इसी प्रकार सलीम की कथित देशी पिस्तौल व खोखा कारतूस जो परीक्षण हेतु भेजा गया था तथा यह मत दिया गया कि विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल की नाल में फायरिंग के अवशेष लेड, कॉपर व नाईट्राइट की उपस्थिति पाई गई थी तथा विवादित .315 बोर कारतूस उपरोक्त .315 बोर देसी पिस्तौल द्वारा चलाया गया था। यह फॉरेन्सिक रिपोर्ट दिनांक –03.04.2019 विशेषज्ञ की रिपोर्ट है तथा बिना विशेषज्ञ के न्यायालय में परीक्षण के साक्ष्य में ग्राह्य है तथा इससे यह पुष्टि होती है कि अभियुक्त सलीम के पास से जो तमंचा बरामद हुआ था उसी से चली गोली से मृतक चन्दन की मृत्यु हुई थी।

122. पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह जो घटना के दिनांक–26.01.2018 को एस०एच०ओ० कासगंज थे, उनके द्वारा अभियुक्त सलीम से उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद करके मु०अ०सं०–69/2018 अंतर्गत धारा–25/27 दर्ज कराया गया था, उसकी विवेचना पी०डब्लू०–16 अजब सिंह के द्वारा की गई है। इस साक्षी अजब सिंह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने नक्शा–नजरी, आरोप पत्र, अभियोजन स्वीकृति को क्रमशः प्रदर्श क–33, प्रदर्श क–34 व प्रदर्श क–35 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त सलीम के पास से उसकी निशानदेही पर कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

123. इस मामले में एफ०आई०आर० दर्ज होने के (दिनांक–27.01.2018 समय 00:17 बजे) पूर्व ही दिनांक –26.01.2018 को प्रातः समय 10:00 बजे के

आसपास साम्प्रदायिक संघर्ष हो जाने के कारण पुलिस आ गयी थी तथा कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में लगी थी। पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह को अभियोजन ने साक्ष्य में परीक्षित कराया है, जिसकी मुख्य परीक्षा ऊपर लिखी जा चुकी है तथा जो उस समय एस०एच०ओ० कोतवाली कासगंज थे। इस साक्षी ने दिनांक–28.01.2018 को नामजद अभियुक्तगण बबलू, अकरम, नसरुद्दीन व तौफीक को गिरफ्तार किया था तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तगण शमशाद, इमरान, जफर, साकिर, खालिद व फैजान को भी गिरफ्तार किया था तथा इनमें से सलीम के पास से आलाकत्ल भी बरामद किया था व बबलू के पास से फैक्ट्री मेड डी०बी०बी०एल० व जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये थे तथा थाने पर आयुध अधिनियम के मुकदमें भी दर्ज करवाये थे। इस साक्षी द्वारा नक्शा–नजरी भी वादी मुकदमा की निशानदेही पर बनाया गया था व कुछ साक्षियों के बयान अंकित किये गये थे। बाद में विवेचना एस०आई०टी० को हस्तांतरित हो गई थी तथा विवेचना क्राइम ब्रान्च के निरीक्षक रमेश चन्द्र यादव के द्वारा की गई, जिनके द्वारा इस मामले में 31 अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये हैं, जिनमें से एक अभियुक्त अजीजुद्दीन की मृत्यु हो गई है तथा बाकी 30 अभियुक्तगण विचारण का सामना कर रहे हैं। साक्ष्य के स्तर पर एस०आई०टी० के विवेचक रमेश चन्द्र यादव को अभियोजन प्रस्तुत नहीं कर सका तथा उसके द्वारा आधार लिया गया कि रमेश चन्द्र यादव का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तथा वे चीजों व घटनाओं को भूल जा रहे हैं एवं साक्ष्य देने में असमर्थ हैं। थोड़े–थोड़े अन्तराल पर दो बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है, खड़े होने में भी दिक्कत होती है, पैरों में बहुत कमजोरी आ गई है तथा डॉक्टर का कहना है कि यदि अबकी बार ब्रेन स्ट्रोक पड़ा तो कोमा में जा सकता है और मौत भी सम्भव है। इस आधार पर न्यायालय द्वारा विवेचक के असमर्थता के आधार पर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति अभियोजन द्वारा ली गई तथा अभियोजन ने पी०डब्लू०–18 विनय गौतम उ०नि० को साक्ष्य में परीक्षित कराया है, जिन्होंने यह साक्ष्य दिया है कि वे विवेचक रमेश चन्द्र यादव के हस्तलेख व हस्ताक्षर को पहचानते हैं। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा द्वितीयक साक्षी के रूप में क्राइम ब्रान्च के विवेचक की कार्यवाहियों की केस डायरी एवं आरोप पत्र आदि को न्यायालय में प्रमाणित किया गया है। हालांकि किसी भी मामले में विवेचक को परीक्षित कराया जाना आवश्यक होता है परन्तु यह परमावश्यक नहीं होता। यदि घटनास्थल पर अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों की उपस्थिति साबित हो जाये तथा उससे अभियुक्त की दोषसिद्धि साबित होती हो तो विभिन्न विधिक दृष्टान्तों जैसे **राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य 2003 (47) ए०सी०सी० 1068 एस०सी०, बहादुर नायक**

बनाम बिहार राज्य जे०टी० 2000 (6) एस०सी० 226 आदि में विधि प्रतिपादित की गई है कि उस दशा में विवेचक को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

124. पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के जिरह में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि इस मामले से सम्बन्धित एक अन्य मुकदमा अपराध संख्या–59/2018 भी कोतवाली कासगंज में रिपुदमन सिंह की ओर से वादी के रूप में दर्ज कराया गया था। इस मुकदमें का संक्षिप्त उल्लेख पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता ने अपनी जिरह के पेज–9 पर किया है कि उसने घटना के बारे में विस्तृत बयान धारा–161 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अपराध संख्या–59/2018 के विवेचक को भी दिया है। उक्त एफ०आई०आर० की प्रतिलिपि को अभियुक्त नसीम जावेद के द्वारा दिनांक–30.09.2024 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया था। अतः उस घटना के बारे में दर्ज हुए उस प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों का भी अवलोकन किया जाना सुसंगत होगा, जो निम्न है–

"दिनांक–26.01.2018 को समय प्रात:करीब 9:30 बजे मैं प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह गणतन्त्र दिवस की परेड हेतु पुलिस लाईन सोरो मे था की ज़रिये कंट्रोल सूचना मिली की कासगंज शहर मे तिरंगा रैली के भ्रमण के दौरान दो समुदायो मे झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर मैं प्रभारी निरिक्षक कोतवाली कासगंज मय फोर्स कंट्रोल रुम से अतिरिक्त फोर्स भेजने हेतु मांग करते हुए कासगंज शहर मे आया बिलराम गेट पर करीब 100–150 व्यक्तियों की भीड एकत्रित थी, कि उसी समय SHO सोरो श्री अशोक कुमार मय फोर्स SHO पटियाली श्री जप सिंह परिहार मय फोर्स, SHO सहावर श्री संतोष कुमार मय फोर्स, SO ढ़ोलना श्री राजेश मीणा मय फोर्स, SO अमापुर श्री पहलवान सिंह मय फोर्स, श्री CO मय फोर्स, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक मय फोर्स एवं PAC सरकारी गाडियो से आ गई की भीड़ में सम्मिलित व्यक्तियों को समझाया गया। उक्त व्यक्ति विलराम गेट से कोतवाली कासगंज के मध्य स्थित गलियो में दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को ललकार रहे थे, कि उन्होंने तिरंगा रैली में व्यवधान डाला है। उक्त व्यक्तियों को रोकने का समुचित प्रयास किया गया लेकिन मान नहीं रहे थे कि गलियों के अंदर से फायरिंग एव पथराव होने लगा तब यह लोग भी पथराव करने लगे पुलिस बल द्वारा धैर्य का परिचय देते हुए उक्त व्यक्तियों को रोका जाता रहा लेकिन नहीं माने एवं दोनो पक्षों की ओर से पुलिस बल पर पथराव करते हुए अपने अपने हाथों में लिए नाजायज असलहों से हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जिससे हम लोग बार बार बचे। एक अरक्षी 627 अंकित कुमार चोटिल भी हो गया. उपद्रवियों में से नसरुद्दिन पुत्र

हबीब अहमद व अकरम पुत्र नसरुद्दिन नि .मुहल्ला नवाब अली मनिंहारान कस्बा व थाना कासगंज , अक्षय खन्ना S/O सिकन्दर खां नि. किसरौली अड्डा बढदु नगर कासगंज व तौफिक S/O नि. मुहल्ला पीरछत्ता कासगंज को मेरे व हमराही पुलिस बल द्वारा अच्छी तरह पहचान लिया गया। उपद्रवियों द्वारा नगर कासगंज में एक दुसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से गाली गलौज धार्मिक स्थलों में तोड़फोड, आगजनी की गई। नगर की लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जनता में भय व आतंक व्याप्त हो गया। जनता के लोग अपने –2 व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर भयवश अपने–2 घरों में छिप गये। उपद्रवियों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों मे घूम–घूम कर किये गए फायरों के करीब 10 अदद खोखा एकत्रित किये गये। आत्मरक्षार्थ एवं उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए SHO सोरो द्वारा 3 आंसू गैस के सैल एवं CONSTABLE अंकित कुमार द्वारा पंप एक्शन गन का एक फायर किया गया जिसका खोका भीड में नहीं मिल सका। नसरुद्दिन आदी 100–150 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा नाजायज प्राण घातक असलहों से लैस होकर नगर कासगंज में एक–दुसरे की भावनाओं को आहत करते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग कर तोड़फोड कर आगजनी आदी कर अफरा–तफरी का माहौल उत्पन्न करना जुर्म धारा 147, 148, 149, 307, 336, 436, 295, 427, 323, 504 आई.पी.सी. व 7 CLA बनता है। अतः उपरोक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे पुलिस एवं उपद्रवियों द्वारा चलाये गये खोखा कारतूस अलग–2 सील सर्व मुहर कराकर दाखिल कर रहा हूँ।"

125. इस प्रकार तहरीर से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी मुकदमा एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के द्वारा साम्प्रदायिक संघर्ष में उपद्रवियों द्वारा किये गये फायरिंग के परिणामस्वरूप 10 अदद खोखा कारतूस उसी दिन 26.01.2018 को बरामद किया गया था, जिससे साम्प्रदायिक संघर्ष की तीव्रता का प्रथम दृष्टया अनुमान हो रहा है। हालांकि विधिक सिद्धान्त यह है कि एक सत्रवाद के साक्ष्य का मूल्यांकन उसी वाद के लिए अपेक्षित होता है तथा दूसरे वाद में सुसंगत नहीं होता है, लेकिन इस मामले में 26 जनवरी, 2018 की घटना से सम्बन्धित दोनों वाद होने के आधार पर प्रथम दृष्टया मु०अ०सं०–59/2018 के तहरीर का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया उससे यह अनुमान निकल रहा है कि उस दिन तमंचों से फायरिंग भी हुई थी। उल्लेखनीय है कि यह वाद जनपद कासगंज में लम्बित है तथा इसमें संज्ञान लेकर साक्ष्य अंकित करवाये जा रहे हैं, जैसाकि बचाव पक्ष ने उस वाद के तीन साक्षियों के साक्ष्य इस पत्रावली में दाखिल किये हैं। सुलभ संदर्भ के लिए यह भी उल्लेख कर दिया जाना समीचीन होगा कि मु०अ०सं०–59/2018 में वर्तमान 30 अभियुक्तगण

के साथ–साथ छः अन्य अभियुक्तगण विचारण का सामना कर रहे हैं, जिसमें विवेचना बिल्कुल भिन्न विवेचक श्री मोहर सिंह तोमर इंस्पेक्टर, क्राइम ब्रान्च कासगंज द्वारा सम्पन्न करके आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

126. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण श्री प्रान्शू अग्रवाल, श्री नजमुस्साकिब एवं श्री जियाउल जिलानी के द्वारा यह तर्क रखा गया है कि वादी के द्वारा जितने लोग नामजद किये गये हैं एवं विवेचक के द्वारा जितने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है वे सभी मौके पर उपस्थित तो हो सकते हैं, परन्तु यह कहना गलत है कि वे सभी साम्प्रदायिक दंगों में शामिल थे। इस सम्बन्ध में अभियोजन का कथन है कि ये सभी अभियुक्त साम्प्रदायिकता की भावना से युक्त होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बन गये थे तथा इस कारण उनमें से किसी के द्वारा कारित अपराध सभी के द्वारा किया हुआ माना जायेगा तथा यह तथ्य कि अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति विवादित नहीं है, उसे दोषी अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त है, भले ही उस पर प्रत्यक्ष कृत्य करने का कोई दोष न हो।

127. इस सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टान्त **मदन सिंह बनाम बिहार राज्य 2004, सी०आर०एल०जे० 2862 एस०सी०** पर भी ध्यान दिया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि विरुद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति से कोई व्यक्ति दायी नहीं बन जाता जबतक कि सामान्य उद्देश्य न हो और वह उसका भागीदार न बना हो या सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हुआ हो, वह उद्देश्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा–141 में अभिकथित उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि जमाव पाँच या अधिक व्यक्तियों का था या नहीं और उन व्यक्तियों का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 141 में यथा विनिर्दिष्ट सामान्य उद्देश्य एक या एक से अधिक था। विधि की सामान्य प्रस्थापना के रूप में यह नहीं अधिकथित किया जा सकता कि जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं कर दिया जाता तो अभिकथित रूप से विधि–विरुद्ध जमाव के सदस्य को तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह जमाव का सदस्य था। एक मात्र इस बात की अपेक्षा होती है कि जमाव विधि–विरुद्ध हो और कोई ऐसा कृत्य करने की संभावना हो जो धारा 141 के अधीन आता हो। उद्देश्य शब्द का अर्थ है– प्रयोजन या मंतव्य और इसे "सामान्य" बनाने के लिये इसमें सब को भागीदार होना चाहिये। अन्य शब्दों में उद्देश्य जमाव करने वाले सभी व्यक्तियों का एक सा होना चाहिये, अर्थात् उन सभी को इसका पता होना चाहिये और सबका उद्देश्य समान होना चाहिये। सामान्य उद्देश्य परस्पर विचार–विमर्श के बाद अभिव्यक्त करार के रूप

में हो सकता है किन्तु ऐसा हर समय संभव नहीं है। सभी सदस्यों या कुछ सदस्यों के जरिये बन सकता है और अन्य सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं, और उसे अपना सकते हैं। एक बार उद्देश्य बन जाने पर आवश्यक नहीं है कि वह उद्देश्य उसी प्रकार बना रहे। वह उपान्तरित, परिवर्तित या अधित्यजित किया जा सकता है। "सामान्य उद्देश्य को अग्रसारित करने के लिये" पद जैसा कि धारा 149 के अधीन प्रकट होता है इसका कठोरतापूर्ण अर्थान्वयन "सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये" के रूप में किया जाना चाहिये और इसे उद्देश्य की प्रकृति के अनुसार तत्काल समान उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिये। उद्देश्य में समानता आवश्यक है और उद्देश्य एक प्रक्रम तक विद्यमान रहना चाहिये, उसके बाद नहीं। किसी घटना के किस विशिष्ट प्रक्रम पर विधि–विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है जिसे जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा लाये गये हथियार और घटनास्थल के पास या स्थल पर सदस्यों के व्यवहार के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिये। विधि के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरुद्ध उद्देश्य से विधि – विरुद्ध जमाव के सभी मामलों में, उसे कृत्य में परिवर्तित किया जाय या सफल बनाना आवश्यक नहीं है। धारा 141 के स्पष्टीकरण के अधीन कोई जमाव जो जुड़ते समय विधि–विरुद्ध नहीं था, वह बाद में विधि– विरुद्ध हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह आशय या प्रयोजन जो किसी जमाव को विधि–विरुद्ध बनाने के लिये आवश्यक है वह विधि–विरुद्ध जमाव के आरंभ के समय ही मौजूद हो। विधि विरुद्ध जमाव गठित होने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। कोई जमाव जो आरंभ में या कुछ समय बाद भी वैध है वह वाद में विधि–विरुद्ध हो सकता है। धारा–149 भा०दं०सं० का दूसरा भाग उस परिस्थिति से सम्बन्धित है, जिसमें विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य जानते थे कि सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपराध का कारित किया जाना सम्भाव्य है। उन परिस्थितियों के बारे में कोई कठोर नियम नहीं बनाया जा सकता, जिससे सामान्य उद्देश्य का पता लगाया जा सके। जमाव की प्रकृति का, साथ लाये गये हथियारों और घटना के समय, उससे पूर्व और पश्चात किये गये व्यवहार से युक्तियुक्त रूप से पता लगाया जा सकता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए धारा–34 भा०दं०सं० में वर्णित सामान्य आशय की ओर ध्यान देना होगा, जिसके लिए अपराध में किसी न किसी प्रकार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है परन्तु धारा–149 भा०दं०सं० में ऐसा आवश्यक नहीं है, इसके अधीन तैयारी तथा अपराध कारित किये जाने में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, मात्र विधि–विरुद्ध जमाव की सामान्य उद्देश्य से सदस्यता ही दायित्वाधीन बनाने के लिए काफी है।

128. पी०डब्लू०–18 विनय गौतम द्वारा भी, पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह की

भांति न्यायालय में यह कहा गया है कि जो घटना दिनांक –26.01.2018 को हुई थी, जिसके फलस्वरूप मु०अ०सं०–59/2018 एवं मु०अ०सं०–60/2018 में एफ०आई०आर० दर्ज हुई थी वो घटना दो पक्षों के बीच आपसी मारपीट की सामान्य घटना न हो करके हिन्दू–मुसलमानों के बीच हुआ साम्प्रदायिक संघर्ष था।

129. साम्प्रदायिकता क्या है ? इसको स्पष्ट करने के उद्देश्य से विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित के द्वारा प्रो० विपिन चन्द्र की पुस्तक 'Communalism in Modern India' न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है, जिसका इस न्यायालय द्वारा परिशीलन किया गया है। इस पुस्तक में प्रो० विपिन चन्द्र ने कहा है कि साम्प्रदायिकता एक विचार या विश्वास है, जिसके अनुसार– क्योंकि व्यक्तियों का एक समूह एक विशिष्ट धर्म को मानने वाला है, इस कारण उनके सबके साथ सामान्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। यह एक विश्वास है कि भारतवर्ष में हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई अलग–अलग वर्ग का निर्माण करते हैं तथा एक वर्ग के हित केवल आपस में ही जुड़े हुए हैं तथा अन्य वर्गों से भिन्न हैं। इस कारण प्रत्येक हिन्दू, मुस्लिम आदि वर्गों की एक सामान्य राजनैतिक, आर्थिक सोच एवं सामान्य राजनैतिक पार्टी होनी चाहिए एवं राजनीति में सभी हिन्दुओं या मुस्लिमों को एक तरह ही सोचना चाहिए क्योंकि वे सबसे पहले हिन्दू या मुस्लिम हैं। पुस्तक के अनुसार– **What is Communalism ?**

> "Simply put, communalism is the belief that because a group of people follow a particular religion they have, as a result, common social, political and economic interests. It is the belief that in India Hindus, Muslims, Christians and Sikhs form different and distinct communities which are independently and separately structured or consolidated; that all the followers of a religion share not only a community of religious interests but also common secular interests, that is, common economic, political, social and cultural interests, that Indians inevitably perceive such interests through the spectacles of the religious grouping and are bound to possess a sense of identity based on religion, i.e., religion has to become the basis of their basic social identity and the determinant of their basic social relationships; that they possess the inherent tendency to act and function as a separate group or entity or unit in these fields; that they constitute separate 'organic wholes' or homogeneous and cohesive communities, especially in the political field; that each such religious 'community' has its own separate history, that communal identity and division have always pervaded Indian society, though they may have been reinforced in modern times; that the religious 'community' has become the basis of the organization of modern politics in. India and of the perception of economic, political and cultural issues by the Indian people; that a 'real' Hindu or Muslim can belong

> only to a party of the community and cannot differ politically from other Hindus or Muslims; that all Hindus or Muslims must think alike in politics because they are Hindus or Muslims;"

130. इसी प्रकार विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्ध एकेडमी (यू०पी० एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, उपाम) के साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट (STATE DISASTER MANAGEMENT PLAN ON COMMUNAL RIOTS) को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें साम्प्रदायिक दंगों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि–

> **What is a communal riot:** A riot is "a violent disturbance of the peace by an assembly or body of persons". It becomes a communal riot if disturbance of peace is caused by distinct community(ies) and is aimed at other distinct community(ies). Usually, in the Indian context a communal riot implies violent behaviour of the two major communities –Hindus and Muslims. A communal riot often flares up with a seemingly insignificant incidence. However, once started, the speed at which the violence spreads suggests that the violent activities were pre-planned. Thus even if the incidence that triggered the violence were spontaneous the subsequent follow up behaviour is rarely so. The cause of riot, then, lies beyond the incidences that trigger it – perhaps in some deep underlying forces that have kept the communal riots alive for centuries.

इसके अनुसार, एक साम्प्रदायिक हिंसा, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा शान्तिभंग है। यह तब साम्प्रदायिक संघर्ष हो जाता है जब विभिन्न धार्मिक वर्गों के द्वारा दूसरे धार्मिक वर्गों पर हिंसा कारित करने के लिए तथा भारतीय संदर्भ में हिन्दुओं तथा मुस्लिमों के बीच होता है। एक साम्प्रदायिक संघर्ष, आम तौर पर एक बहुत तुच्छ घटना से प्रारम्भ होता है लेकिन एक बार शुरू हो जाने पर जिस तरह से यह फैलता है, उससे यह कहा जा सकता है कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी।

> **Why do riots occur:** Determining the true cause can be a very involved issue as different causes may surface at different levels of enquiry. It is useful to examine the causality at three levels. The first constitute the incidences that trigger violence, referred to as the primary cause. Such incidences can be spontaneous like teasing a girl of another community
> or could be planned like playing music in front of a masjid during prayers. Often the motive is sending a message to the opposition community for a local leadership issue, asserting rights over some local resource such as a river ghat, or consolidating own community (in the wake of a communal clash) for an upcoming election and so on. The leadership issue, local resource or the upcoming election manifest the secondary cause. Primary and secondary causes, jointly, can be taken as immediate or proximate

causes. The third level of enquiry into why riots occur seeks causality in social structure and historical forces. This would perhaps fall beyond the scope of a DMP. It still needs to understoodby those managing riots as it often provides the perspective to see patterns in sporadic events occurring at distant places at different points in time.
For example, a riot can be seen to arise out of (justified?) majority resentment against a minority's alleged disloyalty to or betrayal of the country; or a riot can be seen as a consequence of provocation of a harassed minority by militant Hindu nationalists. In both cases the remedial measures will perhaps fall well within the domain of the police, thePrimary Agency for managing communal riots. At this stage, it should be noted that such analysis of underlying causes may give rise to another complexity. If a riot is interpreted as a result of the outrage felt by one community on, say, disloyalty / betrayal revealed by another then this very interpretation would contribute to the failure to prosecute the perpetrators of violence even when their identities are well known.

Probable causes: Proximate causes for the riots can be broadly classified under four heads: Religious, Personal, Reactive and Ritual. Religious causes include playing of music near a mosque during prayers, both communities claiming ownership of a place of worship, desecration of a place of worship, killing of cows or pigs, etc. Personal causes include molestation of a woman of one community by a member of another community; quarrel between landlord and tenant or between employer and employee of different communities, dispute between neighbours, forcible acquisition of properties by builders etc. A riot can be in reaction to a situation which happens elsewhere in the country; or even in the world hurting the sensibilities of a community. Ritual causes include throwing of gulala etc during Holi and relate to problems associated with taking out religious processions through localities inhabited by other community and raising of slogans on such occasions.

131. इस प्रकार उपरोक्त संदर्भों से स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक संघर्ष अत्यन्त तुच्छ बातों जैसे- उपासना स्थलों पर गाय या सुअर की मांस फेंक देना या किसी अन्य सम्प्रदाय की महिला से छेड़छाड़ कर देना या विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ा होने या होली आदि के अवसर पर रंग फेंक देना या धार्मिक जुलूस निकालने पर दूसरे समुदाय द्वारा भड़क जाना आदि वजहों से शुरू हो सकता है, लेकिन बाद में यह कई दिनों तक चलता रहता है एवं हिंसा के फलस्वरूप दोनों पक्षों के जानमाल का नुकसान होता रहता है। आगे इसी रिपोर्ट में साम्प्रदायिक दंगों के चार सम्भावित कारणों- 1. Religious, 2. Personal, 3. Reactive व 4. Ritual का भी वर्णन किया गया है, जो निम्न है-

3.5 The probable causes

The National Police Commission in its 6 th Report has covered Communal Riots in details and has numerated some of the proximate

causes for the riots, classified under the following broad heads:

1. Religious

(a) Playing of music before mosques and other places of Muslim worship either during prayer or afterwards ;

(b) Claiming of a place, as a place of worship, by both the communities ;

(c) Desecration of a place of worship of the Muslim by the Hindu or vice versa ;

(d) Killing or alleged killing of a cow or an animal held sacred by Hindus, by a member of the Muslim community ; and

(e) Desecration of a religious congregation by some loitering animals abhorred by a community.

2. Personal

(a) Alleged molestation or rape of a woman of one community by a member of the other community;

(b) Assault on a member of one community by a member of the other community, though the assault might itself be due to some private quarrel;

(c) Quarrel between a tenant of one community with a landlord of the other community;

(d) Dispute between two neighbours belonging to different communities over some minor matter; and

(e) In some of the recent incidents, buying of property in urban areas for commercial exploitation had created serious tensions. Properties have to be sold at a price below the market price, because they carry some legal encumbrances. Efforts to remove these encumbrances particularly of those caused by themembers of the opposite community rouse communal passions which may lead to communal riots

3. Reactive

(a) A reaction to a situation which happens elsewhere in the country; and

(b) A reaction generally by Muslims to some incidents taking place outside the country; this reaction normally manifests in large processions by the Muslims which creates a sense of insecurity and fear in the minds of the opposite community (for example, reaction or the Muslims to the desecration of the AL Aqua mosque in Jerusalem).

4. Ritual

(a) Taking out of customary processions by the Hindus during Durga Puja, Ganapati and other festivals, and by the Muslims on the occasion of Moharram ;

(b) Disputes over the routes to be taken by the processions, the concept of traditional routes and the insistence by the Muslims that such processions should not go through their localities;

(c) Throwing of Gulal, coloured water and other coloured substances on the Muslims in and around their places of worship during such processions; and

(d) Raising of slogans by both communities on such occasions which are considered provocative and abusive by the opposite community.

132. विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित ने बहस करते हुए कहा है कि वर्तमान मामले में कासगंज में जो साम्प्रदायिक संघर्ष 26, जनवरी 2018 को शुरू हुआ वह उपरोक्त छठवीं नेशनल पुलिस कमीशन रिपोर्ट के अनुसार , Ritual खण्ड में पैरा- (b) एवं पैरा-(d) में वर्णित कारणों से आच्छादित हो रहा है। इस मामले में जब तिरंगा यात्रा मुस्लिम बहुल आबादी में बड्डूनगर तिराहे पर पहुँची और आगे बढ़ने के लिए आग्रह करने लगी एवं इस संदर्भ में अवरोध उत्पन्न होने पर जब तिरंगा यात्रा के सदस्यों द्वारा वंदे मातरम् , भारत माता की जय आदि नारेबाजी की जाने लगी तो इसे मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा उत्तेजनात्मक माना गया और पथराव करके एवं लाठी-डण्डों से मारपीट करके रैली के सदस्यों को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। बाद में इस घटना से पूरे शहर में साम्प्रदायिक संघर्ष फैल गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा रैली के सदस्य अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की फायरिंग करके हत्या कारित कर दी गई थी।

133. न्यायालय द्वारा इस तर्क पर विचार किया गया है तथा राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की उपरोक्त रिपोर्ट वास्तव में साम्प्रदायिक संघर्ष के घटित होने एवं उसके विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की राय व्यक्त करती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने/सुलझाने में मार्गदर्शन करती है। उपरोक्त रिपोर्ट ने, इस न्यायालय को भी वर्तमान मामले को गहराई तक समझने में मदद की है कि इसे दो पक्षों के बीच आपसी झड़प मानी जाये या दो वर्गो के बीच साम्प्रदायिक संघर्ष माना जाये। जहां तक कासगंज के इस साम्प्रदायिक संघर्ष का सम्बन्ध है , न्यायालय का यह विचार है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि जब तिरंगा यात्रा जिसमें मृतक चन्दन के साथ 30-40 व्यक्ति और थे, प्रभु पार्क से प्रारम्भ होते हुए बड्डूनगर पहुंची और वहां पर उस रास्ते से आगे निकलने के प्रश्न पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति खड़े थे और वाद-विवाद होने लगा तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण संख्या बल में अधिक होने की वजह से तिरंगा यात्रा में हो रही हिन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि के नारों से उत्तेजित होकर वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा तिरंगा यात्रा के सदस्यों पर लाठी-डण्डों एवं ईंट-पत्थरों से हमला किया गया, जिससे रैली में शामिल लोग अपनी अधिकांश मोटरसाइकिलों को वहीं पर छोड़कर तथा कुछ मोटरसाइकिलों को साथ में लेकर जान बचाकर भागे और बिलराम गेट पहुंचे तब तक वहां भी साम्प्रदायिक तनाव पहुंच गया था तथा तोड़फोड़, मारपीट व पथराव होने लगा था एवं फायरिंग भी शुरू

हो गयी थी, उसके बाद तिरंगा यात्रा तहसील रोड पर जीजीआईसी इण्टर कॉलेज के पास सलीम के मकान के पास पहुंची तो मुस्लिम समुदाय के अभियुक्तगण द्वारा तिरंगा यात्रा के सदस्यों पर हमला किया गया और तिरंगे को छीन कर उसे फेंक कर पथराव एवं फायरिंग की गई तथा अभियुक्त सलीम के द्वारा अपने तमंचे से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष के द्वारा साक्षियों से की गई जिरह में इस बिन्दु पर बार-बार प्रश्न पूछे गये हैं कि तिरंगा यात्रा को मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ले जाने के लिए पूर्व प्रशासनिक अनुमति ली गई थी अथवा नहीं तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्र से तिरंगा यात्रा ले जाने के पूर्व आवश्यक सावधानियां बरती गई थी या नहीं, जिसके बारे में इस निर्णय के पूर्व पृष्ठों पर निष्कर्ष अंकित किया जा चुका है कि भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा रैली निकालने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है तथा यह इस तथ्य पर निर्भर नहीं करता कि वह क्षेत्र मुस्लिम बहुल आबादी है या हिन्दू बहुल आबादी है।

134. एक अन्य तथ्य भी उपरोक्त रिपोर्ट में Dynamics of communal riots शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित की गई है, जिसमें बताया गया है कि एक बार साम्प्रदायिक संघर्ष शुरू हो जाने के बाद उसका नियंत्रण असामाजिक तत्वों द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाता है तथा व्यापक पैमाने पर मारपीट, लूटपाट एवं आगजनी आदि होनी शुरू हो जाती है।

> **Dynamics of communal riots:** A riot may start with any cause. It affects public order. Intra-ethnic communication stops altogether. Motivated parties spread out rumours and public start believing them. Even the sane community leaders who disparage the anti- social elements in normal times grudgingly accept them and even give sanction to their activities. The chaotic situation offers opportunities to petty criminals to indulge in arson and looting. With utter breakdown of public order and wild rumours floating around communities become hysterical and take leave of their senses. Even law abiding citizens may actively take part in looting or at least in sheltering criminals and offering support.

135. साक्ष्य में यह भी आ रहा है कि इस कृत्य से शहर की शान्ति व्यवस्था भंग हो गयी तथा जगह-जगह पथराव एवं फायरिंग दोनों पक्षों के द्वारा होने लगी थी। पी०डब्लू०-4 विवेक गुप्ता के साक्ष्य से ही यह भी तथ्य सामने आ रहा है कि इसमें मुस्लिम समुदाय का भी एक व्यक्ति घायल हुआ था, उसकी आँख फूट गयी थी तथा दुकानें एवं वाहन भी जलाये गये थे।

136. इस प्रकार इस न्यायालय का विचार है कि एक बार तिरंगा यात्रा में मुस्लिम

बहुल आबादी में उपस्थित स्थानीय लोगों (अभियुक्तगण व अन्य लोग) के द्वारा व्यवधान डाले जाने तथा उन्हें आगे न जाने देने पर एवं तिरंगा यात्रा के सदस्यों द्वारा लगाये गये भारत माता की जय, वंदे मातरम्, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि नारों से घटनास्थल पर साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। बाद में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा अचानक पत्थरबाजी करने तथा लाठी-डण्डों से आक्रमण करने से तिरंगा यात्रा में भगदड़ मच गयी एवं उसके सदस्यों को वापस जान बचाकर भागना पड़ा तथा इस प्रकार पूरे शहर में जी०जी०आई०सी०, तहसील रोड, बिलराम गेट होते हुए साम्प्रदायिक संघर्ष फैलता गया। जिसमें अभियुक्तगण में से एक सलीम द्वारा तमंचे से की गई फायरिंग में अभिषेक उर्फ चन्दन की मृत्यु कारित कर दी गई। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा जो अपराध कारित किया गया है वह मुस्लिम समुदाय व हिन्दू समुदाय के लोगों को अलग-अलग समूह मानते हुए साम्प्रदायिकता की भावना के तहत इस सामान्य उद्देश्य से कारित किया गया है कि अपराध किया जाये तथा तिरंगा यात्रा निकाल रहे हिन्दू समुदाय एवं उसी समुदाय के अन्य सदस्यों के विरुद्ध, उनकी सम्पत्ति एवं शरीर पर हमले किये जायें। इस श्रृंखला में उनके द्वारा तिरंगा यात्रा के सदस्यों द्वारा हाथ में लिये गये तिरंगा ध्वजों का भी अपमान किया गया और उसे भूमि पर फेंक दिया गया।

137. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री चिन्मय प्रकाश पाण्डेय ने पी०डब्लू०-4 विवेक गुप्ता के पेज-25 पर दिये हुए साक्ष्य की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि इस साक्षी ने तिरंगे को अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, आसिफ उर्फ हिटलर, आसिफ जिमवाला एवं जाहिद उर्फ जग्गा द्वारा छीन कर जमीन पर फेंक देने का साक्ष्य दिया है तथा साथ में बहुत से अभियुक्तगण या अन्य अभियुक्तगण वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया है। इससे यह साबित हो रहा है कि तिरंगे के प्रति अपमान इन्हीं मात्र छः अभियुक्तगण द्वारा किया गया था तथा अन्य अभियुक्तगण इसमें शामिल नहीं हैं। न्यायालय द्वारा इस तर्क पर विचार किया गया है तथा इससे यह तथ्य सामने आ रहा है कि बड्डूनगर से जब तिरंगा यात्रा को मुस्लिम समुदाय के उपद्रवियों द्वारा अपने ऊपर हुए अचानक पत्थरबाजी एवं पथराव के कारण वापस लौटना पड़ गया था, तब तक उक्त उपद्रवियों का समूह एक विधि विरुद्ध जमाव का रूप ले चुका था तथा बाद में इसमें शहर के विभिन्न हिस्सों जैसे - तहसील गेड, जीजीआईसी के पास अन्य मोहल्लों के भी उपद्रवियों के द्वारा शामिल होकर वही सामान्य उद्देश्य ग्रहण कर लिया गया कि तिरंगा यात्रा निकाल रहे हिन्दुओं के विरुद्ध हिंसा की जानी है। उस तिरंगा यात्रा में हमला किये जाने पर इस बात की पूरी आशंका थी कि तिरंगे झण्डे को कुछ आक्रमणकारियों के द्वारा छीन कर जमीन

पर फेंका भी जा सकता है, जो एक अपराध है। विधि का यह सिद्धान्त है कि यदि किसी अपराध के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में मूल रूप से हटकर आनुषांगिक अपराध कारित हो रहे हों , तो उस आनुषांगिक अपराध के लिए भी विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्व के अधीन होगा। इस तथ्य को निर्णय के पूर्व भाग में Dynamics of communal riots शीर्षक के अन्तर्गत भी स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार यह निष्कर्ष सामने आ रहा है कि विशुद्ध तिरंगा यात्रा को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आगे बढ़ने को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ था एवं नारेबाजी के बाद हुए पथराव एवं मारपीट से वह विवाद एक साम्प्रदायिक संघर्ष में बदल गया एवं कासगंज शहर कई दिनों तक दंगों की आग में जलता रहा। ऊपर यह भी देखा जा चुका है कि अभियुक्त असीम कुरैशी को समय 10:18am पर दिनांक-26.01.2018 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपस्थित पाया गया, जो सी०सी०टी०वी० फुटेज वस्तु प्रदर्श ख-4,5,6 से प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त असीम कुरैशी की संलिप्तता इस अपराध में नहीं पायी जा रही है। यहीं पर एक बार फिर पी०डब्लू०-4 विवेक गुप्ता के बयान की ओर लौटना सुसंगत होगा, जिसमें विवेक गुप्ता ने यह बयान दिया है कि *"दिनांक–26.01.2018 की घटना है, उस दिन मैं और मेरा भाई अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन गुप्ता तथा प्रतीक मालू, विवेक माहेश्वरी, लखन प्रताप सिंह, सौरभ पाल व अन्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रगान करने के बाद तीस से चालीस मोटर साइकिलों पर सवार होकर हाथों व मोटरसाइकिलों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाकर प्रभु पार्क से तिरंगा रैली प्रारम्भ की। जैसे ही हम लोग बड्डूनगर में पहुंचे, वहां पर मुसलमानों के लड़के झुण्डों में खड़े थे, जिनमें ज्यादातर युवा थे"* । अभियुक्त नसीरुद्दीन पुत्र मो० नवाब के सम्बन्ध में यह तथ्य सामने आ रहा है कि उसकी उम्र लगभग 76 वर्ष है, जो आधार कार्ड की प्रविष्टि से भी सत्यापित हो रही है, अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय का विचार है कि पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता के बयान के पृष्ठभूमि में नसीरुद्दीन को संदेह का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

138. इस प्रकार प्रश्न संख्या-1,2 व 3 जो इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दिनांक–26.01.2018 को अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13– मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22– साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल

कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी द्वारा करीब 10:30 बजे राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के गेट के सामने तहसील रोड, थाना– कासगंज, जिला– कासगंज में विधि विरुद्ध जमाव करके घातक आयुध से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की, उस समय गोली मारकर मृत्यु कारित कर दी गई, जब वह अपने अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल था तथा क्या उनके द्वारा 26 जनवरी, 2018 को आयोजित तिरंगा यात्रा में व्यवधान डालकर, उसे हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा का रंग देते हुए वादी मुकदमा के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कर दी गई एवं ईंट–पत्थर, लाठी एवं अन्य घातक आयुधों से सुसज्जित होकर क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव फैलाया गया, जिससे कस्बा कासगंज कई दिनों तक साम्प्रदायिक तनाव में झुलसता रहा ? एवं क्या उनके द्वारा दिनांक–26.01.2018 को मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन एवं उसके साथियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान उसके सदस्यों के हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंककर उसका अपमान किया गया ? एक साथ **सकारात्मक रूप से निर्णीत** किये जाते हैं।

<u>निस्तारण प्रश्न सं०–4</u>

139. यह प्रश्न इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है ?

उपरोक्त प्रश्न संख्या –1, 2 व 3 का निस्तारण करते समय यह निष्कर्ष अंकित किया जा चुका है कि दिनांक–26.01.2018 को अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी द्वारा करीब 10:30 बजे राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज के गेट के सामने तहसील रोड, थाना– कासगंज, जिला– कासगंज में विधि विरुद्ध जमाव करके घातक आयुध से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की, उस समय गोली मारकर मृत्यु कारित कर दी गई, जब वह अपने अन्य साथियों के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल था तथा उनके द्वारा 26 जनवरी, 2018 को आयोजित तिरंगा यात्रा में

व्यवधान डालकर, उसे हिन्दू–मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगा का रंग देते हुए वादी मुकदमा के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में कर दी गई एवं ईंट–पत्थर, लाठी एवं अन्य घातक आयुधों से सुसज्जित होकर क्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव फैलाया गया, जिससे कस्बा कासगंज कई दिनों तक साम्प्रदायिक तनाव में झुलसता रहा एवं उनके द्वारा दिनांक–26.01.2018 को मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन एवं उसके साथियों द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान उसके सदस्यों के हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंककर उसका अपमान किया गया। इस मामले में कुछ अभियुक्तगण के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमें दर्ज किये गये थे क्योंकि इन अभियुक्तगण द्वारा साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान अवैध असलहों से फायरिंग की गई थी। अपराध संख्या –59/2018 की तहरीर से यह स्पष्ट हो रहा है कि वादी मुकदमा एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह के द्वारा साम्प्रदायिक संघर्ष में उपद्रवियों द्वारा किये गये फायरिंग के परिणामस्वरूप पहले ही दिन 26.01.2018 को 10 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया था, जिससे साम्प्रदायिक संघर्ष की तीव्रता का प्रथम दृष्टया अनुमान हो रहा है, हालांकि यह साम्प्रदायिक संघर्ष कासगंज में दो–तीन दिन तक चलता रहा था।

140. वर्तमान मामले में सात अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, सलमान, राहत, मोहसिन अली एवं बबलू के विरुद्ध दर्ज आयुध अधिनियम के मुकदमें भी दर्ज हैं, जिनमे अभियोजन द्वारा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके न्यायालय में साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

पी०डब्लू०–1 रिपुदमन सिंह जो घटना के दिनांक–26.01.2018 को एस०एच०ओ० कासगंज थे, उनके द्वारा अभियुक्त सलीम से उसकी निशानदेही पर तमंचा बरामद करके मु०अ०सं०–69/2018 अंतर्गत धारा–25/27 दर्ज कराया गया था, उसकी विवेचना पी०डब्लू०–16 अजब सिंह के द्वारा की गई है। इस साक्षी अजब सिंह को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, जिसने नक्शा–नजरी, आरोप पत्र, अभियोजन स्वीकृति को क्रमशः प्रदर्श क–33, प्रदर्श क–34 व प्रदर्श क–35 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त सलीम के पास से उसकी निशानदेही पर कथित तमंचा बरामद न हुआ हो। इससे सम्बन्धित विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा की रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि सलीम की कथित देशी पिस्तौल व खोखा कारतूस जो परीक्षण हेतु भेजा गया था उसमे यह मत दिया गया कि विवादित .315 बोर देशी पिस्तौल की

नाल में फायरिंग के अवशेष लेड, कॉपर व नाईट्राइट की उपस्थिति पाई गई थी तथा विवादित .315 बोर कारतूस उपरोक्त .315 बोर देसी पिस्तौल द्वारा चलाया गया था। यह फॉरेन्सिक रिपोर्ट दिनांक–03.04.2019 विशेषज्ञ की रिपोर्ट है तथा बिना विशेषज्ञ के न्यायालय में परीक्षण के साक्ष्य में ग्राह्य है तथा इससे यह पुष्टि होती है कि अभियुक्त सलीम के पास से जो तमंचा बरामद हुआ था, उसी से चली गोली से मृतक चन्दन की मृत्यु हुई थी।

141. इसी प्रकार अभियुक्त वसीम के पास से भी असलहा बरामद करके पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने मु०अ०सं०–81/2018 अंतर्गत धारा–3/25 व धारा–207 एम०वी० एक्ट, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० जंगबहादुर सिंह ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी जंगबहादुर सिंह पी०डब्लू०–15 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में नक्शा–नजरी प्रदर्श क–30, आरोप पत्र प्रदर्श क–32 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–31 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त वसीम के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

142. इसी प्रकार अभियुक्त नसीम के पास से भी असलहा बरामद करके पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने मु०अ०सं०–82/2018 अंतर्गत धारा–3/25 एक्ट, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० विनय गौतम ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी विनय गौतम पी०डब्लू०–18 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में नक्शा–नजरी प्रदर्श क–39, आरोप पत्र प्रदर्श क –40 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–41 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त नसीम के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो। अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–6 हे०का० 386 यशकान्त को परीक्षित कराया गया है, जिसमें पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह द्वारा दी गयी फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं०–69/2018 अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम अभियुक्त सलीम के विरुद्ध दर्ज किया एवं जी०डी० मे उसका खुलासा किया तथा उसको

प्रदर्श क–5 के रूप में न्यायालय में साबित किया है तथा अभियुक्त वसीम व नसीम के विरुद्ध मु०अ०सं० –81/2018 अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम व अंतर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम को प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है, इस साक्षी से जिरह की गई है तथा मुकदमा पंजीकृत करने तथा जी०डी० कायमी के समय इसने विश्वसनीय साक्ष्य दिया है।

143. इसी प्रकार अभियुक्त मोहसिन अली के पास से भी असलहा बरामद करके पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने मु०अ०सं०–65/2018 अंतर्गत धारा–3/25, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० सोहन पाल वर्मा ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी सोहन पाल वर्मा पी०डब्लू०–17 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में नक्शा–नजरी प्रदर्श क–36, आरोप पत्र प्रदर्श क –37 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–38 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त मोहसिन अली के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

144. इसी प्रकार अभियुक्त बबलू के पास से भी असलहा बरामद करके पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने मु०अ०सं०–63/2018 अंतर्गत धारा–3/25, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० महेश चौधरी ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी महेश चौधरी पी०डब्लू०–13 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में नक्शा–नजरी प्रदर्श क–24, आरोप पत्र प्रदर्श क –25 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–26 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त बबलू के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

145. इसी प्रकार अभियुक्त राहत के पास से भी असलहा बरामद करके एस०आई० अवधेश कुमार भदौरिया पी०डब्लू०–11 ने मु०अ०सं०–72/2018 अंतर्गत धारा–3/25, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० सुरेश चन्द्र शर्मा ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी सुरेश चन्द्र शर्मा पी०डब्लू०–12 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में

नक्शा–नजरी प्रदर्श क–22, आरोप पत्र प्रदर्श क –21 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–23 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है, जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त राहत के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

146. इसी प्रकार अभियुक्त सलमान के पास से भी असलहा बरामद करके पी०डब्लू०–1 एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह ने मु०अ०सं०–78/2018 अंतर्गत धारा–3/25 एक्ट, थाना– कासगंज दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना उ०नि० विजय पाल सिंह ने की थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किया था। यह साक्षी विजय पाल सिंह पी०डब्लू०–14 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है, जिसने न्यायालय में आरोप पत्र प्रदर्श क–29 तथा जिला मजिस्ट्रेट कासगंज से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–28 के रूप में साबित किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से जिरह की है, जिसमें कथित बरामदगी, अभियोजन स्वीकृति आदि के सम्बन्ध में विस्तार से प्रश्न पूछे गये हैं परन्तु बचाव पक्ष ऐसा कोई उत्तर प्राप्त करने में असफल रहा है , जिससे यह साबित न होता हो कि अभियुक्त सलमान के पास से कथित तमंचा बरामद न हुआ हो।

147. इस प्रकार यह तथ्य सामने आ रहा है कि तिरंगा यात्रा के बड्डूनगर पहुंचने पर जो साम्प्रदायिक संघर्ष शुरू हुआ उसके परिणामस्वरूप जीजीआईसी के सामने विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य अभियुक्त सलीम के द्वारा अपने तमंचे से की गई फायरिंग के कारण मृतक चंदन की मृत्यु कारित कर दी गई। बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में जो मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें उनके द्वारा Plea of alibi मुख्य रूप से लिया गया है परन्तु यह विस्तार से देखा जा चुका है कि Plea of alibi से उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है, जिससे अभियोजन कथानक पर संदेह व्यक्त किया जा सके। बचाव पक्ष की ओर से तीन साक्षियों डी०डब्लू०–8, डी०डब्लू०–11 एवं डी०डब्लू०–20 को इस आशय से परीक्षित कराया गया है कि मृतक का भाई विवेक गुप्ता पी०डब्लू० –4 घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तथा वह सक्षम साक्षी नहीं है।

148. बचाव पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्षी डी०डब्लू०–8 विशाल ठाकुर को प्रस्तुत किया गया है उसने यह बताया है कि तिरंगा यात्रा में उसकी मोटरसाइकिल थी, जिसे चन्दन चला रहा था तथा वह पीछे की सीट पर बैठा हुआ था तथा दिनांक–26.01.2018 को प्रातः 08:00 बजे प्रभु पार्क में झण्डारोहण के समय

लगभग 200 लोग मौजूद थे, जहां से वन्दे मातरम् का नारा लगाते हुए बिलराम गेट की तरफ से हुल्का मोहल्ला गये तथा जैसे ही वीर अब्दुल हमीद चौराहे पर पहुंचे, वहां पहले से ही एक कार्यक्रम चल रहा था और रोड पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। वहां पर रैली निकलने को लेकर तथा रास्ता खाली कराने को लेकर मुहल्ले के मौजूद लोगों से नोक–झोंक होने लगी तथा माहौल बिगड़ गया एवं पत्थरबाजी व लड़ाई–झगड़ा शुरू हो गया तथा भीड़ उग्र हो गयी, जिस पर तिरंगा यात्रा के सदस्य अपनी बाईक छोड़कर बिलराम गेट की तरफ भागे एवं बिलराम गेट पहुंचते ही वहां पर माहौल और बिगड़ा हुआ था तथा तोड़फोड़, पत्थरबाजी एवं अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। जैसे ही मैं व चन्दन फायरिंग से बचने के लिए भागे उसी समय बिलराम गेट के पास मास्टर पान वाली दुकान के करीब चन्दन को किसी दिशा से आई हुई गोली लग गई तब चन्दन को उठाकर कासगंज पहुंचे जहां पुलिस की गाड़ी द्वारा घायल अवस्था मे इलाज के लिए जिला अस्पताल कासगंज ले जाया गया। उस समय चन्दन के परिवार का कोई सदस्य नहीं था तथा लोगों द्वारा यह कहा गया कि चन्दन के परिवार को सूचना दे दी जाये, उसके बाद माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया तथा घबराहट के कारण मैं अपने घर चला गया और बाद में सूचना मिली की चन्दन की मृत्यु हो गई है। इस साक्षी से जिरह हुई है तथा साक्षी ने स्वीकार किया है कि कासगंज में इसी मामले से सम्बन्धित मु०अ०सं०–59/2018 में वह अभियुक्त बनाया गया है। अभियोजन ने इस बिन्दु पर जिरह की है कि इसी मुकदमें के कारण वह पक्षद्रोही हो गया है तथा इसी कारण वह दंगे में शामिल लोगों व ईंट–पत्थर चलाने वाले तथा गोली मारने वाले का नाम नहीं बता रहा है।

149. न्यायालय का विचार है कि तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद अपने साथी चन्दन गुप्ता को गोली लगने पर अस्पताल न ले जाने का साक्ष्य देकर इस साक्षी ने अपने चरित्र का स्वयं परिचय दे दिया है कि वह मुसीबत में पड़ने पर अपने साथियों का भी साथ छोड़ सकता है तथा यदि उसके द्वारा इतनी बड़ी घटना में किसी भी अभियुक्त की पहचान नहीं की जा रही है एवं यह साक्ष्य दिया जा रहा है कि घटनास्थल पर विवेक गुप्ता उपस्थित नहीं था तो इसके साक्ष्य पर इस बिन्दु पर आंख मूंद कर न्यायालय भरोसा नहीं कर सकती।

150. बचाव पक्ष की ओर से डी०डब्लू०–11 प्रतीक महेश्वरी प्रस्तुत किया गया है तथा उसने भी घटना का जो वर्णन किया है कि– "दिनांक–26.01.2018 को सुबह समय लगभग 08:00 बजे के करीब मैं प्रभू पार्क गया था, जहां से तिरंगा यात्रा को प्रारम्भ होना था। तिरंगा यात्रा में वहां पर तकरीबन 150–200 लोग मौजूद थे। तिरंगा लहराने तथा झण्डारोहण के कार्यक्रम के बाद तिरंगा यात्रा प्रभू पार्क से निकल

कर मार्केट होते हुए बिलराम गेट चौराहे से होते हुए हुल्का मोहल्ला के अन्दर दाखिल हुई। जहां पर वीर अब्दुल हमीद चौराहे के पास पहले से रोड पर कुर्सियां बिछाकर झण्डारोहण तथा उससे सम्बन्धित कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर रास्ता देकर रैली को निकालने की बात को लेकर वहां पर मौजूद लोगों से कहासुनी होने लगी, थोड़ी देर कहासुनी के बाद दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो गये तथा माहौल बिगड़ने लगा, जिसके उपरान्त वहीं पर झगड़ा शुरू हो गया तथा लाठी–डन्डा व पत्थरबाजी भी शुरू हो गयी। चूँकि गली पतली थी और हम लोगों की बाईकें बहुत थी जिस कारण बाईके मुड़ नहीं सकी और मजबूरीवश हम लोग अपनी बाईकें वहीं छोड़कर बिलराम गेट की ओर भागे। बिलराम गेट पहुँचने पर वहां पर माहौल और भी ज्यादा बिगड़ चुका था और कुछ ही देर में पत्थरबाजी व ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। हम लोग अपनी जान बचने की नियत से जैसे ही भागना चाहा कि तभी अचानक हमारे आगे भाग रहा अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन के ऊपर किसी दिशा से गोली आयी तथा मास्टर पान वाले की दुकान के पास बिलराम गेट चौराहे पर गोली लग गयी। वहां पर मौजूद अन्य लोगों तथा मेरे द्वारा चन्दन को तत्काल कासगंज कोतवाली लेकर भागे जो वहां से करीब 150–200 मीटर की पर थी, जहां पर पुलिस की गाड़ी में बैठाकर पुलिस लोगों द्वारा उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल कासगंज ले जाया गया। चूंकि कोतवाली पर चन्दन के परिवार का कोई सदस्य नहीं था तथा तुरन्त हम लोगों द्वारा पुलिस की गाड़ी के पीछे–पीछे अपनी बाईकों से जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर चन्दन का इलाज चल रहा था तथा वहां पर बहुत भीड़ हो गयी थी। उसके बाद चन्दन के परिवार के सदस्य कुछ समय बाद अस्पताल पहुंच गये थे। जहां इलाज के दौरान 15–20 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो गयी, उसके बाद चूँकि शहर का माहौल बहुत खराब हो चुका था, हर जगह आगजनी व दंगे की घटनाएँ और बढ़ने लगी थी और मेरे घर वालों द्वारा फोन पर फोन आ रहे थे, जिसके उपरान्त मैं भी बहुत ज्यादा घबरा गया था तथा फिर मैं अपने घर चला गया।"

151. इस साक्ष्य से भी घटना का वही स्वरूप सामने आ रहा है, जैसा वर्णन मौके पर उपस्थित चक्षुदर्शी साक्षियों पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता एवं पी०डब्लू०–3 सौरभ पाल द्वारा किया गया है कि सड़क पर ही कुर्सियां रखी गयीं थी तथा जब तिरंगा यात्रा को आगे नहीं निकलने दिया गया तब तिरंगा यात्रा के सदस्यों द्वारा भारत माता की जय आदि नारे लगाये गये, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तेजित हो गये और अचानक पत्थरबाजी करने लगे तथा लाठी–डण्डों से हमले कर दिये। पत्रावली में बचाव पक्ष की ओर से उस अवसर के रंगीन फोटोग्राफ्स कागज सं०–49 व कागज सं०–50 प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सड़क के बीचो–बीच

लाल रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां रखकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था तथा बिना कुर्सियों को हटाए कोई आगे नहीं बढ़ सकता था। इस साक्षी से जिरह की गई है तथा उसने इस तथ्य से इंकार किया है कि वह दबाववश सही बात नहीं बता रहा है तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि वादी ने यह आशंका पहले व्यक्त कर दी थी कि वह अभियुक्तगण से मिल गया है तथा पैसे ले करके अभियुक्तगण को बचाने के लिए झूँठी गवाही दे रहा है। यहां पर पी०डब्लू०–2 वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के साक्ष्य के पेज–4 पर ध्यान देना होगा, जिसमें सुशील गुप्ता ने बताया है कि उसे तहरीर लिखवाने के पहले मुल्जिमानों के नाम उसके पुत्र विवेक गुप्ता, प्रतीक महेश्वरी तथा सौरभ पाल ने बताये थे। यह वही प्रतीक महेश्वरी है, जो पी०डब्लू०–11 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा उसने घटना का हूबहू वर्णन तो वैसा ही किया है, जैसा साक्षीगण विवेक गुप्ता एवं सौरभ पाल ने किया है परन्तु किसी भी अभियुक्त का नाम इसने अपने साक्ष्य में न्यायालय में नहीं बताया है। इससे इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि यह साक्षी बचाव पक्ष के प्रभाव में आकर सही नाम नहीं बता रहा है तथा अभियुक्त सलीम को बचाने के लिए इसने यह साक्ष्य दिया है कि अचानक ऊपर से किसी दिशा से गोली आई तथा चंदन को गोली लग गई। जैसा कि निर्णय के अग्र भाग में पी०डब्लू०–7 के साक्ष्य के विश्लेषण के समय यह देखा जा चुका है कि मृतक के शव पर गोली के इन्ट्रीउन्ड के चारो तरफ ब्लैकनिंग भी आई है तथा जो निकट की दूरी से की गई फायरिंग का स्पष्ट प्रमाण होती है तथा इस साक्ष्य से भी डी०डब्लू०–11 प्रतीक मालू के साक्ष्य देने का आशय अभियुक्तगण को बचाना अधिक प्रतीत होता है न कि न्यायालय में सत्य को सामने ले आना।

152. इसी प्रकार बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०–20 विनीत कुमार ने यह साक्ष्य दिया है कि वह 26 जनवरी, 2018 को पूजा करने पथवारी देवी के मन्दिर, बिलराम गेट चौराहे पर गया था, जहां 09:15–09:30 बजे के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा और पत्थरबाजी हो रही थी और माहौल बिगड़ता जा रहा था, अचानक फायरिंग की कई आवाजें कई दिशा से आ रही थीं और किसी दिशा से गोली आई और एक व्यक्ति को लग गयी तथा उसके साथी यह चिल्लाकर बोल रहे थे कि जिसको गोली लगी है उसके परिवार वालों को बुला लो, क्योंकि परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था तथा पुलिस द्वारा अपनी खुद की गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाया गया। यह साक्षी भी घटना का सही वर्णन नहीं दे रहा है क्योंकि इसने भी मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन को लगी गोली के भी दूर से चलाने का कथन किया है, जो मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेन्स से सही साबित नहीं है। जिरह में इस साक्षी ने कहा है कि झंडा फहराने को लेकर दंगा हुआ था तथा चन्दन गुप्ता को लेकर वह अस्पताल नहीं

गया था तथा डर कर घर चला गया था।

153. इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी यह तथ्य सामने आ रहा है कि बिलराम गेट चौराहे पर झगड़ा, पत्थरबाजी और फायरिंग की आवाजें कई दिशा से आ रही थी। यह साक्ष्य भी अभियोजन को ही बल दे रहा है, जिसमें कई अभियुक्तगण के पास से तमंचे बरामद हुए व एस०एच०ओ० रिपुदमन सिंह को फायरिंग के कई खोखे प्राप्त हुए थे। यह भी उल्लेखनीय है कि इस पूरे प्रकरण में जो आयुध अधिनियम के मुकदमें विभिन्न अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं , उनमें से कोई भी अभियुक्त हिन्दू समुदाय का नहीं है। इस पूरे प्रकरण में कुल मिलाकर 12 मुकदमें दर्ज हुए थे, जिनमें मु०अ०सं० –59/2018 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 336, 436, 295, 427, 323, 504 भा०दं०वि० व धारा–7 सी०एल०ए० एक्ट, मु०अ०सं०–70/2018 अंतर्गत धारा– 147, 148, 149, 436, 427 भा०दं०वि०, मु०अ०सं०–66/2018 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 307, 323, 326, 394, 427, 504 भा०दं०वि० एवं मु०अ०सं०–64/2018 अंतर्गत धारा–436, 427 भा०दं०वि० जनपद कासगंज में विचारण हेतु लम्बित है, जिसमें वर्तमान अपराध संख्या–60/2018 के सभी 30 मुस्लिम अभियुक्तगण के साथ–साथ छः हिन्दू अभियुक्तगण भी साम्प्रदायिक दंगे के अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहे हैं। तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु निम्न टेबल में इनका उल्लेख किया जा रहा है–

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	विचारण का स्थान
1.	59/2018	147, 148, 149, 307, 336, 436, 295, 427, 323, 504 भा०दं०वि० व धारा–7 सी०एल०ए० एक्ट	जनपद कासगंज
2.	70/2018	147, 148, 149, 436, 427 भा०दं०वि०	जनपद कासगंज
3.	66/2018	147, 148, 149, 307, 323, 326, 394, 427, 504 भा०दं०वि०	जनपद कासगंज
4.	64/2018	436, 427 भा०दं०वि०	जनपद कासगंज
5.	60/2018	147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124A भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम	जनपद लखनऊ
6.	65/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ
7.	63/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ

8.	72/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ
9.	78/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ
10.	81/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ
11.	82/2018	3/25 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ
12.	69/2018	25/27 आयुध अधिनियम	जनपद लखनऊ

154. उक्त कासगंज वाले मुकदमें में किसी भी हिन्दू अपराधी के पास से तमंचे या अवैध हथियार बरामद नहीं हुए हैं, जबकि इस न्यायालय में लम्बित 30 मुस्लिम अभियुक्तगण में से सात के पास से तमंचों की बरामदगी भी हुई है।

155. इस तथ्य से यह निष्कर्ष पुष्ट हो रहा है कि दिनांक –26.01.2018 के साम्प्रदायिक दंगे की तैयारी मुस्लिम दंगाईयों द्वारा अपनी सघन बस्तियों में अवैध तमंचे एवं कारतूस तथा हथियार जमा करके बहुत पहले से कर ली गई थी एवं पूरा मामला पूर्व नियोजित था।

156. बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विभिन्न एन०जी०ओ० Alliance for Justice and Accountability, New York, Citizens for Justice and Peace, Mumbai, Indian American Muslim Council, Washington D.C., Peoples's Union for Civil Liberties, New Delhi, Rihaee Manch, Lucknow, South Asia Solidarity Group, London, United Against Hate, New Delhi द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स "*स्वतंत्र जाँच–कासगंज का सच– फर्जी पुलिस जाँच ने हिन्दुओं को बचाया, मुसलमानों को फंसाया* " प्रस्तुत की गई है। इस न्यायालय द्वारा उस रिपोर्ट पर भी गम्भीरता से ध्यान दिया गया है तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जियाउल जिलानी से पूछा गया है कि क्या इस रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख है कि इनका कोई जांच अधिकारी मौके पर गया हो, तो विद्वान अधिवक्ता ने उत्तर दिया है कि मौके पर कोई जांच अधिकारी इनकी ओर से नहीं गया था। इस प्रकार न्यायालय का विचार है कि उक्त जांच रिपोर्ट मुस्लिम सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभियुक्तगण को बचाने के उद्देश्य से बिना तथ्यों की जांच किये हुए तैयार की गई है, जो निर्णय के पूर्व भाग में साम्प्रदायिकता या कम्यूनलिज्म की जो परिभाषा प्रो० विपिन चन्द्र पाल द्वारा दी गई है, उसी भावना या परिभाषा के अन्तर्गत, उसी चश्में को लगाकर तैयार की गई है, जिसमें विभिन्न एन०जी०ओ० के द्वारा बिना मौके की वस्तुस्थिति का यथार्थ विश्लेषण किये हुए, मुसलमान अभियुक्तगण को निर्दोष बताते हुए हिन्दुओं को छोड़ दिये जाने का निराधार तथ्य रिपोर्ट्स में रखा गया है।

157. साक्षी पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता की घटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध

में आये हुए साक्ष्य का विश्लेषण– बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी सं०–3 सौरभ पाल को घटनास्थल पर उपस्थित होना स्वीकार किया गया है किन्तु अभियोजन साक्षी सं०–4 विवेक गुप्ता की घटनास्थल पर उपस्थिति को संदिग्ध माना गया है। उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०–3 सौरभ पाल द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने साक्ष्य में अभियोजन साक्षी सं० –4 विवेक गुप्ता को अपने साथ तिरंगा यात्रा में शामिल एवं घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया गया है। पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता के तिरंगा रैली में शामिल न होने एवं घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के सम्बन्ध में बचाव पक्ष के द्वारा जो उपरोक्त मौखिक साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनमें से किसी साक्षी ने किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है, जिसने मृतक चन्दन की मृत्यु कारित की हो, जिससे प्रथम दृष्टया यह बात प्रमाणित हो जाती है कि बचाव पक्ष के साक्षियों का आशय अभियुक्तगण को बचाना है न कि सच्चाई सामने लेकर आना है, क्योंकि एक ही कस्बे के होने के नाते उनके द्वारा कुछ नाम तो अवश्य साक्ष्य में बताये गये होते जो दंगे में शामिल थे।

158. अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षी विवेक गुप्ता एवं सौरभ पाल के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में इस तथ्य की पुष्टि की गई है तथा दोनों के ही बयानों से यह तथ्य साबित हो रहा है कि वे तिरंगा रैली में शामिल थे एवं मौके पर उपस्थित थे। अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन को गोली लगने के बाद, पी०डब्लू०–4 विवेक गुप्ता का कथन है कि तत्काल उसे थाने ले जाया गया था तथा पुलिस की गाड़ी से जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन को अन्य लोग अस्पताल लेकर गये थे तथा इसी कारण पंचायतनामे एवं पोस्टमार्टम के समय भी घर का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा तर्क पर विचार किया गया है तथा इस पत्रावली में पुलिस मेमो कागज संख्या 223/7 संलग्न है जो चिकित्साधिकारी, संयुक्त जिला चिकित्सालय, कासगंज के द्वारा दिनांक–26.01.2018 को 12:40 P.M. पर कोतवाली प्रभारी चौकी इंचार्ज को लिखा गया पत्र है, उसमें चिकित्साधिकारी ने यह उद्धृत किया है कि "एक व्यक्ति जिसका नाम पता अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन पुत्र सुशील गुप्ता निवासी साहबवाला पेच गली, कासगंज उम्र 20 वर्ष है को **मृत अवस्था में उसके परिजन द्वारा लाया गया** है।" यह पत्र पत्रावली में संलग्न है, उसे द्वारा लालेश वार्ड ब्वाय भेजे जाने का भी उल्लेख पत्र के निम्न भाग में है। पंचायतनामें प्रदर्श क–9 में, *उस व्यक्ति का नाम जिसने पहले थाने में शव मिलने की सूचना दी हो*– के आगे वार्ड ब्वाय लालेश, संयुक्त जिला चिकित्सालय, कासगंज का उल्लेख है।

159. इस पत्र से दो बातें प्रथम दृष्ट्या सामने आ रही हैं, पहली यह है कि 12:40

P.M. के पूर्व ही अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु हो गई थी तथा उसे मृत अवस्था में संयुक्त जिला चिकित्सालय लाया गया था, क्योंकि किसी प्राथमिक उपचार किये जाने के सम्बन्ध में कोई मेडिकल प्रपत्र संलग्न नहीं है। दूसरा यह कि मृत अवस्था में उसके परिजन द्वारा चन्दन गुप्ता को लाया गया था। शब्द, ' परिजन ' का तात्पर्य परिवारजनों से होता है तथा उसमें मित्रगण नहीं आते हैं, क्योंकि मित्र एवं परिजन दोनों अलग–अलग शब्द हैं, जिसका उपयोग अलग–अलग सन्दर्भों में किया जाता है। परिजन शब्द में परिवार के जन अर्थात् परिवार के सदस्य जो रक्त सम्बन्ध से जुड़े हुए हों, मात्र वे ही आते हैं। चन्दन को जब गोली लगी थी उस वक्त यदि विवेक मौके पर नहीं रहा होता तो उस पत्र में ' परिजन ' शब्द के स्थान पर अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख या मित्रों का उल्लेख किया गया होता। इसके अतिरिक्त एक अन्य तर्क जो बचाव पक्ष के द्वारा रखा गया है वह यह है कि पंचनामें पर परिवार के किसी सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है इससे यह मान लिया जाये कि विवेक गुप्ता या सुशील गुप्ता पंचनामे के समय भी उपस्थित नहीं थे। पंचनामे पर हस्ताक्षर का मतलब शव की प्रारम्भिक स्थिति के वर्णन से होती है तथा यदि परिवार के किसी सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं बनाये हैं तो यह नहीं माना जा सकता कि परिवार का कोई सदस्य पंचनामें के समय उपस्थित ही नहीं था। पंचनामें पर लालेश वार्ड ब्वाय का उल्लेख मात्र यह प्रदर्शित कर रहा है कि चिकित्साधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय, कासगंज द्वारा 12:40 P.M. पर जो पत्र पुलिस को भेजा गया था, वह लालेश वार्ड ब्वाय के द्वारा भेजा गया था। यहां पर दिनांक–26.01.2018 को 12:40 P.M. के आस–पास कासगंज शहर में घट रही घटनाओं पर ध्यान देना होगा, जिसके सम्बन्ध में अभियोजन तथा बचाव पक्ष के साक्षियों ने साक्ष्य दिया है कि चन्दन को गोली लगने के बाद शहर में साम्प्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, पत्थरबाजी हो रही थी तथा गोलियां भी चल रही थी। इस आधार पर यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि मृतक चन्दन के शव के बारे में पत्र लेकर चन्दन के परिवार वाले ही पुलिस के पास सूचना देने जायें।

160. यहीं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करने आये हुए चिकित्सक पी०डब्लू०–7 डॉ० अविनाश कुमार के बयान पर भी ध्यान देना होगा, जिन्होंने पेज–8 पर भी यह कहा है कि मृतक का घरवाला कोई मौजूद नहीं था तथा पेज –9 पर कहा है कि पोस्टमार्टम करते वक्त पुलिस के आलाधिकारी पोस्टमार्टम गृह परिसर में उपस्थित थे या नहीं मुझे ध्यान नहीं है। पेज –1 पर साक्षी ने कहा है कि चन्दन का शव आरक्षीगण द्वारा प्राप्त कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8 पर पोस्टमार्टम शुरू होने का समय शाम 05:00 बजे तथा पोस्टमार्टम कार्यवाही समाप्त होने का

समय शाम 06:00 बजे दिनांक–26.01.2018 अंकित है। अगर इस तथ्य को चिकित्सक के बयान के प्रकाश में देखा जाये तो यह निष्कर्ष निकल सकता है कि मृतक चन्दन के पोस्टमार्टम होने के समय 06:00 बजे तक घर के किसी सदस्य को या तो जानकारी नहीं थी या वह जानबूझकर पोस्टमार्टम हाउस पर नहीं पहुंचा, जबकि तिरंगा यात्रा हेतु चन्दन आठ बजे के आस–पास ही प्रभुपार्क के लिंए चला गया था तथा स्वयं बचाव पक्ष के साक्षियों का भी यह कथन है कि गोली लगने के बाद उसके घर वालों को खबर करने के लिए कहा गया। न्यायालय का विचार है कि मृतक चन्दन को गोली लगने के बाद उसका पंचायतनामा हो जाये एवं पोस्टमार्टम हो जाये एवं लगभग 10 घण्टे तक चन्दन के घर से निकलने के बाद भी घर वालों को उसकी कोई खबर न हो ऐसा बचाव पक्ष का भी कथन नहीं है, क्योंकि उसके साक्ष्य में आया है कि चंदन के घरवालों को कोई फोन कर दे। इसलिए पी०डब्लू०–7 डॉ० अविनाश का यह बयान कि पोस्टमार्टमस्थल पर मृतक के घर का कोई सदस्य नहीं था, का अर्थ मात्र यही निकाला जा सकता है कि डॉक्टर द्वारा स्वयं नहीं देखा गया तथा ऐसा नहीं है कि मृतक के घर का कोई उपस्थित न रहा हो, क्योंकि ऐसा उन्हीं मामलों मे होता है, जिनमें शव लावारिस अवस्था में बरामद होते हैं। इसी तर्क के प्रकाश में न्यायालय का मत है कि जिस प्रकार से पी०डब्लू० –4 विवेक गुप्ता ने घटनास्थल के सम्बन्ध में बयान दिये हैं कि किस प्रकार प्रभुपार्क से यात्रा शुरू हुई फिर बड्डूनगर गई, वहां पर रास्ते में आगे बढ़ने को लेकर मुस्लिम पक्ष के युवकों से विवाद हुआ जो साम्प्रदायिक झगड़े में बदल गया, जिससे उन्हें जान बचाकर अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर वापस आना पड़ा तथा बाद में भागते हुए तहसील गेट के पास पहुंचने पर दंगाईयों के भीड़ में शामिल सलीम के द्वारा अवैध तमंचे से चलाई गई गोली से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की मृत्यु कारित कर दी गई तत्पश्चात उसे लेकर थाने जाया गया जहां पुलिस की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल ले जाने पर चन्दन को मृत घोषित कर दिया गया। इस प्रकार का साक्ष्य पत्रावली में आए हुए अन्य मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सम्पुष्ट हो रहा है तथा घटनास्थल पर एवं तिरंगा यात्रा रैली में विवेक गुप्ता की उपस्थिति प्रमाणित हो रही है। स्वयं बचाव पक्ष की ओर से भी अभियुक्तगण मुनाजिर रफी व आमिर रफी के द्वारा जो लिखित बहस इस पत्रावली में प्रस्तुत की गई है उसके पृष्ठ–13,14 में यह कहा गया है कि इस मामले में वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ चन्दन (मृतक) एवं विवेक गुप्ता एवं सौरभ पाल, अनुकल्प चौहान, प्रतीक महेश्वरी, करन आदि हिन्दू वादी उग्र युवाओं द्वारा हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी उच्च अधिकारी या थाने की पूर्व अनुमति के गुण्डागर्दी के

बल पर तिरंगा यात्रा निकाल कर जानबूझकर मुस्लिम समाज के संकीर्ण इलाके में 100–200 मोटरसाइकिल लेकर उत्पात करने के आशय से पहुंचे थे। उनके इस स्वीकारोक्ति से भी यह तथ्य साबित हो रहा है कि उस तिरंगा रैली में साक्षी विवेक गुप्ता मौके पर था तथा बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि विवेक गुप्ता को बाद में गवाह बनाया गया है।

161. इस मामले में जो एफ०आई०आर० दर्ज हुई है वह शहर के साम्प्रदायिक माहौल एवं अभियुक्तगण द्वारा चलाई गई गोली से परिवार के नवयुवक की मृत्यु हो जाने के कारण शव के पोस्टमार्टम एवं पंचायतनामें के उपरान्त मृतक के पिता के द्वारा जो घटनास्थल पर नहीं थे, अभियुक्तगण में से कुछ के नाम की जानकारी करने के बाद देर रात में कराई गई है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब का पर्याप्त स्पष्टीकरण है। जहां तक शिनाख्त परेड न कराये जाने का बिन्दु है, इस सम्बन्ध में अनेक विधिक दृष्टान्त, जैसे कि **महावीर बनाम दिल्ली राज्य ए०आई०आर० 2008, एस०सी० 2343, मलखान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003(47) ए०सी०सी० 427 एस०सी०** आदि में यह उद्धृत है कि विवेचक द्वारा शिनाख्त परेड न कराया जाना अभियोजन के लिए घातक नहीं माना जा सकता और न ही इसे मौलिक साक्ष्य माना जाना चाहिए। इसी प्रकार विवेचकों द्वारा विवेचना में जो फर्द इत्यादि बनाये जाने में त्रुटियां की गई है, वह इस कोटि की नहीं है कि अभियोजन कथानक को विपरीत दिशा में प्रभावित कर सकें क्योंकि यह भी विधिक सिद्धान्त है कि विवेचक की त्रुटि का प्रभाव अभियोजन कार्यवाही पर नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार नक्शा–नजरी प्रदर्श क–1 के बारे में भी बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए यह प्रश्न उठाया गया है कि नक्शा–नजरी अनुश्रुत साक्षी पी०डब्लू०–2 सुशील गुप्ता की निशानदेही पर विवेचक द्वारा प्रदान किया गया है तथा मात्र अभियुक्त सलीम व मृतक की स्थिति को दिखाया गया है तथा अन्य किसी साक्षी को नहीं प्रदर्शित किया गया है। न्यायालय इस तथ्य से सहमत है परन्तु विधिक सिद्धान्त यह कहते हैं कि वही नक्शा –नजरी साक्ष्य में सुसंगत होता है जो विवेचक के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर तैयार किया गया हो तथा जिसने उन तथ्यों को स्वयं देखा एवं सुना हो। **राम गुलाम चौधरी बनाम बिहार राज्य** 2001(2) **जे०आई०सी० 986 एस०सी०** तथा **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लखन सिंह** 2014(86) **ए०सी०सी० 82** आदि विधिक दृष्टान्तों में यह कहा गया है कि यदि किसी आपराधिक मामले की विवेचना में, नक्शा–नजरी आई०ओ० द्वारा न भी बनाया गया हो परन्तु मामले में विश्वसनीय साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के सम्बन्ध में मामले को साबित कर दिया गया हो तो नक्शा–नजरी न साबित किया जाना या इस बिन्दु पर

आई०ओ० को न परीक्षित किया जाना भी अभियोजन के लिए घातक नहीं होता है।

162. अब न्यायालय को विचार करना है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक चंदन की मृत्यु क्या भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित हत्या शब्द के अन्तर्गत आती है। यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि मृतक चंदन को गोली उसके बायें कंधे के पास तिरछे ढ़ंग से मारी गई थी, जो उसके फेफड़े और पेट की झिल्लियों को चीरते हुए आगे जाकर पेट में ही फंस गयी थी तथा अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस विधि विरुद्ध जमाव में अभियुक्तगण अपने हाथों में असलहे एवं ईंट –पत्थर, लाठी–डण्डे लेकर साम्प्रदायिक संघर्ष में शामिल थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **चंदा बनाम उ०प्र० राज्य 2004 सी०आर०एल०जे० 2536 एस०सी०** में यह विधि प्रतिपादित की है कि जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य से किया जाता है, तब सामान्य रूप से वह ऐसा अपराध होगा, जिसके बारे में विधि–विरुद्ध जमाव करने वालों की जानकारी है, कि उसकी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किये जाने की संभावना है। तथापि, इससे विपरीत प्रस्थापना सच नहीं हो सकती। ऐसे मामले हो सकते हैं, जो दूसरे भाग में आते हों, किन्तु धारा 149 के प्रथम भाग में नहीं आते। धारा–149 के दोनों भागों में जो अंतर है, उसकी उपेक्षा या अधित्यजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले में यह अवधारित करने का मुद्दा उठ सकता है कि किया गया अपराध प्रथम भाग में आता है या वह ऐसा अपराध था, जिसके बारे में जमाव के सदस्यों को जानकारी थी कि सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कारित किये जाने की संभावना है, द्वितीय भाग में आते हैं। तथापि, ऐसे भी मामले हो सकते हैं जो प्रथम भाग में ही हो सकते हैं और जो सामान्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए किये गये हैं जो सदैव नहीं, तो आमतौर पर द्वितीय भाग में आते हैं, अर्थात् वे अपराध जिनमें पक्षकारों को यह जानकारी होती है कि सामान्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उनके किये जाने की संभावना है।

163. भारतीय दण्ड संहिता में आपराधिक मानववध एवं हत्या के बिन्दु पर अनेक विधिक दृष्टान्त हैं तथा उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि सदोष मानव वध जाति (genus) है और हत्या उसका प्रकार (specie) है। सभी हत्या मानववध है परन्तु प्रत्येक मानव वध हत्या नहीं होता। सामान्य तौर पर सदोष मानववध में हत्या के कुछ विशेष गुण होते हैं जो जहां सदोष मानव वध हत्या नहीं होती उससे भिन्न होते हैं। सामान्य कोटि के अपराध के अनुपात में दण्ड की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु भारतीय दण्ड संहिता सदोष मानव वध की तीन श्रेणियों को मान्यता देती है। प्रथम को प्रथम श्रेणी का मानववध कहते हैं। यह मानव वध का सामान्य प्रकार है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–300 में हत्या के रूप में परिभाषित है। दूसरा

मानववध द्वितीय श्रेणी (degree) है। यह धारा–304 भाग–1 प्रथम के अधीन दण्डनीय है। उसके पश्चात तृतीय श्रेणी का मानव वध होता है। यह न्यूनतम कोटि का सदोष मानव वध है और इसके लिए अन्य की अपेक्षा न्यूनतम दण्ड भी निर्धारित है।

164. इस प्रकरण में मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन को कारित चोटों का पुनः उल्लेख किया जा रहा है, जो निम्न है–

<u>मृत्यु पूर्व चोटें निम्नवत् है–</u>

1. लेसरेटेड इन्ट्रीउन्ड जिसका साईज 1x2 सेमी ओवल शेप इनवर्टेड डीप कैविटी आब्लिकली उपस्थित था। घाव के चारो तरफ ब्लेंकनिंग पायी गयी थी।
2. 2x1 सेमी० दाहिनी कोहनी पर एब्रेजन पाया गया।
3. थोरेसिक कैविटी में लगभग 2 लीटर ब्लड पाया गया।

165. इस प्रकार यह तथ्य सामने आ रहा है कि मृतक चन्दन की मृत्यु अभियुक्त सलीम द्वारा चलाये गये एकमात्र फायर आर्म बुलेट से हो गई थी। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का इस बिन्दु पर तर्क है कि यदि थोड़ी देर के लिए यह मान भी लिया जाये कि मृतक की मृत्यु अभियुक्तगण में से किसी के चलायी हुई गोली से हुई तब भी उक्त अपराध धारा–302 भा०दं०सं० में न आकर धारा–304 भा०दं०सं० में आ रहा है, क्योंकि एकमात्र चोट से मृतक की मृत्यु हुई है। न्यायालय का यह विचार है कि इस बिन्दु पर विधि स्थापित हो चुकी है कि ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि यदि एकमात्र चोट से मृतक की मृत्यु हुई हो तो वह हत्या की परिभाषा में नहीं आयेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक दृष्टान्त **पुलिचेरिया नागराजा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य 2006 सी०आर०एल०जे०, 3899** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि प्रतिपादित की है कि यह तर्क कि जब कभी भी मृत्यु केवल एक प्रहार के कारण होगी, अपराध धारा–302 भा०दं०सं० के अधीन नहीं बल्कि धारा –304 भा०दं०सं० के अधीन माना जायेगा, मान्य नहीं है। माननीय न्यायालय के शब्दों में–

> "17.2) The following legal position regarding single blow injury, was summed up in Jagrup Singh v. The State of Haryana (AIR 1981 SC 1552) thus :
>
> "There is no justification for the assertion that the giving of a solitary blow on a vital part of the body resulting the death must always necessarily reduce the offence to culpable homicide not amounting to murder punishable under section 304, Part II of the Code. If a man deliberately strikes another on the head with a heavy log of wood or an iron rod or even a lathi so as to cause a

fracture of the skull, he must, in the absence of any circumstances negativing the presumption, be deemed to have intended to cause the death of the victim or such bodily injury as is sufficient to cause death. The whole thing depends upon the intention to cause death, and the case may be covered by either clause Firstly or clause Thirdly. The nature of intention must be gathered from the kind of weapon used, the part of the body hit, the amount of force employed and the circumstances attendant upon the death."

18. Therefore, the court should proceed to decide the pivotal question of intention, with care and caution, as that will decide whether the case falls under Section 302 or 304 Part I or 304 Part II. Many petty or insignificant matters plucking of a fruit, straying of a cattle, quarrel of children, utterance of a rude word or even an objectionable glance, may lead to altercations and group clashes culminating in deaths. Usual motives like revenge, greed, jealousy or suspicion may be totally absent in such cases. There may be no intention. There may be no pre-meditation. In fact, there may not even be criminality. At the other end of the spectrum, there may be cases of murder where the accused attempts to avoid the penalty for murder by attempting to put forth a case that there was no intention to cause death. It is for the courts to ensure that the cases of murder punishable under section 302, are not converted into offences punishable under section 304 Part I/II, or cases of culpable homicide not amounting to murder, are treated as murder punishable under section 302. The intention to cause death can be gathered generally from a combination of a few or several of the following, among other, circumstances : (i) nature of the weapon used; (ii) whether the weapon was carried by the accused or was picked up from the spot;

(iii) whether the blow is aimed at a vital part of the body; (iv) the amount of force employed in causing injury; (v) whether the act was in the course of sudden quarrel or sudden fight or free for all fight; (vi) whether the incident occurs by chance or whether there was any pre-meditation; (vii) whether there was any prior enmity or whether the deceased was a stranger; (viii) whether there was any grave and sudden provocation, and if so, the cause for such provocation; (ix) whether it was in the heat of passion; (x) whether the person inflicting the injury has taken undue advantage or has acted in a cruel and unusual manner; (xi) whether the accused dealt a single blow or several blows. The above list of circumstances is, of course, not exhaustive and there may be several other special circumstances with reference to individual cases which may throw light on the question of intention. Be that as it may. "

166. प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह तथ्य सामने आ रहा है कि जब मृतक चन्दन अपने साथियों के साथ 26 जनवरी 2018 को गाँधी मैदान से मोटर साइकिल पर अपने दोस्तों के साथ सवार होकर तिरंगा

यात्रा निकालते हुए बड्डूनगर पहुँचा तब वहां पर किसी स्कूल के सामने गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा था और सड़क पर ही कुर्सियों को रखा गया था, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था तथा वहां से तिरंगा यात्रा को आगे जाने देने के लिए रास्ते से कुर्सियों को हटाया जाना आवश्यक था, जैसा कहने पर तू–तू, मैं–मैं होते हुए विवाद हो गया एवं अचानक छतों से पथराव होने लगा, जिससे तिरंगा यात्रा में शामिल सदस्यों को अपने कुछ मोटरसाइकिलों को छोड़ते हुए भी वहां से जान बचाकर भागने के लिए वापस लौटना पड़ा तथा उक्त तिरंगा यात्रा के सदस्य जब जी०जी०आई०सी० के पास पहुँचे तब तक बीच–बीच में भी छतों से पत्थरबाजी हो रही थी एवं अभियुक्त सलीम आदि के साथ आए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह कहते हुए कि ये साले हिन्दू यहां भी आ गए, ये लोग रोज–रोज बड़ी–बड़ी रैली निकालते रहते हैं। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद व हिन्दुस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाते रहते हैं। आज इन लोगों से निपट लिया जाए और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे और तिरंगा रैली में शामिल लोगों के हाथ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा छीन–छीन कर फेंक दिए और एलान कर दिया कि यहां से निकलना है तो पाकिस्तान जिन्दाबाद व हिन्दुस्तान मुर्दाबाद बोलना होगा और फिर बोले यह हरामजादे हिन्दू है, ये नहीं मानेंगे, आज सालों को जिन्दा नहीं जाने देना है। आज मौका है, चूक मत जाना। "दो सालों को निशाना साध के गोली" और फिर सलीम ने अपने असलहे से चन्दन को गोली मार दी। गोली लगते ही चन्दन गिर गया फिर ये लोग चिल्लाए, हो गया काम और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग व पथराव करने लगे। इससे यह तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि वहां उपस्थित विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा साम्प्रदायिक दंगा सोच–समझकर किया गया तथा तिरंगा यात्रा को लेकर किया गया, जिसमें हिन्दू–मुसलमान जैसे किसी धार्मिक प्रतीक जैसे मन्दिर, मस्जिद या कोई धार्मिक जुलूस वाली बात नहीं थी। अभियुक्तगण के द्वारा जो विधि–विरुद्ध जमाव बनाते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अपने हाथों में ईंट–पत्थर, लाठी–डन्डे व अवैध तमंचे आदि लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हिन्दू धर्म को मानने वाले लोगों की मृत्यु कारित करने के आशय से हमले किये गये। ऐसा उनके द्वारा हमले के पूर्व ललकारने के आशय से प्रयोग किये गये शब्दों से पुष्ट हो रहा है। दौरान बहस यह भी तर्क उठाया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य घातक हथियारों से लैस नहीं थे तथा पत्थर एवं लाठी–डन्डों को हत्या कारित करने वाला हथियार नहीं माना जा सकता, अतः सभी सदस्यों के आपराधिक दायित्व एक समान नहीं हो सकते। न्यायालय द्वारा इस तर्क पर गम्भीरता से विचार किया गया है तथा विधि–विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य के आपराधिक दायित्व को ठीक से समझने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा–

149 के द्वितीय भाग की ओर ध्यान देना होगा, जो प्रावधानित करती है कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि अपराध ऐसा था जिसे सदस्यगण जानते थे कि उसके कारित होने की सम्भावना है तो प्रत्येक सदस्य का आपराधिक दायित्व एक समान होगा। वर्तमान मामले में यदि विधि –विरुद्ध जमाव के लगभग 30–35 व्यक्तियों का समूह जिनमें से सात सदस्यों के हाथों में अवैध तमंचे हों तथा शेष के पास लाठी–डन्डे एवं पत्थर हों और वे सभी दूसरे धार्मिक समुदाय के सदस्यों की जान लेने के आशय के शब्दों से ललकार रहे हों तो यदि इस विधि–विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा दूसरे धार्मिक समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो इस विधि विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का समान आपराधिक दायित्व होगा।

167. इस प्रकरण में एफ०आई०आर० भी समय से दर्ज कराई गई है। यह भी पाया गया है कि दोनों पक्षों में पूर्व की कोई रंजिश नहीं है , जिससे इस तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाये कि रंजिशवश, हत्या में शामिल गैर एवं निर्दोष लोगों को नामित किया गया है। घटना के चश्मदीद साक्षियों के द्वारा अपने मुख्य परीक्षा एवं बयान धारा–161 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अनेक मुस्लिम व्यक्तियों का उल्लेख करने के बाद भी न्यायालय में उनकी संख्या 30–31 रखी गई है, जो साबित कर रहा है कि उनके द्वारा उन्हीं व्यक्तियों का नाम लिया गया है, जो घटना में वास्तव में शामिल रहे थे। यदि ऐसा नहीं होता तो न्यायालय में उनके द्वारा सैकड़ों व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता था, जिससे उनकी सद्भावना एवं सत्यवादिता प्रकट हो रही है।

168. उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, सलमान, राहत, मोहसिन अली एवं बबलू के द्वारा अपने हाथों में अवैध तमंचा लेकर फायरिंग करते हुए अन्य अभियुक्तगण जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शवाब, आसिफ जिमवाला, साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, नीशू, वासिफ, इमरान पुत्र इरफान, शमशाद, जफर, साकिर पुत्र इस्माइल, खालिद परवेज, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, मुनाजिर रफी व आमिर रफी को साथ में लेकर उनके द्वारा पत्थरबाजी, लाठी–डण्डों आदि से मारपीट करते हुए विधि विरुद्ध जमाव बनाकर तिरंगा यात्रा में शामिल एवं अन्य हिन्दू समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध साम्प्रदायिक हिंसा कारित की गई तथा वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक उर्फ चन्दन की मृत्यु कारित की गई, अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे स्थापित कर दिया है। इस प्रकार **प्रश्न संख्या–4** जो इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है, **सकारात्मक रूप से निर्णीत** किया जाता है।

169. अभियुक्तगण नसीरुद्दीन व असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7– अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13– मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22– साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी को अंतर्गत धारा– 147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा–2 राष्ट्रध्वज अपमान निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध करार देने के साथ–साथ अभियुक्तगण वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू व सलमान को आयुध अधिनियम की धारा–3/25 व अभियुक्त सलीम को आयुध अधिनियम की धारा–25/27 के अन्तर्गत भी दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्धगण जमानत पर हैं, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्धगण को सुनाई जाने वाली सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जायेगा। अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दोषसिद्धगण का आपराधिक इतिहास यदि पूर्व का कोई हो, तो उसे न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक–03.01.2025 को पेश हो।

दिनांक–02.01.2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–02.01.2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>**दिनांक–03.01.2025**</u>

170. पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्धगण 1–वसीम, 2– नसीम, 3– जाहिद उर्फ जग्गा, 4– आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, 5– असलम कुरैशी, 6–अकरम, 7–तौफीक, 8–खिल्लन, 9–शवाब, 10–राहत, 11–सलमान, 12–मोहसिन, 13–आसिफ जिमवाला, 14– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 15–बबलू, 16– नीशू, 17– वासिफ, 18–इमरान पुत्र इरफान, 19–शमशाद, 20–जफर, 21–साकिर पुत्र इस्माइल, 22–खालिद परवेज, 23–फैजान, 24–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 25–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 26–मुनाजिर रफी, व 27–आमिर रफी जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा दोषसिद्ध सलीम प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। राज्य की ओर से लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित एवं विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार त्रिपाठी ने सजा के बिन्दु पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि दोषसिद्धगण का पूर्व दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, हालांकि इनके विरुद्ध जनपद कासगंज में इसी घटना से सम्बन्धित मु०अ०सं०–59/2018 लम्बित है, कुछ के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अन्तर्गत भी मुकदमें लम्बित हैं। इस मामले के अलावा अन्य मामलों में उल्लेखनीय रूप से दोषसिद्ध राहत पुत्र मो० जफर के विरुद्ध मु०अ०सं० –118/2017 धारा–457,363,366 भा०दं०वि०, मु०अ०सं०–824/2016 धारा–60 आबकारी अधिनियम, मु०अ०सं०–400/2014 धारा–3 यू०पी० गुण्डा अधिनियम, मु०अ०सं०–311/2014 धारा–3/25 आयुध अधिनियम तथा मु०अ०सं०–144/2014 धारा–342,506 भा०दं०वि० थाना कोतवाली कासगंज, जनपद–कासगंज होने का भी तथ्य रखा गया है। इसी प्रकार अभियुक्त मोहसिन पुत्र बाबू के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा मु०अ०सं०–67/2018 धारा–436,427 भा०दं०वि० व मु०अ०सं०–70/2018 धारा–147,148,149,436,427 भा०दं०वि० व मु०अ०सं०–196/2018 धारा–147,323,504,406 भा०दं०वि० थाना कोतवाली कासगंज का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त आरिफ के सम्बन्ध में मु०अ०सं० –223/2018 धारा–3/25 आयुध अधिनियम का भी आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। दोषसिद्ध मुनाजिर रफी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या –596/2024 अंतर्गत धारा–140(8),103(8),61(2) तथा 238 व 3(5) बी०एन०एस०, थाना– कासगंज, जनपद– कासगंज लम्बित है, जिसमें उस पर स्वयं अधिवक्ता होते हुए भी एक अन्य महिला अधिवक्ता की हत्या का आरोप है। अभियोजन द्वारा इस मामले में मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की हत्या के विचारण के दौरान जमानत पर छूटे दोषसिद्ध

मुनाजिर रफी द्वारा एक दूसरी हत्या कर दिये जाने के कारण मुनाजिर रफी को मृत्यु दण्ड देने के लिए न्यायालय से विशेष अनुरोध किया गया है।

171. विद्वान लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार त्रिपाठी एवं श्री ललित किशोर दीक्षित ने यह भी कथन किया है कि भारतवर्ष में साम्प्रदायिक हिंसा का एक लम्बा इतिहास रहा है जो पूर्व औपनिवेशिक तथा औपनिवेशिक काल से लगातार चला आ रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के युग में भी साम्प्रदायिक हिंसा, भारत के लिए समस्या बनी हुई है। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह, 1946 का नोआखली दंगा, 1947 का विभाजन दंगा, 1984 में इन्दिरा गाँधी की हत्या के पश्चात सिख विरोधी दंगा, 1992 का विवादास्पद ढ़ांचे के विध्वंस का दंगा, 2002 में गोधरा कांड के फलस्वरूप उत्पन्न दंगा, 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिन्दू–मुस्लिम दंगा, 2020 में सी०ए०ए० कानून के विरोध में दिल्ली दंगा तथा हाल ही में हरियाणा के नूंह में फैली साम्प्रदायिक हिंसा आदि इस तथ्य के कुछ उदाहरण हैं कि हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे मात्र एक शहर तक सीमित नहीं हैं वरन् पूरे भारतवर्ष में ऐसे अपराध कारित होते रहे हैं, जिनसे राष्ट्रीय एकता एवं सार्वजनिक सम्पत्ति तथा व्यापक जानमाल की क्षति होती रही है। भारतवर्ष विभिन्न धर्म एवं संस्कृतियों का देश है, जिसमें इस्लाम के मतावलंबी भी हैं। परन्तु जिस जिले या क्षेत्र में इनकी जनसंख्या पचास प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो जा रही है, अर्थात् जहां ये बहुमत में हो जा रहे हैं, वहां वह क्षेत्र कट्टर इस्लामवाद के प्रभाव में आ जा रहा है तथा अन्य धर्मों के मानने वालों विशेषकर हिन्दुओं के धार्मिक त्यौहारों, शोभा यात्राओं को निशाना बनाकर इनके द्वारा पथराव एवं हिंसा कारित करना आम बात हो गई है, जो भारतवर्ष के प्रत्येक प्रदेश में आयोजित होने वाले हिन्दुओं के ऐसे प्रत्येक पर्वों पर की जाने लगी है, फिर चाहे वह गणेश मूर्ति विसर्जन हो या दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन अथवा रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा हो या सावन में आयोजित कांवड़ यात्रा हो या रंगों का होली का त्यौहार ही क्यों न हो। यह पथराव व हिंसा सुनियोजित तरीके से की जाती है क्योंकि मुस्लिम बहुल इन क्षेत्रों में पथराव करने के लिए छतों पर पहले से ही योजनाबद्ध ढ़ंग से पत्थर एवं एसिड की बोतलें आदि एकत्रित कर ली जाती हैं एवं तमंचा/कारतूस की व्यवस्था भी कर ली जाती है। इनके घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हिन्दुओं के देवी–देवताओं की मूर्तियों की शोभा यात्रा निकालने, लाउडस्पीकर पर भजन या संगीत या डीजे बजाने या होली के रंग–गुलाल वाले त्यौहार मनाने जैसी घटनाओं पर छतों से पथराव करके दंगे शुरू कर दिये जाते हैं। हद तो तब हो जाती है, जब इनके सघन आबादी वाले क्षेत्रों से स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस आदि राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर वंदे मातरम्,

भारत माता की जय... आदि राष्ट्रवादी नारे लगाने पर भी मुस्लिम समुदाय उत्तेजित होकर छतों से पथराव व फायरिंग करके हिन्दुओं के विरुद्ध साम्प्रदायिक दंगे शुरू कर देता है। इन साम्प्रदायिक दंगों को पूर्व नियोजित इस आधार पर माना जाना चाहिए क्योंकि इन दंगों की शुरूआत बहुत छोटी घटनाओं को बहाना बनाकर या बहाना खोजकर की जाती है, भले ही इन बहानों से इनका या भारत देश का कोई सरोकार न हो। कोई सुअर बहककर मुसलमानों के किसी मुहल्ले में जा निकले तो दंगा, मस्जिद के पास हिन्दुओं का संगीत बजे तो दंगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम स्वरूप को लेकर दंगा, हिन्दू और मुस्लिम धर्म के आपराधिक तत्व किसी व्यक्तिगत झगड़े को लेकर लड़ पड़ें तो दंगा, हिन्दुओं की महिलाओं, लड़कियों को मुस्लिम बहुल आबादी में छेड़ना और प्रतिरोध करने पर दंगा करना आम बात हो गयी है तथा इन बातों पर शुरू हुए दंगों के नाम पर हिन्दुओं पर अपने छतों से पत्थरबाजी करना, पेट्रोल बम फेंकना व अचानक से तमंचों को इकट्ठा करके कई राउंड फायरिंग करना व उससे हिन्दुओं की जान ले लेना आदि तथ्य यह साबित करते हैं कि दंगे की तैयारी सुनियोजित तरीके से कई दिन पूर्व ही कर ली जाती है। वर्तमान मामला ऐसे ही जनपद कासगंज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर घटित हुए सुनियोजित तरीके से किये गये साम्प्रदायिक दंगे का उदाहरण है, जो तिरंगा यात्रा के दौरान हिन्दू युवकों द्वारा वंदे मातरम्, भारत माता की जय, हिन्दुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि लगाये गये नारों के बाद मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के उत्तेजित होने के कारण 26 जनवरी, 2018 को भड़क उठा था, जिसमें मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की मृत्यु कारित हो गई थी तथा शहर में दो–तीन दिनों तक अशान्ति एवं उपद्रव होते रहे थे।

172. दोषसिद्धगण द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ते हुए मात्र वन्दे मातरम् एवं भारत माता की जय तथा पाकिस्तान मुर्दाबाद बोले जाने पर तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव करते हुए लाठी–डण्डों से मारपीट की गई तथा फायरिंग की गई एवं शहर में बृहद् स्तर पर दंगे फैलाये गये, जिससे जनता भयभीत हो गई, स्कूल, कॉलेज बन्द हो गये एवं दुकानों में आगजनी की घटनाएं कारित की गई, विधि–विरुद्ध जमाव बनाकर सामान्य उद्देश्य के अधीन फायरिंग करके अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतः दोषसिद्धगण मृत्युदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य हैं।

173. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तगण श्री प्रान्शू अग्रवाल, श्री जियाउल जिलानी, श्री नजमुस्साकिब खां, श्री चिन्मय प्रकाश पाण्डेय एवं श्री अजीजुद्दीन के द्वारा सजा के बिन्दु पर बहस करते हुए कहा गया है कि दोषसिद्धगण के द्वारा सजा

का निर्धारण करते समय उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए दया करते हुए न्यायालय कम से कम सजा दे क्योंकि दोनों ही पक्षों के दायित्व के कारण कासगंज में दंगे भड़के थे। यह भी तर्क रखा गया कि अपराध संख्या–59/2018 का विचारण जनपद कासगंज में लम्बित है, जिसमें वर्तमान दोषसिद्धगण के साथ साथ हिन्दू पक्ष के भी कुछ अभियुक्त विचारण का सामना कर रहे हैं, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित हो रहा है कि साम्प्रदायिक हिंसा की घटना में दोनों पक्ष शामिल रहे हैं। श्री प्रान्शू अग्रवाल द्वारा बताया गया कि दोषसिद्ध सलीम अत्यन्त बीमार है उसे किडनी की बीमारी के कारण डायलिसिस पर रहना पड़ता है तथा अलजाइमर्स की बीमारी है। उसके तीन बच्चे हैं, जो अध्ययनरत् हैं, अतः कम से कम सजा से दण्डित करने की कृपा करें।

174. मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुन लिया है तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन कर लिया है।

175. पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य सामने आ रहा है कि बड्डूनगर चौराहे पर दिनांक–26.01.2018 को समय लगभग 10:00 बजे प्रातः तिरंगा यात्रा पहुंची थी तब उसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया था। इस पर तिरंगा यात्रा में शामिल सदस्यों के द्वारा वन्दे मातरम् , भारत माता की जय व पाकिस्तान मुर्दाबाद आदि नारे लगाये, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग उत्तेजित हो गये। वहां उपस्थित मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा पर ईंट–पत्थरों व लाठी–डण्डों आदि से हमला बोल दिया गया, जिससे तिरंगा यात्रा में शामिल सदस्यों को अपनी मोटरसाइकिलों को छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ गया तथा आगे जाने पर भी विभिन्न मार्गों पर मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में से इनके ऊपर पथराव हुआ तथा फायरिंग भी हुई। जिनसे वादी मुकदमा के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु कारित हो गई। प्रश्न संख्या–4 के निस्तारण में यह देखा जा चुका है कि अभियुक्तगण सलीम, वसीम, नसीम, सलमान, राहत, मोहसिन अली एवं बबलू के पास तमंचे भी थे, जिसके द्वारा साम्प्रदायिक संघर्ष के दौरान फायरिंग भी की गई है तथा सलीम के तमंचे से हुई फायरिंग में अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु भी हो गई थी।

176. जहां तक सभी दोषसिद्धगण को समुचित धाराओं में उपयुक्त दण्ड से दण्डित करने का बिन्दु है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह 2003 सी०आर०एल०जे० 4339 एस०सी०** के मामले में यह निर्धारित किया है कि अपर्याप्त दण्डादेश देकर अनुचित रूप से पक्षपात करने से न्यायिक पद्धित में

जनता का विश्वास कम होगा, और ऐसी गंभीर स्थिति में विधि और समाज में जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अपराध की प्रकृति और जिस रीति में वह कारित किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए उचित दण्डादेश पारित करे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी अपराध में न्यायोचित और समुचित दण्डादेश विनिश्चित किया जाना चाहिए। जिन उत्तेजक और शमनकारी परिस्थितियों और तथ्यों में अपराध किया गया है, न्यायालय द्वारा उनका पूरी तरह मूल्यांकन करके निष्पक्ष रूप से दण्डादेश करना चाहिये। संतुलन का यह कार्य निश्चित रूप से कठिन कार्य है। किसी निश्चित सूत्र के अभाव में जिसके आधार पर किसी अपराध की गंभीरता की विभिन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जा सके और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर विवेकानुसार निर्णय के जरिये ही ऐसे निर्णय को सम्यक ढ़ंग से प्रभेदित किया जा सकता है।

177. माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि किसी अपराध के लिए अधिनिर्णीत किया जाने वाला दण्ड असंगत नहीं होना चाहिए, जबकि उसे अपराध कारित किये जाने से बरती गई क्रूरता और निर्दयता के अनुरूप और उससे सुसंगत होना चाहिए, जिसकी लोक भावना अपेक्षा करती है और अपराधी के विरुद्ध समाज की गुहार के अनुरूप होना चाहिये। यदि अत्यन्त जघन्य हत्या के अपराध के लिए जो बिना प्रकोपन के अत्यन्त निर्दयतापूर्वक किया गया हो, अत्यधिक निवारक दण्ड नहीं दिया जाता तो निवारक दण्ड के मामले का सन्दर्भ ही समाप्त हो जायेगा।

178. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एलिस्टर एन्थोनी परेरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 1 Cr.L.J. 1160 SC** के वाद में यह अभिधारित किया गया कि सजा का निर्णय करना (sentencing) अपराध के मामले में एक महत्वपूर्ण कार्य है। उचित, यथेष्ट, सही और समानुपातिक (proportionate) दण्ड अपराध की प्रकृति और गम्भीरता और जिस तरीके (manner) से अपराध किया गया उसके अनुसार दण्ड देना आपराधिक विधि का प्रमुख उद्देश्य है। अपराध के सिद्ध होने पर किसी अभियुक्त को दण्ड देने की मात्रा का कोई कठोर और कड़ा (strait Jacket) नियम (formula) नहीं है। न्यायालयों ने कुछ सिद्धान्तों को विकसित (evolve) किया है। दण्ड देने की पालिसी का दोहरा उद्देश्य है निवारण (deterrence) और शोधन या शुद्धि (correction)। कौन सा और कितना दण्ड न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करेगा यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और न्यायालय को अपराध की गम्भीरता, अपराध का हेतु, दण्ड की प्रकृति और अन्य सभी सम्बन्धित

(attendant) परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी अपराध को दण्डित करने के लिए समानुपातिकता का सिद्धान्त आपराधिक विधिशास्त्र में भलीभांति संस्थापित (entrenched) है। जहां तक विधि का प्रश्न है अपराधकर्ता को दण्डित करने में अपराध और दण्ड के मध्य समानुपात (proportion) दण्ड की मात्रा का निर्णय करने में सबसे प्रासंगिक (relevant) प्रभाव (influence) रखता है। उचित दण्ड का निर्णय करने के लिए न्यायालय को सभी पहलुओं (aspects) पर विचार करना चाहिये सभी पहलुओं में सामाजिक हित (social interest) और समाज की जागरूकता (consciousness) सभी शामिल हैं।

179. उपरोक्त विधिक दृष्टान्तों के प्रकाश में इस न्यायालय का विचार है कि दोषसिद्धगण एक विधि विरुद्ध जमाव बनाकर दिनांक –26.01.2018 को हिन्दू सम्प्रदाय को मानने वालों के विरुद्ध साम्प्रदायिक हिंसा कारित कर रहे थे। इस विधि विरुद्ध जमाव में सात दोषसिद्धगण के पास तमंचे एवं कारतूसें भी थीं तथा शेष पत्थरबाजी एवं लाठी–डण्डों से साम्प्रदायिक हिंसा फैला रहे थे, जिससे इस विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा मृतक चन्दन की हत्या कारित की गयी।

180. जैसा कि निर्णय के अग्रभाग में उल्लेख किया जा चुका है, साम्प्रदायिकता का तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध, व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। साम्प्रदायिकता भारत के राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि यह विचारधारा अन्य समुदायों के विरुद्ध अपने समुदाय की आवश्यक एकता पर बल देती है। इस प्रकार साम्प्रदायिकता रूढ़िवादी सिद्धान्तों में विश्वास असहिष्णुता तथा अन्य धर्मों के प्रति नफरत को भी बढ़ावा देती है, जो कि समाज को विभाजन की ओर अग्रसर करता है। साम्प्रदायिकता देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्ष देश के ही नागरिक होते हैं तथा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति नफरत का भाव होने के कारण उनमें भय, शंका एवं खतरे का भाव उत्पन्न होता है तथा इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक–दूसरे के प्रति नफरत, क्रोध व भय का माहौल लगातार बना रहता है। यह भी देखा गया है कि साम्प्रदायिक हिंसा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा या चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि साम्प्रदायिक झगड़ों में बाहरी तत्व या विदेशी शक्तियां भी हस्तक्षेप करती रहती हैं एवं यह भी पाया गया है कि साम्प्रदायिक हिंसा तथा हिंसा के अन्य रूपों जैसे आतंकवाद, विद्रोह, उग्रवाद आदि के बीच सांठगांठ या सम्बन्ध होते

हैं तथा हथियारों एवं विस्फोटकों का भी दुरुपयोग होता है। साम्प्रदायिक हिंसा के सबसे विनाशकारी परिणामों में से मानव जीवन की हानि प्रमुख है, जैसाकि इस मामले में मृतक अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन की मृत्यु मुस्लिम चरमपंथियों द्वारा कारित की गई। ऐसी घटनाओं से व्यक्ति, परिवार और सम्पूर्ण समुदाय के मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है तथा ऐसी हिंसाएँ, ऐसा घाव छोड़ जाती हैं जो पीढ़ियों तक बने रहते हैं। भारतीय समाज में बार–बार होने वाले ऐसे साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका अदा करनी होगी, साथ ही साथ विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के साथ–साथ विभिन्न धर्मों के प्रमुखों / समाजशास्त्रियों को भी साम्प्रदायिक दंगों को देश की प्रगति के लिए गम्भीर अपराध मानकर प्राथमिकता के आधार पर इसके निवारण हेतु कठोर कदम उठाना होगा। भारतीय संसद ने इसी भावना के अन्तर्गत अभी हाल ही में भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर प्रतिस्थापित भारतीय न्याय संहिता में पूर्व में हत्या के अपराध के दण्ड के लिए प्रावधानित धारा–302 के स्थान पर नई संहिता में धारा–103 लाते हुए साम्प्रदायिक हिंसा आदि के आधार पर कारित की गई मृत्यु के लिए कम से कम आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड का प्रावधान किया है। इसके अनुसार,

"103. हत्या के लिए दण्ड–(1) जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(2) जब पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूलवंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा व्यैक्तिक विश्वास या किसी अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित करते हैं तो ऐसे समूह का प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"

181. इस प्रकार भारतीय न्याय संहिता धारा–103(2) साम्प्रदायिक हिंसा के फलस्वरूप कारित की गई मृत्यु के लिए कम से कम आजीवन कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान करती है। उपरोक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा–103(2) भी इतना संकेत अवश्य करती है कि भारतीय संसद, साम्प्रदायिक हिंसा एवं दंगों के अपराध के समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, तभी उसने जनतंत्र के विचारों का सम्मान करते हुए ऐसी कठोर सजा देने का कानून पारित किया है।

182. उपरोक्त विचार–विमर्श के पृष्ठभूमि में इस न्यायालय का विचार है कि कासगंज के साम्प्रदायिक दंगे के मामले में इसे मात्र एक छुटपुट एवं अचानक हुई घटना माना जाना उचित नहीं होगा तथा पूर्व नियोजित घटना मानते हुए तथा

स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाओं के अपराधियों एवं दंगाईयों को कठोर संदेश देने के आशय से इस अपराध के दोषसिद्धगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा। दोषसिद्धगण द्वारा मृतक अभिषेक उर्फ चन्दन की सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हत्या कारित की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक दृष्टान्त माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एस०सी०सी० 470 तथा बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के विधिक दृष्टान्तों में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि जहां पर हत्या अधिक क्रूर तरीके से कारित न की गई हो, वहां पर मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए तथा मृत्युदण्ड का दण्डादेश रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेज में ही दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार शेख अब्दुल हमीद तथा अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1998) 3 एस०सी०सी० 188 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है कि यदि दोषसिद्ध को मृत्युदण्ड दिया जा रहा हो तो उसके विशेष कारणों का उल्लेख निर्णय में करना चाहिए। वर्तमान मामले में मृतक अभिषेक कुमार गुप्ता उर्फ चन्दन की हत्या जिस प्रकार दोषसिद्धगण द्वारा की गयी है, उसकी पृष्ठभूमि में आये हुए समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन तथा उनके विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों तथा दोषसिद्धगण की पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस मामले में दोषसिद्धगण को मृत्युदण्ड के दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। जहांतक दोषसिद्ध मुनाजिर रफी को हत्या के अपराध में जमानत पर छूटने के दौरान दूसरी हत्या किये जाने के कारण अवश्य मृत्युदण्ड दिये जाने का प्रश्न है, इस न्यायालय का मत है कि धारा–303 भारतीय दण्ड संहिता आजीवन कारावास सिद्धदोष द्वारा हत्या किये जाने पर मृत्युदण्ड का प्रावधान करती है परन्तु मिठ्ठू बनाम पंजाब राज्य 1983 सी०आर०एल०जे० 811 एस०सी० के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा–303 भारतीय दण्ड संहिता को संविधान के अनुच्छेद–14 व 21 का उल्लंघन करने के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया है, अतः उसे भी मृत्युदण्ड की सजा देना उपयुक्त नही होगा।

183. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री जियाउल जिलानी के द्वारा अपनी बहस के दौरान मुस्लिमों की सामाजिक प्रास्थिति के सम्बन्ध में न्यायालय के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह रखी गई तथा कहा गया कि मुसलमानों के द्वारा भारत विभाजन के बाद स्वेच्छया पाकिस्तान जाने का विकल्प अस्वीकार करके भारतवर्ष में रहना स्वीकार किया गया तथा संवैधानिक विधियों का पालन करते हुए अपना नागरिक कर्तव्य निभाया जाता है फिर भी समय–समय पर मुस्लिमों के देशभक्ति एवं निष्ठा पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाकर प्रश्न खड़े किये जाते रहे हैं। अतः न्यायालय इस सम्बन्ध में भी कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित करे, जिससे इस तरह की

विचारधारा पर अंकुश लगाया जा सके।

184. वहीं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित ने कहा है कि हिन्दुओं की ऐसी विचारधारा पर कोई अंकुश, स्वयं मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा आत्मचिन्तन एवं आत्ममंथन करके लगाया जा सकता है। मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रमुख एवं प्रबुद्ध वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों , समाजशास्त्रियों आदि सभी लोगों को इस पर विचार करना होगा कि हिन्दुओं के धार्मिक जुलूसों विशेषकर राम नवमी, दुर्गापूजा आदि पर क्यों मुस्लिम समाज के उपद्रवियों द्वारा पथराव किये जाते हैं।

185. उभय पक्षों को इस बिन्दु पर सुनने के उपरान्त इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि यह न्यायालय जनपद कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दोषसिद्धगण सलीम आदि द्वारा किये गये साम्प्रदायिक दंगे, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की हत्या कारित हो गई थी, के मामले में अपना ध्यान केन्द्रित करके विचारण कर रही है, जिससे उस मामले में शामिल दोषियों को दण्डित किया जा सके। यह न्यायालय हिन्दुओं के विभिन्न जुलूसों पर हुए पथराव आदि या अन्य साम्प्रदायिक दंगो पर विचारण नहीं कर रही है तथा इस न्यायालय से समाज सुधारक होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि साम्प्रदायिक दंगा या हिंसा, ऐसी समस्या नहीं है, जिसका समाधान मात्र न्यायपालिका कर सके। इसके लिए न्यायपालिका के साथ–साथ कार्यपालिका, विधायिका, प्रेस, धार्मिक गुरुओं तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना होगा कि मात्र उसी का ईश्वर सर्वश्रेष्ठ नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार अपनी उपासना पद्धति चुनने का अधिकार है एवं प्रत्येक व्यक्ति का ईश्वर उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को हर दूसरे धर्म को मानने वाले की आस्था का भी सम्मान करना होगा। साथ ही साथ, समाज के प्रत्येक गतिविधि को साम्प्रदायिक नजरिये से देखने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगानी होगी। इसी मामले में बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जियाउल जिलानी के द्वारा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) Alliance for Justice and Accountability, New York, Citizens for Justice and Peace, Mumbai, Indian American Muslim Council, Washington D.C., Peoples's Union for Civil Liberties, New Delhi, Rihaee Manch, Lucknow, South Asia Solidarity Group, London, United Against Hate, New Delhi द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट्स "*स्वतंत्र जाँच–कासगंज का सच– फर्जी पुलिस जाँच ने हिन्दुओं को बचाया, मुसलमानों को फंसाया* " प्रस्तुत की गई है,

जिसके बारे में उनके द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उक्त रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि कोई भी जांच करने के लिए मौके पर टीम गई हो।

186. राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजकगण द्वारा भी ऐसी रिपोर्ट्स पर चिन्ता व्यक्त की गई है तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य की राजधानी में विशेष एन०आई०ए० न्यायालय स्थापित हैं तथा इनमें जब भी कभी देश–विरोधी/आतंकवादी गतिविधियों में शामिल आतंकी या यू०ए०(पी०)एक्ट में प्रतिबन्धित आतंकी संगठन का सदस्य गिरफ्तार करके विचारण के लिए लाया जाता है तो विभिन्न एन०जी०ओ० जो मात्र मुस्लिम हितों के पैरोकार हैं, के द्वारा तत्काल विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं है क्योंकि इससे ऐसे अवांछित तत्वों का मनोबल बढ़ता है, इस पर न्यायालय को सजग रहकर रोक लगानी चाहिए। उनके द्वारा एन०जी०ओ० जमीयत–उलेमा–ए–हिन्द के लीगल सेल इंस्टीट्यूट का डाटा न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस एन०जी०ओ० द्वारा यह श्रेय लिया गया है कि उसके द्वारा की गई पैरवी से मार्च 2019 तक कथित रूप से 400 दोषमुक्तियां भारतीय न्यायालयों में हुई। विद्वान लोक अभियोजक श्री दीक्षित के इन तर्कों का समर्थन इस न्यायालय में एन०आई०ए० तथा ए०टी०एस० के वादों की पैरवी कर रहे विद्वान लोक अभियोजकगण द्वारा भी किया गया है।

187. इस न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री जिलानी एवं विद्वान लोक अभियोजक श्री ललित किशोर दीक्षित के इन तर्कों पर भी ध्यान दिया गया है। इस न्यायालय का मत है ऐसी रिपोर्ट्स न्यायपालिका पर दबाव बनाने का कार्य करती हैं, तथा यह भी स्पष्ट हो रहा है कि साम्प्रदायिकता की भावना बहुत चुपके से मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में विचारों के स्तर पर दस्तक देती है। यह न्यायालय विद्वान लोक अभियोजक के इन कथनों से सहमत है, जैसाकि प्रायः इस विशेष एन०आई०ए० न्यायालय में भी यह देखा गया है कि विभिन्न प्रदेशों, जम्मू–कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पंजाब आदि प्रदेशों से जब कोई अभियुक्त आतंकवाद, जाली मुद्रा, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध, देश की रक्षा संस्थाओं से गोपनीय सूचनाओं की जासूसी से सम्बन्धित अपराधों एवं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम से सम्बन्धित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों आदि के विचारण हेतु गिरफ्तार करके एजेन्सियों द्वारा अचानक न्यायालय में लाया जाता है तो पहले से ही कुछ विद्वान अधिवक्तागण (जो ऐसे विशेष अपराधों की पैरवी करते हैं), वकालतनामा लेकर उनकी पैरवी के लिए उपस्थित रहते हैं, जिनमें से कथित तौर पर अधिकांश ऐसे अधिवक्तागण का सम्बन्ध उपरिवर्णित एन०जी०ओ० से होता है।

188. एम०एस० हासकाट बनाम महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर० 1978 एस०सी० 1548, सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य (1986) 2 एस०सी०सी० 401 आदि विधिक दृष्टान्तों में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि विधिक सहायता प्राप्त करना प्रत्येक अभियुक्त का अधिकार है। यहीं पर यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि ऐसे गम्भीर अपराध के अभियुक्तगण को **निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाना किसी एन०जी०ओ० का उसका अपना अधिकार नहीं हो सकता, भले ही निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना किसी अभियुक्त का अधिकार हो**। यह राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता दे जो अपनी पैरवी स्वयं न कर पा रहा हो। इसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अधीन एस०एल०एस०ए०, डी०एल०एस०ए० के माध्यम से डिफेन्स काउन्सिल की व्यवस्था है तथा धारा–304 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन एमिकस क्यूरी की सूची भी तैयार की जाती है, जिसमें अनेक वर्षों के फौजदारी वादों के प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले विद्वान अधिवक्तगणों का पैनल होता है। यदि कोई अभियुक्त, किसी साम्प्रदायिक एन०जी०ओ० के द्वारा उपलब्ध कराये गये विद्वान अधिवक्ता की पैरवी के कारण दोषमुक्त होता है तो उसकी निष्ठा उस एन०जी०ओ० के पक्ष में एवं राज्य के विरुद्ध उत्पन्न हो जाती है। वहीं पर, जब कोई अभियुक्त राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये डिफेन्स काउन्सिल/एमिकस क्यूरी की पैरवी का लाभ प्राप्त करता है तो उसका विश्वास राज्य की न्यायपालिका व भारतीय संविधान के प्रति बढ़ता है। विभिन्न एन०जी०ओ० द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता की पैरवी के उपरान्त हुई दोषमुक्ति तथा लीगल सर्विसज अथॉरिटी एक्ट या एमिकस क्यूरी द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिवक्तागण की पैरवी के उपरान्त हुई दोषमुक्ति, ऐसे दोषमुक्त के मन में न्यायपालिका एवं राज्य के प्रति सोच रखने में बहुत बड़ा अन्तर पैदा करती हैं। विभिन्न एन०जी०ओ० द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अभियुक्तों की पैरवी करने की यह प्रवृत्ति न्यायपालिका के सम्बन्ध में बहुत ही संकीर्ण एवं खतरनाक सोच को बढ़ावा दे रही है, जिसके सम्बन्ध में न्यायपालिका (बार एवं बेंच) से सम्बन्धित सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं एवं स्टेकहोल्डर्स (Stakeholders) को विचार करना चाहिए। इस बिन्दु पर भी विचार करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुए साम्प्रदायिक संघर्ष के सम्बन्ध में भारत में स्थित एन०जी०ओ० Citizens for Justice and Peace, (Mumbai), Peoples's Union for Civil Liberties, (New Delhi), Rihaee Manch, (Lucknow), United Against Hate, (New Delhi) के साथ–साथ विदेशों में स्थित, जैसे कि अमिरिका एवं ब्रिटेन में कार्यरत् एन०जी०ओ० Alliance for Justice and Accountability, (New York),

Indian American Muslim Council, (Washington D.C.), South Asia Solidarity Group, London के क्या हित हो सकते हैं ? इनकी फण्डिंग कहां से हो रही है तथा इनके सामूहिक उद्देश्य क्या हैं, इनकी जानकारी करने, न्यायिक प्रकिया में इनके अवांछित हस्तक्षेप को रोकने तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्णय की एक प्रतिलिपि चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इण्डिया तथा प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी प्रेषित की जाये।

189. आगे बढ़ने के पूर्व यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक दृष्टान्त **सुरेश एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2015 एस०सी० 518** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुपालन के प्रति भी गम्भीर है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायाल ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी भी आपराधिक विचारण में, यह आवश्यक है कि पीड़ित को प्रतिकर दिलाये जाने के सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष का उल्लेख करे। दिनांक-26.01.2018 को जनपद कासगंज में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के दौरान वादी मुकदमा सुशील गुप्ता के पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चन्दन की मृत्यु कारित की गई है, अतः मृतक के विधिक वारिसानों को उचित प्रतिकर दिये जाने के लिए धारा-357 क दं०प्र०सं० के अधीन आदेश पारित किया जाना उचित होगा। विद्वान एमिकस क्यूरी श्री रमाशंकर द्विवेदी एवं श्रीमती किरन खन्ना टण्डन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस निर्णय के अंत में निम्न दण्डादेश पारित किया जा रहा है-

दण्डादेश

(क). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ख). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ,

19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ग). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9– खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–341 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक माह के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(घ). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9– खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–336 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तीन माह के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ङ). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9– खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न देने पर उन्हें छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(च). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5–

आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं रूपये 50,000/–(पचास हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न देने पर उन्हें नौ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(छ). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ज). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दो वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(झ). दोषसिद्धगण 1– सलीम, 2– वसीम, 3– नसीम, 4– जाहिद उर्फ जग्गा, 5– आसिफ कुरैली उर्फ हिटलर, 6– असलम कुरैशी, 7–अकरम, 8–तौफीक, 9–खिल्लन, 10–शवाब, 11–राहत, 12–सलमान, 13–मोहसिन, 14–आसिफ जिमवाला, 15– साकिब पुत्र अजीजुद्दीन, 16–बबलू, 17– नीशू, 18– वासिफ, 19–इमरान पुत्र इरफान, 20–शमशाद, 21–जफर, 22–साकिर पुत्र इस्माइल, 23–खालिद परवेज, 24–फैजान, 25–इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, 26–साकिर पुत्र

मौ० सिद्दीक, 27–मुनाजिर रफी, व 28–आमिर रफी प्रत्येक को राष्ट्रध्वज अपमान (निवारण) अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाता है।

(ञ). दोषसिद्धगण मोहसिन, राहत, वसीम, बबलू, नसीम व सलमान प्रत्येक को आयुध अधिनियम की धारा–3/25 के अन्तर्गत तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न देने पर उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(ट). दोषसिद्ध सलीम को आयुध अधिनियम की धारा–25/27 के अन्तर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपये 20,000/– (बीस हजार रूपये) के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना न देने पर उसे छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्धगण की जेल में बितायी गई पूर्व अवधि इस सजा में शामिल होगी। सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। निर्णय की एक प्रतिलिपि प्रत्येक अभियुक्तगण को निःशुल्क दी जाये तथा निर्णय की एक प्रतिलिपि धारा–365 दं०प्र०सं० के अधीन पुलिस अधीक्षक, जनपद–कासगंज को भी प्रेषित की जाये। मृतक के विधिक वारिसानों को धारा–357ए दं०प्र०सं० के अधीन देय प्रतिकर के निर्धारण हेतु, निर्णय की एक प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कासगंज को भी प्रेषित की जाये। इस निर्णय की एक–एक प्रतिलिपि सम्बन्धित पत्रावलियों में रखी जाये। विभिन्न देशी एवं विदेशी एन०जी०ओ० के सम्बन्ध में निर्णय के पृष्ठ सं०–124, 125 व 126 पर इस न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताओं से अवगत कराने हेतु इस निर्णय की एक प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इण्डिया को भी प्रेषित की जाये।

दिनांक–03.01.2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–03.01.2025

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश एन०आई०ए०,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आशुलिपिक
ओमकार नाथ त्रिपाठी